लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12—मंगलवार, 9 अगस्त, 1966/18 श्रावण, 1888 (शक)

No. 12—Tuesday, August 9, 1966/Sravana 18, 1888 (Saka)

विषय SUBJECT

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		पृष्ठ/PAGES
330. उर्वरकों का मूल्य	Price of Fertilizers ..	1—2
345. कृषि कार्यों के लिए उर्वरक की आवश्यकता	Requirement of Fertilizers for Agricultural Purposes ..	2—7
331. चीनी उद्योग को उत्पादन शुल्क में छूट	Excise duty Rebate to Sugar Industry	7—9
332. खाद्यानों का राजकीय व्यापार	State Trading in Foodgrains	9—10
333. भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Food Corporation Employees ..	10—12
334. विमान निगम	Air Corporations	12—16
335. जम्मू तथा काश्मीर में आम चुनाव	General Elections in J & K. ..	16—21
336. समेकित पर्यटन विकास कार्यक्रम	Entegrated Tourism Development Programme ..	22—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

337. दिल्ली में वनस्पति घी की कमी	Shortage of Vegetable Ghee in Delhi	23
338. मण्डी में कम अनाज आना	Decline in arrival of Grains in Market	24
339. रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Co. ..	24

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
340. उपभोक्ता सहकारी भंडारों को ऋण	Credit to Consumer Cooperative Stores ..	24—25
341. रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Co. ..	25
342. सूरतगढ़ फार्म के लिए अतिरिक्त पानी	Additional Water for Suratgarh Farm ..	25—26
343. गेहूँ तथा चावल के मूल्य	Prices of Wheat and Rice	26
344. राज्यों में विकास खण्ड	Development of Blocks in States	26—27
346. उड़ीसा के दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों में मृत्यु	Death Roll in Famine Stricken Areas of Orissa ..	27—28
347. एंग्लो इण्डिया जूट मिल्स कम्पनी	Anglo India Jute Mills Co. ..	28
348. बिहार में पटसन का उत्पादन	Jute Production in Bihar	28—29
349. सहकारिता आन्दोलन का सुव्यवस्थित किया जाना	Stream Lining of Cooperative Movement ..	29
350. पर्यटक निगमों का विलय	Merger of Tourists' Corporations	29—30
351. राष्ट्रीय राजपथ श्रृंखला	National Highway System	30
352. खाद्यानों के समाहार मूल्य	Procurement Prices of Foodgrains	31
353. राज्यों में अकालग्रस्त क्षेत्र	Famine Areas in States ..	31—32
354. कृषि उत्पादन योजनायें	Agricultural Production Schemes ..	32—33
355. कृषि सम्बन्धी प्रगति	Agricultural Progress	33
356. सघन कृषि कार्यक्रम	Intensive Agricultural Programme ..	33—34
357. काम न आ सकने वाले जहाजों का हटा दिया जाना	Scrapping of Unserviceable Ships	34
358. गुलाबी चने की बिक्री में मुनाफाखोरी	Profiteering in Sale of Gulabi Chana	34—35
359. प्रबन्ध अभिकरण (मनेजिंग एजेन्सी) प्रणाली	Managing Agency System	35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1635. केरल में मछली उत्पादन	Output of fish in Kerala ..	35—36

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1636. दक्षिण में गन्ने का उत्पादन	Production of Sugarcane in the South ..	36
1637. चावल के वितरण के लिए राज सहायता	Subsidy for distribution of Rice	37
1638. केरल में मछुओं को सहायता	Relief to Fishermen in Kerala	37
1639. मतुपेट्टी में ढोर नस्ल सुधार परियोजना	Cattle Breeding at Mattupetti	37—38
1640. कुट्टानद में फसल का तबाह होना	Kuttanad Crop Havoc	38—39
1641. बदागारा किनारे का विकास	Development of Badagara Beach	39
1642. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन	Conference of Registrars of Cooperative Societies	39—40
1643. नेफा में सहकारी परिवहन समितियां	Transport Cooperatives in NEFA ..	40—41
1644. धान उगाही आदेश	Paddy Levy Order	42
1645. चीनी के निर्यात से आय	Sugar Export Earnings	42
1646. बड़ोदा में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 का एलाइनमेंट	Alignment of National Highway No. 8 passing through Baroda ..	43
1647. धान की खरीद	Procurement of Paddy	43
1648. तंजावूर जिले में चावल की मिलें	Rice Mills in Thanjavur District	43
1649. तिरुवरुर में चावल मिल	Thiruvarour Rice Mill	44
1650. मद्रास राज्य में धान का छिलका उतारना	Hulling of Paddy in Madras State ..	44
1651. तंजावूर जिले में गोदाम	Godowns in Thanjavur District ..	44—45
1652. राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल	National Highways and Bridges ..	45—46
1653. मालाबार खण्ड (केरल) में सड़कें	Roads in Malabar Region (Kerala) ..	46
1654. मालाबार खण्ड में सड़कें तथा पुल	Roads and Bridges in Malabar Region	46
1655. पश्चिमी तट सड़क	West Coast Road ..	47

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			

1656. स्टेज केरिजेज की दरें	Rates for State Carriages	..	47—48
1657. अमरीका से कीटाणुनाशक औषधियों का आयात	Import of Insecticides from U. S. A.	..	48
1658. 'महिषी' को पर्यटक केन्द्र बनाना	Mahishi as a Tourist Centre	..	48
1659. ज्वार के बीजों का संभरण	Supply of Jowar Seeds	..	49
1660. किसानों के लिये भूमि का नियतन	Allotment of Land to Cultivators	..	49
1661. स्कूटर चालक	Scooter Drivers		50—51
1662. छोटे सिंचाई कार्य	Minor Irrigation Works	..	51—52
1663. डीजल इंजन खरीदने के लिये कनाडा से सहायता	Aid from Canada for Purchase of Diesel Locomotives	..	52
1664. पत्तों से खाद्यपदार्थ	Food from Leaves		52—53
1665. सन्तुलित आहार के लिये भोजन सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन	Change in Food habits for Balanced Diet	..	53
1666. पश्चिम बंगाल में दूध से बनने वाले पदार्थों पर रोक-थाम	Restrictions and Ban on Milk Products in West Bengal	..	54
1667. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	Amendment of Representation of People Act	..	54
1668. राज्यों में खाद्य निगम द्वारा अनाजों तथा दालों की खरीद	Purchase of Cereals and Pulses by Food Corporation in States	..	55
1669. अमरीका में पी० एल० 480 को बदलने के लिये नया विधान	New Legislation to Replace P. L., 480		55—56
1670. उड़ीसा में दुर्भिक्ष की स्थिति	Famine Conditions in Orissa		56—57
1671. परती भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Waste Land		57
1672. उत्तर पश्चिम भारत में ऋतु सम्बन्धी राकेट छोड़ने का केन्द्र	Meteorological Rocket Launching Station in North-West India	..	57—58
1673. दिल्ली उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिये बैंक ऋण	Bank Credit for Consumers Cooperatives of Delhi	..	58

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1674. आंध्र प्रदेश के चावल मिल मालिकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को चावल का संभरण बन्द किया जाना	Suspension of Rice Supply by Andhra Pradesh Rice Millers to Food Corporation of India	53—59
1675. भूदान आंदोलन के अन्तर्गत अर्जित भूमि	Land acquired under Bhoodan Movement ..	59—60
1676. पत्तनों का विकास	Development of Ports	60—61
1677. गोंडा संसदीय निर्वाचन	Gonda Parliamentary Election	—61
1678. विमान दुर्घटना के बारे में जांच	Air Crash Enquiry	61—62
1679. वन अनुसंधान संस्था के प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	Establishment of Regional Research Centre of Forest Research Institute	—62
1680. उत्तर प्रदेश में तालाब	Water Tanks in U. P.	62—63
1681. देश में बकरियों की डेरियां	Goat Dairies ..	—63
1682. गांवों का विकास	Rural Development	63—64
1683. मध्य प्रदेश में चारे की कमी	Shortage of Fodder in Madhya Pradesh	64—65
1684. दिल्ली में सघन कृषि कार्यक्रम	Intensive Agriculture Programme in Delhi ..	65—66
1685. केरल में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास	Development of Fishing Harbours in Kerala	66—67
1686. सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains by Co-operative Societies ..	67—68
1687. बकरी डेरी उद्योग सम्बन्धी गोष्ठी	Dairy Goat Industry Seminar	68
1688. कोचीन पत्तन	Cochin Port ..	68—69
1689. विमान चालकों का प्रशिक्षण	Training of Pilots	69
1690. राष्ट्रमंडलीय विधि मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Law Ministers' Conference..	69—70
1691. वर्षा न होने का बुवाई पर असर	Sowing affected by failure of rains	70

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1692. चारे का विकास	Development of Fodder ..	70—71
1693. कृषि स्नातकों की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of Services of Agricultural Graduates ..	71
1694. केयर द्वारा मध्य प्रदेश में अनाज और दूध के पाउडर का संभरण	Supply of Foodgrains and Milk Powder by CARE in Madhya Pradesh ..	71
1695. हंगरी की सरकार द्वारा बेबी फूड का उपहार	Hungarian Government's Gift of Baby Food	72
1696. राज्यों में कृषि सूचना एकक	Agricultural Information Units in States ..	72—73
1697. हवाई मैदानों का विस्तार	Expansion of Airfields	73—74
1698. फसल ऋण योजना	Crop Loan Scheme ..	74
1699. जापानी विशेषज्ञों का भारत का दौरा	Visit of Japanese Experts to India	74—75
1700. पिछड़े वर्गों द्वारा परिवहन समितियां चलाया जाना	Running of Transport Societies by Backward Classes	75
1701. कलकत्ता पत्तन गोदाम में आग लग जाना	Fire in Calcutta Port Godown	75—76
1702. राज्यों को चीनी का कोटा	Sugar Quota to States	76
1703. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये केरावेल विमान	Caravelles for I. A. C. ..	77
1704. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में छंटनी	Retrenchment in I. C. A. R. ..	77—78
1705. किसानों को बीज और खाद आदि का दिया जाना	Availability of Seeds and Inputs to Farmers ..	78
1706. आसाम तथा पश्चिम बंगाल में चावल का अभाव	Rice Scarcity in Assam and West Bengal ..	78—79
1707. भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India ..	79
1708. स्वीडन से दूध का पाउडर	Milk Powder from Sweden	79—80
1709. त्रिवेन्द्रम में खजूरों की पैदावार	Production of Dates in Trivandrum ..	80

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1710. आसाम में कमी की स्थिति	Scarcity Conditions in Assam		80
1711. पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित माल का मूल्य	Price of Imports under P. L. 480	..	80—81
1712. भुखमरी से मृत्यु	Starvation Deaths		81
1713. नेफा में वन आरक्षित क्षेत्र	Area in NEFA Under Forest Reserve		81—82
1714. नेफा में सहकारी समितियां	Cooperative Societies in NEFA		82—83
1715. उत्तर प्रदेश में पैकेज कार्यक्रम	Package Programme in U. P.		83
1716. गोदामों में अनाज का खराब होना	Rotting of Foodgrains in Godowns	..	83—84
1717. बर्मा से चावल	Rice from Burma		84
1718. पश्चिम बंगाल को चावल संभरण	Supply of Rice to West Bengal	..	85
1719. उर्वरक संवर्धन समिति	Fertilizer Promotion Corporation		85
1720. कृषि का विकास	Development of Agriculture		86
1721. पम्पिग सेटों की सप्लाई	Supply of Pumping Sets		86
1722. उड़ीसा में सहकारी चीनी मिलें	Cooperative Sugar Mills in Orissa	..	86—87
1723. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की बैठकें	Meetings of I. C. A. R.		87
1724. ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	..	87
1725. किसानों को कृषि के लिये ऋण	Agricultural Credit to Farmers	..	87—88
1726. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies		88—89
1727. खाद्यान्न नीति संबंधी समिति	Foodgrains Policy Committee		89
1728. मोपला बे फिशिंग हार्बर	Moplah Bay Fishing Harbour		89—90
1729. कच्चे काजू का उत्पादन	Production of Raw Cashew Nuts		90
1730. मैनम चीनी मिल (केरल) के लिये भूमि	Land for Manom Sugar Factory Kerala	..	90—91

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1731. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की सीधी कार्यवाही करने की धमकी	Direct Action Threat by I. A. C. Employees	91—92
1732. खाद्यान्न उगाही आदेश का पालन न किया जाना	Non-Compliance of Foodgrains Levy Order	92
1733. आम की पैदावार	Production of Mangoes	92
1734. ट्रैक्टरों का प्रयोग	Use of Tractors	93
1735. दिल्ली का चिड़ियाघर	Delhi Zoological Park	93
1736. उत्तर प्रदेश को कृषि विकास के लिये सहायता	Aid for Agricultural Development in U.P. . .	93—94
1737. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Increase in Pay of I. A. C. Employees	94
1738. पश्चिम बंगाल में सूखा	Drought in West Bengal ..	94—95
1739. राशन व्यवस्था	Rationing	95
1740. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Parliamentary Constituencies ..	95
1741. अनुसूचित जातियों की बस्तियों में सुधार	Reforms in Scheduled Castes Colonies ..	95—96
1742. चीनी कारखानों के लिये लाइसेंस	Licences for Sugar Factories ..	96—97
1743. चीनी की मिलें	Sugar Factories	97
1744. महाविधि वक्ता (सालिसिटर जनरल) का त्यागपत्र	Resignation of Solicitor General ..	98
1745. वन क्षेत्र	Area under Forests	98
1746. दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादकों के मूल्य	Prices of D. M. S. Products ..	98—99
1747. राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Co-operation Ministers	99
1748. खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	99
1749. उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in U. P.	99—100

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1750. गन्ना उत्पादकों पर शुल्क	Levy on Sugarcane Growers	100
1751. मध्य प्रदेश में खाद्य उत्पादन	Food Production in Madhya Pradesh ..	100—101
1752. साम्य अंश (इक्विटी शेयर) तथा ऋण पत्र	Equity Shares and Debentures ..	101
1753. यांत्रिक चावल प्ररोपक (मेकेनीकल राइस ट्रांस्प्लान्टर)	Mechanical Rice Transplanter ..	101—102
1754. ट्रैक्टरों की खरीद	Purchase of Tractors ..	102
1755. विदेशों से अनाज की सहायता	Food Aid from Abroad ..	102—103
1756. उच्च न्यायालयों के निर्णयों के हिन्दी रूपान्तर वाली पत्रिका	Journal Containing Hindi Versions of Judgements of High Courts ..	103
1757. इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के इंजीनियरों द्वारा असहयोग	Non-Cooperation by I. A. C. Engineers ..	103—104
1758. ढोने में अनाज की हानि	Loss of Foodgrains in Handling	104—105
1759. आई०जी०एन० नदी सेवा के कर्मचारी	Employees of I. G. N. River Service	105
1760. त्रिपुरा में खाद्य संकट	Food Crisis in Tripura	105—106
1761. खाद्य उत्पादन	Food Production	106
1762. भूमि सुधारों के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन	F. A. O. Conference on Land Reforms	107
1763. केन्द्रीय खाद्य भंडार से अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains for Central Stocks ..	107—108
1764. गेहूँ क्षेत्र	Wheat Zone	108
1765. गौ हत्या	Cow Slaughter	109
1766. कच्छ के रन का खेती योग्य बनाया जाना	Reclamation of Rann of Kutch ..	109—110
1768. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की बम्बई-बड़ोदा-अहमदाबाद विमान सेवा	I. A. C. Bombay-Baroda-Ahmedabad Service	110

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1769. रागी फसल	Ragi Crop	.. 110—111
1770. हिन्दी असिस्टेंटों को उनके पदों में स्थायी बनाना	Confirmation of Hindi Assistants	.. 111—112
1771. त्रिपुरा को गेहूँ की सप्लाई	Supply of Wheat to Tripura	.. 112
1773. कच्छ की रण में लमढींग (फ्लैमिंगो) और जंगली गधों का परिक्षण	Preservation of Flamingoes and Wild Ass in the Rann of Kutch	.. 112—113
1774. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाएं	I. A. C. Services	113
1775. कालीकट पत्तन के लिये कर्षनाव (टग)	Tug for Calicut Port	.. 113—114
1776. पंचायत कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना	Pension Scheme for Panchayat Employees	.. 114
1777. ग्राम पंचायतों की शक्तियां	Powers of Village Panchayats	.. 114
1778. आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर में सड़कें	Roads in Assam, Tripura and Manipur	.. 115
1779. बड़क पुल	Barak Bridge	.. 115—116
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
बोनस अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement on Bonus Act	116—118
नियम 357 के अन्तर्गत सूचना और अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप के बारे में	Re. Notice under Rule 357 and reflection on the Chair	.. 119—120
औचित्य प्रश्न के बारे में	Re. Point of Order	121
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 121—123
राज्य सभा से सन्देश—	Message from Rajya Sabha—	
वक्फ (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Wakf (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha	.. 123

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	123
देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Present Economic Situation in the country	.. 124—139
श्री के. दे. मालवीय	Shri K. D. Malaviya	.. 124—125
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	.. 125—128
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	.. 128—129
श्री उमानाथ	Shri Umanath	.. 129—132
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	132
श्री पाराशर	Shri Parashar	132—133
श्री जी. भ. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	133—134
श्री. पी. रा. रामकृष्णन	Shri P. R. Ramakrishnan	.. 134—135
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray	.. 135—137
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	.. 137—138
श्रीमती सावित्री निगम	Shrimati Savitri Nigam	.. 138—139
श्री क्र. च. शर्मा	Shri K. C. Sharma	139
कोचीन शिपयार्ड के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Cochin Shipyard	139—143
श्री. अ. क. गोपालन	Shri A. K. Gopalan	.. 139—141
श्री चे मु. पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	.. 142—143
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy	143

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 9 अगस्त, 1966/ 18 श्रावण, 1888 (शक)

Tuesday, August 9, 1966/Sravana 18, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्न संख्या 330 और 345 के बारे में
Re : Question Nos. 330 and 345

अध्यक्ष महोदय : सभा अब प्रश्नों को लेगी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : प्रश्न संख्या 330.

श्री स० चं० सामन्त : महोदय, मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या 345 को भी इसके साथ ही लिया जाये ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): महोदय, क्या मैं इन दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां, वह दोनों उत्तर पढ़ सकते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Price of Fertilisers

*330. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of fertilisers in Pakistan is only one-third of that prevailing in India ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the price of fertilisers in U. S. A., Canada and Japan as compared to the price prevailing in India ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) उर्वरकों के मूल्यों के विषय में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक हमें पता है 1961–62 में पाकिस्तान में उर्वरकों का मूल्य भारत के मूल्यों का तिहाई था।

(ख) और (ग). देशी उर्वरकों के उत्पादन के व्यय के कारण भारत में उर्वरकों का मूल्य अधिक है। पाकिस्तान में मूल्य के कम होने का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि वहां की सरकार उर्वरकों पर 50 प्रतिशत तक उपदान देती है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि इस समय पाकिस्तान में उर्वरकों के मूल्य अमरीका, कनाडा तथा जापान आदि विकासोन्मुख देशों से भी 50 प्रतिशत कम हैं।

अमरीका, कनाडा तथा जापान में उर्वरकों के मौजूदा मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

(रुपये प्रति टन—प्लांट न्यूट्रन्ट)

देश	ए० एस०	यूरिया	सिंगल सुपर-फासफेट	सल्फेट आफ पोटाश	म्युरिएट आफ पोटाश
भारत (1963-64)	1747	1338	1471	800	624
यू० एस० ए० (1963-64)	1305	–	1057	–	471
कनाडा (1963-64)	1552	1267	1114	805	510
जापान (1963-64)	1257	1152	1091	662	462

ये आंकड़े उर्वरकों के विषय में खाद्य एवं कृषि संगठन के 1964 के वार्षिक पुनरीक्षण पर आधारित हैं।

Requirement of Fertilisers for Agricultural Purposes

\+
*345. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Linga Reddy :
Shrimati Renu Chakravartty :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether an estimate of the total requirements of fertilisers for agricultural purposes for the Fourth Five Year Plan period has been prepared ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps being taken to fulfil the same ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) जी हां।

(ख) तथा (ग). वर्षवार अनुमानित आवश्यकतायें, देशीय उत्पादन तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक आयात नीचे दिये गए हैं :—

वर्ष	एन (टोन्ज मिलियन में)			पी 205 (टोन्ज मिलियन में)			आयात आवश्यकतायें के 20 ††
	कम से कम आवश्यकतायें	देशीय उत्पादन	आयात आवश्यकतायें	कम से कम आवश्यकतायें	देशीय उत्पादन	आयात आवश्यकतायें	
1966–67	1.05†	0.400	0.600	0.370	1.190	0.180	0.20
1967–68	1.45†	0.525	0.825	0.500	0.275	0.225	0.30
1968–69	1.70	0.763	0.937	0.650	0.365	0.285	0.45
1969–70	2.00	1.04	0.896	0.800	0.410	0.390	0.55
1970–71	2.40	1.700	1.000	0.520	0.480	0.70	0.70

† इसमें अधिक उत्पादक किस्म कार्यक्रम के लिए विशेष अलाटमेन्ट शामिल है।

†† पोटाश की समस्त आवश्यकताएं आयात की जाती हैं।

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि यदि देशीय उत्पादन से आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं तो रक्षा के बाद उर्वरक आयातों को उच्चतम प्राथमिकता देकर बाकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

Shri Sidheshwar Prasad : It is clear from the statement laid on the Table of the House that the prices of fertilizers in Pakistan are 50 percent less than those prevailing in India and that these prices are less by 20 percent in countries like Canada and America. With a view to increase the agricultural production in the country may I know the difficulty confronting the Government of India in reducing the prices or bringing them to the level of prices prevailing in Pakistan and the steps being taken by Government to remove that difficulty ?

Shri Shyam Dhar Misra: It is true that the prices of fertilizers in Pakistan are nearly one-third of the prices prevailing in India. It is also true that in foreign countries it is cheaper by 15 to 20 percent. Indigenous fertilizer is also very costly. Freight charges have to be included in the prices of imported fertilizers. If fertilizers are very cheap in Pakistan, it is not due to the fact that there the cost of production is low. There is no difference in the costs of production in both the countries. But Pakistan is giving 50 percent subsidy and therefore the price of fertilizers there is less. This matter has been discussed in detail with other Ministries and the Finance Ministry have also been consulted. We have come to the conclusion that more and more quantity of fertilizers should be made available as the demand is much. But since it is in shortage and a reduction in prices will result ill in its sale in the black market.

So far as the issue of subsidy is concerned, several hundred crores of rupees will have to be spent for this purpose. Therefore, there is no question of subsidy at present and it is not practical to give that also. The present prices may, therefore continue.

Shri Sidheshwar Prasad : May I know the estimated requirements, indigenous production and imports of fertilizers necessary for the current year ? In view of the black marketing in fertilizers last year due to its shortage, may I know the steps taken by Government to meet the shortage of fertilizers and to make proper arrangements for its distribution ?

Shri Shyam Dhar Misra : According to our estimate, about 15 lakh tons of fertilizers will be required during the year 1966–67. Government has already made arrangements for 10 lakh tons. Out of this 4 lakh tons will be produced indigenously and 6 lakh tons will be imported. Efforts are also being made to increase the production and the Ministry of Petroleum is being asked to get the production augmented in the units which are already working and imports have also been increased.

Shri Sidheshwar Prasad : Last year there was a lot of black marketing in fertilizers due to its shortage ; I wanted to know the action taken by Government to remove the defects in the distribution system, but no reply has been given.

Mr. Speaker : The Hon. Members have put three questions at a time, the result is that some part is left unanswered.

Shri Bhagwat Jha Azad : From the statement it appears that in order to meet the shortage Government has decided to give top most priority next to defence to import fertilizers. Do Government think that in order to meet the requirements of 2·8 million tons of fertilizers whether foreign exchange amounting to Rs. 80 crores will be required or not ? May I know whether Government will be in a position to provide this amount and if so, why Government want to import it on unscrupulous terms put by foreign companies, i.e. American companies.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : ये दो अलग-अलग मामले हैं । उर्वरकों के उत्पादन की व्यवस्था करने का काम पेट्रोलियम मंत्रालय का है । फिर भी मैं उत्तर देना चाहूंगा । यह ठीक है कि हम अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सकते हैं । परन्तु इसका एक दूसरा पहलू भी है । प्रश्न है कि क्या हम पर्याप्त कारखाने लगा सकते हैं ? इस बात का पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ध्यान रखा जायेगा और उन्हें सरकारी क्षेत्र में यथासम्भव अधिकाधिक कारखाने स्थापित करने होंगे । शेष के लिए उन्हें अन्य प्रबन्ध करने पड़ेंगे ।

Shri Yudhvir Singh : May I know the difference between the cost of production of indigenous and imported Chemical fertilizers ?

Shri Shyam Dhar Misra : We have worked out both. There is a difference of 15 to 20 percent. But when we take into account the freight charges then this difference comes to not more than 10 percent.

Shri R. S. Pandey : In Pakistan 50 percent subsidy is provided by Government, therefore there the fertilizers are very cheap. In view of these circumstances prevailing to-day in our country, is it not necessary that we should also bring down its price by providing subsidy like Pakistan so that the production may increase ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विचारणीय बात यह है कि पाकिस्तान ने उर्वरक के मूल्य में 50 प्रतिशत कमी क्यों की है ? वहां पर किसान उर्वरक को प्रयोग में लाने के अभ्यस्त नहीं हैं अतः वे इनका प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तानी किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु सहायता के रूप में आरम्भ में यह रियायत दी जा रही है ताकि वे इसको प्रयोग में लावें। जहां तक हमारे देश में कीमतों का सम्बन्ध है, इससे इसके प्रयोग में कोई बाधा नहीं पड़ रही है। वास्तविकता यह है कि उच्च दरें होते हुए भी यहां उर्वरकों की कमी है और मांग अधिक है। निश्चित की गई इन उच्च दरों पर क्रय करने के पश्चात् यह चोर बाजार से भी खरीदा जाता है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है क्योंकि उर्वरक का आर्थिक मूल्य अधिक है। अतः कुछ किसान सरकार द्वारा निश्चित किये गये दामों से भी अधिक दर पर उर्वरक खरीदने के लिए तैयार हैं।

अतः यदि हम ऐसे बाजार में उर्वरक को राज सहायता देते हैं जहां पर मांग अधिक है तथा लोग उसके लिए नियत मूल्यों से अधिक मूल्य देने को तैयार हैं, तो इससे चोर बाजारी और बढ़ेगी इसलिए यह बात महत्त्वपूर्ण है कि हम सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बढ़ायें तथा बाहर से आयात करें। मूल्य घटाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है विशेषतः जबकि किसान इस मूल्य पर भी इसे खरीदने को तैयार हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Is it a fact that one particular reason for the higher prices of our fertilizers is that we are far behind in our technical 'know-how' as compared to other countries and because of which our cost of production is higher ? In case it is so, may I know how, it was proposed to make an improvement and to bring down the prices ? What will be the difference in prices between this and the imported fertilizer after devaluation ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, आजकल कारखानों में विशेषतया सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों के उत्पादन के लिए पुरानी प्रक्रिया जो मंहगी भी है अपनायी जा रही है। इसीलिए हमारा उत्पादन-व्यय अधिक है। हम जो नये कारखाने स्थापित कर रहे हैं उनमें हम 200,000 टन नाइट्रोजन के उत्पादन का निर्धारण रख रहे हैं। इनमें हम उत्पादन की आधुनिक प्रक्रिया को प्रयोग करेंगे जिससे कीमतें कम हो सकें।

Shri Kashi Ram Gupta : Mr. Speaker, only half of the question has been answered. I have asked what would be the difference in cost of production of fertilizer due to devaluation ?

Mr. Speaker : You may please judge or count the extent of devaluation.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान किस प्रकार उर्वरकों को 50 प्रतिशत राजकीय सहायता दे रहा है। उन्होंने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया है। पिछले तीन महीनों में उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति दुगुनी कर ली है।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, क्या सरकार पाकिस्तान से कुछ सीखकर कोई ऐसा प्रोत्साहन

भारतीय किसानों को देगी जिससे वे उर्वरकों का प्रयोग अधिक करने लगें ? सरकार उन्हें अब भी प्रोत्साहन क्यों नहीं देती ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं पाकिस्तान की आर्थिक नीति का विश्लेषण करने का प्रयत्न नहीं करूंगा । यह बांटी जाने वाली मात्रा पर भी निर्भर करता है । मान लीजिए अगर मैं केवल एक लाख टन उर्वरक बांटूं तो उसके लिए राज सहायता दे सकता हूं । जब हम एक लाख टन उर्वरक प्रयोग में लाते हैं, जो कभी-कभी बढ़कर 2·5 लाख टन तक हो जाता है, तो हमको सहायता के लिए धन कहां से मिलेगा ? यही वास्तविक कठिनाई है ।

Shri Shree Narayan Das : It has been stated in answer to question No. 385 that the difference between demand and production of fertilizers in Fourth Five Year Plan would be made up by import. Has there been any agreement with some country under which fertilizers can be imported during the Fourth Five Year Plan ?

Shri Shyam Dhar Misra : The statement shows that our demand or requirement would be of 2·4 million tons whereas our indigenous production would be of 1.7 million tons and the rest 7 lakh tons of fertilizers would have to be imported. Negotiations are continuously going on with U.S.A., Canada and other countries in this respect. We have been importing fertilizers from a number of countries and we hope that we shall be able to import sufficient fertilizers for meeting our requirements.

Shri M. L. Dwivedi : As my honourable friend, Shri Bhagwat Jha Azad has said that the quantity of import has been shown in a round about way in the statement which has been laid on the table of the House that "To the extent internal production falls short of the requirements." Do the Government have figures for last year and this year in order to assess the short fall in the fertilizers and the quantity to be imported on account of this ? What is the use of using round about words instead of giving correct figures ?

He may tell what will be the short fall, how much of it will have to be imported, how much foreign exchange will have to be spent for this and so on ?

Shri Shyam Dhar Misra : This sentence has been used because we can not be hundred percent correct in stating the figures of shortfall with in the target for the next year.

Shri M. L. Dwivedi : He may please state fifty percent if not hundred percent.

Shri Shyam Dhar Misra : There is some shortfall definitely. So far as this year is concerned, there would be production of about 4 lakh tons and we would be importing 6 lakh tons of Nitrogen fertilizers. Last year our production was about 2 lakh tons and we imported nearly 3 lakh tons. I am giving round figures. There was shortfall during the last year also. Our production was of 4 lakh tons. We wanted to increase it to 5 or 6 lakh tons but there was a shortfall. The Honourable Minister has given the reasons for shortfall that we have small units, there is dearth of technical knowhow, we have difficulty in getting raw material, gas, power etc. There is nothing round about in it. Whatever question is put by the Hon. Member, it will be answered clearly.

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि पाकिस्तान के कृषि यंत्रों तथा दूसरे कृषि आदानों का भी वही 1 : 3 का अनुपात है जो उर्वरकों का है और यदि हां तो ऐसा क्यों है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं उसकी तुलना करने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि बड़े-बड़े कृषकों में उर्वरकों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति है और वे उर्वरकों के ऊँचे मूल्य चुकाने में भी आनाकानी नहीं करते, किन्तु छोटे किसान बड़ी कठिन स्थिति में हैं । क्या सरकार का उनको कुछ राजकीय सहायता देने का विचार है ?

श्री श्यामधर मिश्र : नाइट्रोजन उर्वरकों के लिये इस प्रकार की सहायता देने का कोई विचार नहीं है । कुछ राज्यों में फास्फेट के उर्वरकों पर 25 प्रतिशत की छोटी सहायता दी जाती है । हम पैदावार के कारण छोटे और बड़े किसानों में भेद-भाव नहीं करते ।

चीनी उद्योग को उत्पादन शुल्क में छूट

+

*331. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री किशन पटनायक : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 30 अप्रैल, 1966 के बाद गन्ने की पेराई करने के लिये चीनी उद्योग को उत्पादन शुल्क में छूट देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस बारे में क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी हां, मई और जून, 1966 के महीनों में शर्करा के उत्पादन पर ।

(ख) यह रियायत गर्मी के महीनों में शर्करा कारखानों को गन्ने से उपलब्धि में हुई कमी को पूरा करने के लिये दी गयी है ।

(ग) यह छूट इस अवधि में अतिरिक्त उत्पादन कर मूल्य उत्पादन शुल्क में 25 प्रतिशत दी जाती है मगर यह शर्त है कि शर्करा की जिस मात्रा पर छूट दी जाती है वह मई और जून, 1966 के महीनों में शर्करा उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए; कुल छूट अनुमानत: रु० 35.5 लाख है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know in terms of paise and annas, how much will the consumers be benefited by granting rebate in excise duty on sugar ?

श्री शिन्दे : मैं अपने वक्तव्य में बता चुका हूं कि साधारण ऋतु के बाद मई, जून के महीनों में उत्पादन शुल्क में छूट इसलिये दी जाती है क्योंकि उपलब्धि में एकाएक कमी आ जाती है तथा चीनी कारखानों में पेराई करना लाभप्रद नहीं होता। अगर छूट न दी जाती तो कारखाने गन्ने के उत्पादकों से गन्ना न लेते और इस प्रकार उत्पादक विपत्ति में पड़ जाते। कारखानों को गन्ने की पेराई करने के लिये यह छूट दी गई है अन्यथा गन्ना बिना पेराई के ही रह जाता। यह कोई नया तरीका इस साल ही नहीं अपनाया गया है। यह नीति पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है तथा श्री सेन की अध्यक्षता में चीनी जांच आयोग ने इस पर विचार किया एवं शुल्क में छूट के सिद्धान्त को साधारणतया हर साल के लिये अपनाने की सिफारिश की।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मेरे विचार में डा० लोहिया के प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि इसका अभिप्राय उपभोक्ता को कम कीमत देने का नहीं है, अपितु यह चीनी कारखानों को घटिया किस्म के गन्ने की भी पेराई करने के लिये है। इससे उपभोक्ता को चीनी अधिक मात्रा में सुलभ होने का लाभ होगा।

श्री शिन्दे : माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं गन्ने के मूल्य में कितने प्रतिशत उत्पादन-व्यय है, इस सम्बन्ध में अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। ये अखिल भारतीय आंकड़े हैं तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न हो सकते हैं। जहां तक अखिल भारतीय आंकड़ों का सम्बन्ध है, गन्ने का मूल्य 43.5 प्रतिशत है। चीनी तैयार करने के व्यय अर्थात् चीनी बनाने तथा दूसरे प्रासंगिक व्यय 23 प्रतिशत हैं, तथा कर या शुल्क 33.5 प्रतिशत है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is there no profit at all? Is this sugar being produced free of charge.

Mr. Speaker : We know the profit which is availed of before.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, please give some thought to what the Hon. Minister replies?

श्री शिन्दे : चीनी उद्योग को दिया जाने वाला मुनाफा प्रशुल्क आयोग की सिफारशों के आधार पर निर्धारित किया गया है तथा प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है कि लागत-पूंजी पर 12 प्रतिशत मुनाफा रखा जाये। हमने चीनी उद्योग में पिछले वर्षों में होने वाले मुनाफे की जांच की और मालूम हुआ कि यह लागत-पूंजी का 12, 13 या 14 प्रतिशत है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Are Government aware that when a farmer reaches the Mill with his sugarcane, the sugarcane is not weighed for 5 or 6 days and consequently it withers and the farmer is put to loss? If so, what action has been taken by the Government in this regard so that Mill owner may be prevented from such practice in future?

Mr. Speaker : This question pertains to rebate. Shri Siddhanti.

Shri Jagdeo Singh Siddhanti : Has the Government hatched any conspiracy with the Mill owners in order to reduce the price of sugarcane which is paid to farmers?

श्री शिन्दे : गन्ने का मूल्य नहीं गिरा। चीनी उद्योग को इसलिये यह छूट दी गई है जिससे चीनी कारखाने हर साल सरकार द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य किसानों को दे सकें। यह गन्ना उत्पादकों तथा चीनी कारखानों के हित में भी है।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, I would like to know how much tax and cess will be realized by the Government and how much will the farmer get, when they are paying 43 percent here, 60 percent in Cuba and $4\frac{3}{4}$ seers of sugar is produced out of a maund of sugarcane ?

Mr. Speaker : Shri D. D. Puri.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, it is a very important question. $3\frac{3}{4}$ seers of sugar is produced out of one maund of sugarcane, how much of it goes to the farmer ?

श्री दे० द० पुरी : बताया गया है कि उद्योग को लागत-पूंजी पर 12 प्रतिशत मुनाफा रखने दिया जाता है। क्या इस 12 प्रतिशत में बोनस, श्रम-उपदान तथा दूसरे उत्पादन-व्यय नहीं आते हैं ?

श्री शिन्दे : श्रम आवश्यक रूप से उत्पादन लागत में समाविष्ट होता है। जहां तक बोनस का सम्बन्ध है, यह हरेक इकाई को होने वाले मुनाफे की राशि पर निर्भर करता है। मैंने उत्पादन-लागत के आंकड़े दिये हैं, मुनाफे के नहीं।

खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार

+

*332. **श्री लीलाधर कटकी :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी प्रकार के खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार आरम्भ करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लीलाधर कटकी : क्या सरकार ने हाल ही में कुछ राज्यों में खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार आरम्भ कर दिया है, और यदि हां, तो सरकार का क्या अनुभव है तथा क्या वे दूसरे राज्यों में इसे आरम्भ करना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : प्रश्न में पूछे गये खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार कहीं आरम्भ नहीं हुआ है । यह किसी राज्य में हाल में आरम्भ नहीं किया गया है ।

श्री लीलाधर कटकी : यदि सभी खाद्यान्नों का नहीं तो कौन से ऐसे खाद्यान्न हैं जिनका राजकीय व्यापार हो रहा है और सरकार दूसरे राज्यों में भी इसे लागू करना चाहती है ?

श्री गोविन्द मेनन : इस तरह की कोई व्यवस्था लागू करने का विचार नहीं है । सभी खाद्यान्नों के माने हैं किसी वस्तु की सम्पूर्ण पैदावार । किसी भी राज्य ने अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है ।

श्री नि० रं० लास्कर : जहां तक किसी भी राज्य में वसूली का सम्बन्ध है, क्या खाद्य-निगम ने कोई प्रगति की है ?

श्री गोविन्द मेनन : इसमें प्रगति हो रही है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकर कर लिया है कि अन्ततोगत्वा राजकीय व्यापार लागू करना ही चाहिये ।

श्री गोविन्द मेनन : वह हमने नहीं सोचा है, किन्तु आज भी किसी सीमा तक राजकीय व्यापार हो रहा है ।

श्री विश्वनाथ राय : खाद्यानों की जमाखोरी तथा मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, सरकार खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार में इतनी उदासीन क्यों है ?

श्री गोविन्द मेनन : कोई उदासीनता नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

+

* 333. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री दशरथ देव :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री कोल्ला वेंकैया :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सभी मांगें मान ली हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कौन कौन सी मांगें अभी स्वीकार नहीं की गई हैं ; और

(ग) सरकार ने परस्पर समझौते के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). स्पष्टत: यह निर्देश खाद्य विभाग के कर्मचारियों का भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उनकी मांगों की ओर है जिन शर्तों के अधीन ऐसे स्थानान्तरण किये जाएंगे वे अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं और सम्बन्धित स्टाफ एसोशियेशनों द्वारा की गई मांगों पर पूर्णरूप से विचार करने के बाद ही उन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

श्री स०मो० बनर्जी : पिछली बार इससे मिलते जुलते अल्प सूचना प्रश्न या ध्यान आकर्षण सूचना के उत्तर में खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री चि० सुब्रह्मण्यम ने बताया था कि वरिष्ठता सहित अन्य सभी प्रश्नों पर निपटारा कर लिया गया है और केवल एक ही यह अनिर्णीत था कि क्या कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये संविधान के अनुच्छेद 311 को उन पर लागू किया जाना चाहिये । क्या अब उसी समस्या का समाधान ढूंढ़ना बाकी रह गया है अथवा अन्य समस्याएं भी हैं और यदि हां, तो वे समस्याएं क्या हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : उस प्रश्न का भी हल निकाल लिया गया है । सरकार ने अब निर्णय किया है कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को जो गारन्टी दी हुई है उसे अन्य व्यक्तियों पर भी लागू करना चाहिए । 3 अगस्त 1966 को खाद्यान्न निगम अधिनियम के संशोधन पर चर्चा थी और मामला अब चल रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस संशोधन को खाद्य विभाग के कर्मचारियों के परामर्श से लाया जायेगा जिन्हें अब खाद्य निगम में स्थानान्तरित कर दिया गया है और यदि हां, तो, इस समेत अन्य सब मामलों पर कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : कर्मचारियों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर चर्चा होती है ।

अध्यक्ष महोदय : इसको अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें आशा है कि संशोधन नवम्बर के सत्र में लाया जायेगा । उसके पहले हम सब बातों को अन्तिम रूप दे सकेंगे ।

श्री अ० क० गोपालन : खाद्य विभाग के कर्मचारियों के खाद्य निगम में स्थानान्तरित किये जाने के इस सीधे से प्रश्न पर निर्णय करने में देरी का क्या कारण है ?

श्री गोविन्द मेनन : सभी प्रश्नों पर फैसला कर लिया गया है और अब अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधेयक का प्रारूप तैयार है जैसा बताया गया है अगले सत्र में इसको लाने का विचार है ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the number of the employees of the food corporation in relation to whose demands the question was put and what amount is spent on their salaries and what is the turn over of the business so far done by this corporation ?

श्री गोविन्द मेनन : इसके लिये मुझे अलग सूचना चाहिए ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : जिन 2000 कर्मचारियों को खाद्य निगम में स्थानान्तरित किया जा रहा है अथवा किया गया है क्या उनकी सेवा की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और क्या वे सरकारी सेवा में ही रहेंगे या उन्हें इस्तीफा देने के लिये कहा जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : उनको वे सभी विशेषाधिकार मिले रहेंगे जो अब तक मिले हुए हैं । उन्होंने स्वयं सरकारी सेवा में रहने की कोई मांग नहीं की है । वे केवल यह चाहते हैं कि उनको सभी विशेषाधिकार मिले रहें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या वे सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वे भारत के खाद्य निगम के कर्मचारी हैं । परन्तु खाद्य निगम के कर्मचारी होने पर सरकारी सेवा में उन्हें जो भी विशेषाधिकार उपलब्ध थे वे ही उपलब्ध कराये जायेंगे । परन्तु फिर भी वे भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी होंगे और सरकारी कर्मचारी नहीं ।

श्रीमती सावित्री निगम : खाद्य निगम द्वारा अब तक की गई प्रगति की मुख्य बातें क्या हैं ? यह कब स्थापित किया गया था और इस पर अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

श्री गोविन्द मेनन : यह 1 नवम्बर 1965 को स्थापित किया गया था और इसको अपने काम में सफलता मिलती जा रही है ।

विमान निगम

+

*334. **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री विमान निगम सम्बन्धी 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1575 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिव को भेजे गये पत्र में लगाये गये आरोपों के बारे में इस बीच जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने आरोप प्रथम दृष्ट्या ठीक पाये गये हैं जिनके बारे में न्यायिक जांच की आवश्यकता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक जांच कराने का है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही की गई है ?

परिवहन और उड्डयन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां। जांच का परिणाम माननीय सदस्यों को भेज दिया गया है।

(ख) और (घ). जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि 'पी' फार्म के मामलों पर प्रवर्तन निदेशालय विचार कर रहा है। कारपोरेशन ने सात अधिकारियों से जवाब तलब किया है जिनमें से चार अधिकारी कारपोरेशन की नौकरी में हैं। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। जहां तक श्री बक्शी का सम्बन्ध है जो कि मुअत्तिल कर दिये गये हैं, जांच पूरी हो चुकी है और एक सप्ताह में आर्डर्स पास कर दिये जाने की सम्भावना है। हांगकांग में खयानती के मामले में सम्बद्ध कर्मचारी पर अभियोग लगाया जा रहा है। एम्यूनिशन के मामले में जिन कर्मचारियों ने इसे बिना अधिकार के भेजा है, उन्हें फटकारा गया है।

जहां तक श्री रुस्तम जी का सम्बन्ध है, इनके बारे में की जाने वाली कार्यवाही पर बक्शी मामले में फैसला हो जाने के बाद विचार किया जायेगा। बाकी किसी भी मामले में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि वाणिज्यिक विभागों के कार्य-चालन में शिथिलता के आम प्रश्न को बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एयर-इंडिया को सभी मामले बोर्ड के सामने रखने के लिए कहा गया है। बोर्ड की बैठक 19 अगस्त को हो रही है। बोर्ड का निर्णय मालूम होने के बाद ही सरकार मामले पर आगे विचार करेगी।

(ग) सरकार का विचार है कि जहां तक इन मामलों का सम्बन्ध है इनसे निबटने और उनसे सम्बद्ध किसी भी उठने वाले मामलों को तय करने में वे पूर्णतः सक्षम हैं और इस सम्बन्ध में सार्वजनिक जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Kishen Pattnayak: Last time the Hon. Minister stated that in about 132 cases the enquiry was then pending as the evidences were not available. The reason for this may be that the Enforcement Directorate is not being given the necessary documents and to obtain them is not within the powers of Enforcement Directorate. If that is so why these cases are not being entrusted to C. B. I. ?

श्री चे० मु० पुनाचा: इस पर जांच करने के लिये प्रवर्तन निदेशालय पूर्णतया सक्षम है और वह मामले पर अग्रेतर जांच कर रहा है। जहां तक शेष मामलों का सम्बन्ध है, जांच अभी समाप्त नहीं हुई है और मामले का अनुसरण किया जा रहा है और रिजर्व बैंक और एयर इन्डिया के रिकार्डों की जांच पड़ताल की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या उसको आवश्यक रिकार्ड प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है ?

श्री चे० मु० पुनाचा: कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि ये मामले 1963-64 से सम्बन्धित हैं। कुछ प्रतिपत्रकों, आरक्षण टिकटों, यात्री मालसूचियों आदि को रिकार्ड में नहीं रक्खा जाता है क्योंकि उन्हें समय-समय पर नष्ट कर दिया जाता है। कुछ दस्तावेज मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनको रखा नहीं जाता है।

अध्यक्ष महोदय : ये दूसरी बातें हैं। प्रश्न यह है कि क्या उसको उपलब्ध दस्तावेजों को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है क्योंकि हो सकता है उसको सहयोग न मिल रहा हो।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : निगम पूरा सहयोग दे रहा है। उसको सभी दस्तावेज दिखाये जा रहे हैं।

Shri Kishen Pattnayak : There was a complaint against an officer and last time it was also asked that 'P' form had been obtained on a fictitious telex message and after that he went to America. What has happened about that ?

श्री चे० मु० पुनाचा : टेलेक्स सन्देश के सही होने के बारे में कुछ संदेह था और उसकी पड़ताल की गई थी ; न्यूयार्क से आने वाले सन्देश से ठीक होना सिद्ध हो गया है और उस सम्बन्ध में अग्रेतर जांच का कोई मामला नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Last time the Hon. Minister had stated that so long as they are the employees of the Air India Corporation, Government can investigate and Government can not do anything after they get employment in private service. The bungling of enormous amounts of foreign exchange, jewellery and diamonds is going on. The people are travelling with obtaining the 'P' form. Is the Hon. Minister in a position to say that even after going into private service investigations against the accused persons will be completed and full action taken against them including the termination of their services and forfeiture of the whole of their property ?

श्री संजीव रेड्डी : कल इस पर आधे घन्टे की चर्चा हुई थी, और मैंने सारा मामला कल साफ तौर से बता दिया था। कुछ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी राय यह थी कि जब निगम में सेवा की शर्तों के अन्तर्गत एक खंड है कि निगम एक महीने की सूचना देकर किसी भी कर्मचारी को निकाल सकता है, और कर्मचारी भी एक महीना की सूचना देकर इस्तीफा दे सकता है। परन्तु यदि कर्मचारी ने कोई अपराध किया है तो, प्रवर्तन निदेशालय, कर्मचारी के इस्तीफे के बावजूद और दूसरे काम पर लगने के बावजूद भी मामले की जांच कर सकता है, और उसे बुलाया जा सकता है, उसका साक्ष्य लिया जा सकता है और दण्ड भी दिया जा सकता है। वह तरीका चल रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसमें कितना समय लगेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Hon. Minister had said in clear words.....

अध्यक्ष महोदय : शायद कल यह कहा गया था कि यदि कोई सेवा निवृत्त हो गया और किसी गैर-सरकारी कम्पनी में उसने नौकरी कर ली तो सरकार उसके बाद कुछ नहीं कर सकती।

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं, प्रवर्तन निदेशालय जांच जारी रख रहा है.....

श्री दाजी : प्रश्न को उलझाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि पहले से दर्ज किया गया कोई मामला है, तो प्रवर्तन निदेशालय या अन्य कोई अभिकरण इसके अन्त तक इसका अनुसरण कर सकता है। परन्तु जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़कर किसी गैर-सरकारी कम्पनी या व्यक्ति के पास नौकरी कर लेता है तो क्या उसके विरुद्ध कुछ तथ्यों के प्रकाश में आने के बाद उसका पीछा किया जा सकता है ? यही प्रश्न है न ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Not only that, when the Government can arrest persons in other vocations,it should also arrest these persons and confiscate their property.

श्री संजीव रेड्डी : बिल्कुल यही मैंने कहा है। जब कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है तो आप उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकते। हमको यह सलाह दी गई थी क्योंकि यह एक पारस्परिक समझौता है जो कम्पनी और व्यक्ति दोनों के लिए लाभप्रद है। कम्पनी भी किसी कर्मचारी को, यदि वह उसके काम से संतुष्ट नहीं है तो एक महीने की सूचना देकर निकाल सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी भी एक महीने की सूचना देकर इस्तीफा दे सकता है। यदि वह किसी गैर-सरकारी कम्पनी में नौकरी कर लेता है तो भी प्रवर्तन निदेशालय को उसकी परीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है और यदि कोई अपराध है तो वह उसको दण्ड दे सकता है। अब उसका अनुसरण किया जा रहा है।

श्री दाजी : प्रश्न आपराधिक दायित्व का नहीं है। जिन मामलों में आपराधिक दायित्व होता है उन मामलों में तो प्रवर्तन निदेशालय अनुसरण कर सकता है। यदि किसी विधि या उपविधि का उल्लंघन नहीं किया गया है और निगम द्वारा विहित संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो क्या ऐसे मामले में अनुसरण किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप विधि के एक काल्पनिक प्रश्न को पूछ रहे हैं। यहां पर कानूनी रायें नहीं ली जा सकतीं (**व्यवधान**)

श्री दाजी : मेरा प्रश्न है : जब किसी गंभीर अनियमितता का पता लगता है, जब अपराध यह है कि कर्मचारी विमान पर निषिद्ध गोला-बारूद ले आया जिससे यात्रियों और कर्मचारियों की जान को खतरा हो गया तो ऐसे मामले में भी उसको केवल भर्त्सना देकर ही छोड़ दिया गया है। क्या यह पर्याप्त दण्ड है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : डा० लोहिया ने जो प्रश्न पूछा था वह उन व्यक्तियों के बारे में था जो एयर इण्डिया की सेवा छोड़कर चले गये हैं। यदि कोई व्यक्ति एयर इण्डिया को छोड़कर चला जाता है तो उसने अपने सेवाकाल में जो अनियमितताएं की हैं उनके बारे में उसके विरुद्ध बाद में भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री दाजी : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि चार में से एक अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है। एक अधिकारी विमान में निषिद्ध गोला बारूद लाया था.....

श्री चे० मु० पुनाचा : वह अब भी एयर इण्डिया की सेवा में है ।

श्री दाजी : जबकि ऐसा गंभीर दुराचार है, जबकि पहले तो यह तस्करी का अपराध है और दूसरे उसने सभी यात्रियों की जान के लिये खतरा पैदा कर दिया, तो फिर उसको केवल भर्त्सना देकर ही क्यों छोड़ा गया ?

श्री हरि विष्णु कामत : उसे नौकरी से निकाल दो ।

श्री दाजी : क्या ऐसा इसलिये है कि वह एक बड़ा अफसर है ।

श्री संजीव रेड्डी : ऐसा नहीं है । निगम ने प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है । हम इसके निर्णय से सहमत न करें यह एक अलग बात है । निगम ने इसकी जांच की है और कुछ कार्यवाही की है ।

जम्मू तथा काश्मीर में आम चुनाव

*335. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर में आम चुनाव कराने के लिये किये गये कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : जम्मू तथा काश्मीर में साधारण निर्वाचन कराने के लिए किये गये या किये जाने वाले कार्यों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं —

(1) यह विनिश्चित किया गया है कि लोक सभा में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को आवंटित छः स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे । इस प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 81 को, जम्मू तथा काश्मीर राज्य को उसके लागू होने में, सं० आ० 75, तारीख 29 जून, 1966 द्वारा संशोधित किया गया है । जम्मू तथा काश्मीर राज्य को लागू होने में यथा संशोधित वह अनुच्छेद अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध करता है कि —

(i) जम्मू तथा काश्मीर राज्य को, परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के अधीन गठित भारत के परिसीमन आयोग द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुकूल जैसी वह आयोग ठीक समझे, छः एक-सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा ;

(ii) निर्वाचन क्षेत्र यावत्साध्य भौगोलिक दृष्टि से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करने में भौतिक लक्षणों, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधा का ध्यान रखा जाएगा ।

(2) यथा संशोधित अनुच्छेद 81 के इन उपबन्धों के अनुसरण में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सम्बन्धी कार्य भारत के परिसीमन आयोग द्वारा कुछ ही दिनों में आरम्भ कर दिया जाएगा।

(3) इसी बीच जम्मू तथा काश्मीर राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आरम्भ की जा चुकी है और आशा की जाती है कि नामावलियां नवम्बर, 1966 में तैयार हो जाएंगी।

(4) जहाँ तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचनों का सम्बन्ध है, ये निर्वाचन जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के अधीन कराए जाते हैं। इस अधिनियम को हाल ही में यह उपबन्ध करने के लिए संशोधित किया गया है कि उस राज्य के सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन राज्य सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ नियुक्त किए जाने वाले परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। राज्य परिसीमन आयोग का सेविवर्ग वही होगा जो भारत के परिसीमन आयोग का है। दूसरे शब्दों में भारत के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य राज्य परिसीमन आयोग के क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे। सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बद्ध परिसीमन कार्य भी कुछ ही दिनों में आरम्भ हो जाएगा।

(5) सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां राज्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन तैयार की जाती हैं। किन्तु इन नामावलियों का उपयोग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां तो भारत की नागरिकता पर आधृत हैं जब कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां उस राज्य में स्थायी निवास पर आधृत हैं।

सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां भी तैयार हो रहीं हैं और ये भी लगभग उसी समय पूरी होंगी जब कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां।

Shri Yashpal Singh : Will there be direct elections or they will take their own men as before ?

Mr. Speaker : It has been stated there will be direct election.

Shri Yashpal Singh : In what manner ? How many State Legislative Assembly Seats will be equal to one Parliamentary seat ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जबकि लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिये भारत का नागरिक होना आवश्यक है, राज्य विधान सभा के लिये वहां का निवासी होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभा के कितने स्थान एक संसदीय स्थान के बराबर होंगे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं यह बताने कि स्थिति में नहीं हूँ। मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं।

Shri Yashpal Singh : Will the election of Bakhshi Gulam Mohammad, who has been exonerated by the Supreme Court, be declared valid candidate ?

Mr. Speaker : Government cannot do this.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या पंजाब के कुछ हजार लोग, जो अब जम्मू तथा काश्मीर में स्थायी रूप में बस गये हैं, तथा जिनको अभी भी मताधिकार प्राप्त नहीं है, संसदीय चुनाव-क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में सरकार से मिले हैं ? क्या सरकार निश्चित रूप में बतायेगी कि उन्हें संसदीय क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त होंगे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं इसे जिस प्रकार बता चुका हूं उससे अधिक अच्छी तरह नहीं बता सकता। इस सम्बन्ध में भारतीय नागरिकता को ही जान बूझकर कसौटी माना गया है तथा परिसीमन आयोग वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान देगा। माननीय सदस्य इसी विषय में सोच रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : पुर्तगाली राष्ट्रीय सभा में अब भी गोवा, दमन, दीव, दादरा तथा नागर हवेली के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, जबकि ये अब भारत के हिस्से हैं। क्या जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में तथा जहां तक संसद में प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, आजाद काश्मीर के लोगों के तथा उन क्षेत्रों के जो अब पाकिस्तान ने चीन को दे दिये हैं प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे हो सकता है ? **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या जम्मू तथा काश्मीर में राज्य विधान सभा तथा संसद के चुनाव देश के दूसरे भागों में होने वाले आम चुनावों के साथ ही साथ होंगे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह सम्भव हो सकता है, इससे अधिक इतनी जल्दी और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि यह सम्भव होगा ही।

श्री हरिविष्णु कामत : श्रीमान, एक व्यवस्था के प्रश्न पर, आपने मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा के प्रश्न के विरुद्ध व्यवस्था दे दी है। संविधान के अनुच्छेद एक के अन्तर्गत सम्पूर्ण जम्मू तथा काश्मीर राज्य भारत का हिस्सा है। वे हमेशा यही कहते आये हैं कि यह भारतीय संघ का अविभाज्य अंग है। अब एक नया कानून पास किया गया है जिसके अनुसार निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र जम्मू तथा काश्मीर तक बढ़ा दिया गया है। अब निर्वाचन-आयोग निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन कर रहा है। चुनाव-आयोग, जिसका अधिकार-क्षेत्र अनुच्छेद 1 के अन्तर्गत सम्पूर्ण जम्मू तथा काश्मीर तक बढ़ाया गया है, को जम्मू तथा काश्मीर

के अधिकृत हिस्सों के सहित सम्पूर्ण जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये भविष्य में कोई व्यवस्था करनी होगी। आप इस प्रश्न के विरुद्ध कैसे व्यवस्था दे सकते हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा : मेरे माननीय मित्र श्री कामत एक संविधान-विशेषज्ञ हैं तथा मेरे विचार में जो कुछ उन्होंने कहा है वह ठीक है और उस पर विचार होना चाहिये।

श्री त्यागी : समय और विषय की दृष्टि से स्थानों को रिक्त छोड़ा जा सकता है।

श्री हरिविष्णु कामत : श्रीमान् उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पूछूँगा। श्री रघुनाथ सिंह।

श्री रघुनाथ सिंह : काश्मीर में परिसीमन का कार्य कब आरम्भ होगा तथा राज्य से परिसीमन-समिति की सलाहकारी-निकाय के सदस्यों की संख्या कितनी होगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वही आयोग है जो वहां चन्द दिनों में जा रहा है। सलाहकारी-निकाय के सदस्यों की संख्या मैं अभी नहीं बता सकता, किन्तु बाद में बताऊँगा।

Shri Gopal Datt Mengi : Persons who have gone there from Panjab and settled there, will have the right of vote for Parliamentary seat but they will not have right of vote for the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir because they could not become permanent citizens of Jammu and Kashmir, though they have been living there for the last 18 years. May I know how many years more will it take them for having the right of vote for the State Legislative Assembly ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरे विचार में इस प्रश्न से वह प्रश्न नहीं उठता। किन्तु यह निर्भर करता है..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे वहां 18 वर्षों से रह रहे हैं और अभी उन्हें मताधिकार नहीं मिला है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Please ask them to speak out after thoughtful consideration.

Mr. Speaker : They might have thought over it.

Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : At present the constitution of Jammu and Kashmir and Representation of People's Act Jammu and Kashmir are in force there and the election of State Assembly takes place on the basis of permanent residence provided therein. I am reading out to you the provision in respect of permanent resident.....

Mr. Speaker : This does not include those who have gone from Panjab.

Shri G. S. Pathak : Whether it includes or not, it depends upon the present provision, provisions for future will have to be thought over ..... (**interruption**).

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It has, therefore, been said that question should be answered after having thought over it ..... (**interruption**).

Mr. Speaker : He has given the information that he had with him.

श्री त्यागी : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि अधिकृत काश्मीर के भारत का अविभाज्य अंग होने के कारण संसद में उनके हिस्से में आने वाले स्थानों को तब तक रिक्त रखा जायेगा, जब तक कि वहां पर भी काश्मीर विधान सभा की तरह स्वतंत्र चुनाव नहीं होते ? मैं जानता हूँ कि काश्मीर विधान सभा में उनके लिये अधिकृत काश्मीर द्वारा चुनाव में भाग न ले सकने के कारण कुछ स्थान रिक्त छोड़े जाते हैं। इसी प्रकार क्या हम यहां भी, जब तक कि उसे फिर से प्राप्त नहीं कर लेते, उनके लिये रिक्त स्थान छोड़ेंगे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं यह अवश्य परिसीमन आयोग से कहूँगा। जहां तक इस भाग का सम्बन्ध है, वे कहते हैं कि इसे नक्शे के द्वारा परिसीमित किया जा सकता है।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तानी घुसपैठिये या प्रवासी जो 10 या 15 वर्षों से आसाम में बस गये हैं, उन्हें नागरिकता के तथा मत प्रकट करने के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। लेकिन यहां ऐसे लोगों का उदाहरण है जो पंजाब से काश्मीर गये थे और 18 वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं तथा उनको जम्मू तथा काश्मीर के मतदाताओं के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था नहीं हो सकी। यह एक दोषपूर्ण भेद-भाव है। इस कार्यवाही के द्वारा सरकार पंजाब से काश्मीर जाने वाले इन लोगों को भारत में दूसरे दर्जे के नागरिक बना रही है।

श्री गोपाल दत्त मैंगी : इतना ही नहीं, वे राज्यहीन लोग भी हैं।

श्री हेम बरुआ : जब कि पाकिस्तान से आकर आसाम में बसने वाले लोगों को यह अधिकार दिया गया है। क्या सरकार इस संदर्भ में संविधान में आवश्यक संशोधन कर अनुच्छेद 370, जो इस विशेष मामले में बाधक है, को रद्द करने की व्यवस्था कर रही है तथा जो लोग पंजाब से जम्मू तथा काश्मीर में जाकर बस गये हैं उनको मताधिकार देने जा रही है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस समय सरकार के सामने अनुच्छेद 370 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचार से सरकार को अवगत करूँगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य द्वारा कही गई सभी बातों पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जब पाठ्य-पुस्तकों, जिनमें दोषपूर्ण तथ्य दिये गये हैं, का प्रश्न इस सभा में उठा तथा इसकी सूचना काश्मीर सरकार को दी गई तो काश्मीर के सरकारी क्षेत्रों में संसद तथा भारत सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया। यह सब अनुच्छेद 370 के अब भी जारी रखने के कारण हुआ। इसलिये, वहां की सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के अतिरिक्त, क्या विधि-मंत्रालय वहां के लोगों को नागरिकता तथा मताधिकार देने की बात पर जोर दे रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वे कह चुके हैं कि इस पर ध्यान दिया जायेगा। यह कार्यवाही करने का एक सुझाव मात्र है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हो रहा हूं। माननीय विधि मंत्री, जो एक अच्छे भिज्ञ व्यक्ति हैं, पाकिस्तानी घुसपैठियों, जिन्हें तीन साल के बाद नागरिकता के अधिकार दिये गये हैं तथा जिनके विषय में अभी जांच हो रही है तथा उन पंजाबी-हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों में जो पिछले 18 वर्षों से वहां जाकर बस गये हैं, अन्तर स्पष्ट करने में असफल रहे। मैं इस अन्तर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ ...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जिसका मुझे उत्तर देना है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसी प्रश्न पर उठता है। क्या मंत्री कक्षों को, तथा उस पर भी सरकार के विधि-मंत्री को ऐसी कानूनी स्थिति के बारे में कहने की छूट दी जा सकती है जो वास्तव में है ही नहीं? **उदाहरणत:** मंत्री महोदय ने कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था के धारण किये जाने पर, जहां तक संसदीय प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, जन प्रतिनिधान अधिनियम को अनुच्छेद 370 की वर्तमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू किया गया है। अत: प्रश्न उठता है कि क्या सरकार के लिये "निर्वाचकों" शब्द की ऐसी परिभाषा देना संभव नहीं था जैसी कि भारतीय जन प्रतिनिधान अधिनियम में दी गई है ताकि यह जम्मू तथा काश्मीर जन प्रतिनिधान अधिनियम, 1957 पर भी लागू हों।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मुझे इस व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं देना है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : श्रीमान, मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की असंगत कानूनी स्थिति को सभा के सामने रखा जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह असंगत है तो दूसरे उपाय भी हो सकते हैं। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री काशीराम गुप्त : श्रीमान, मेरा व्यवस्था-प्रश्न साधारण है। हमारे संविधान के अनुसार हरेक मतदाता को संसद तथा विधान सभा दोनों क्षेत्रों में मत देने का अधिकार है। अत: जम्मू तथा काश्मीर के विधान सभा के मतदाता को भी संसदीय चुनाव-क्षेत्र के लिये मत देने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सका है। पहिले वहां कोई चुनाव नहीं होता था। अब वहां संसद के लिये भी चुनाव की व्यवस्था है तथा ऐसी स्थिति में विधान सभा के मतदाता को वर्तमान संविधान की संसदीय चुनाव क्षेत्र-व्यवस्था के अन्तर्गत संसद के लिये मत देने के अधिकार से वञ्चित नहीं रखा जा सकता .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य यह भूल रहे हैं कि जम्मू तथा काश्मीर के लिये भी एक संविधान तथा एक जनप्रतिनिधान अधिनियम है।

श्री काशीराम गुप्त : हमारा संविधान उससे ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कोई व्यवस्था प्रश्न नहीं है।

श्री हेम बरुआ : विधि मंत्री महोदय ने हमारे संविधान का सफलता के साथ उल्लंघन किया।

समेकित पर्यटन विकास कार्यक्रम

+

*336. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 3 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1459 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित पर्यटन विकास कार्यक्रम तैयार करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपने अंतिम प्रस्ताव भेज दिये हैं ; और

(ग) इन योजनाओं पर अनुमानत: कितना धन व्यय होगा तथा कुल परिव्यय कितना होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) पर्यटक केन्द्रों/क्षेत्रों के समेकित विकास के लिये अभी योजनाओं के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) कुछ राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं किन्तु अभी कुछ राज्यों से उनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) योजनाओं का प्राक्कलित व्यय, प्रत्येक योजना के विभिन्न अंगों की अन्तिम सीमा और आकार पर निर्भर करेगा और इसका आकलन संपूर्ण कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद किया जा सकेगा।

श्री लिंग रेड्डी : उपमंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की कि कुछ राज्यों ने अपनी योजनायें भेज दी हैं। क्या इस समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मैसूर सरकार ने भी कोई योजना भेजी है? यदि हां, तो योजना का क्या नाम है तथा उस पर कितना व्यय होगा ?

श्रीमती जयपाल सिंह : मैसूर राज्य ने भी अपनी योजनायें भेजी हैं और अब उनकी जांच हो रही है।

श्री लिंग रेड्डी : क्या यह सच है कि तीसरी योजना में विदेशी पूंजी की आय घट गई है तथा यह कार्यक्रम विदेशी पूंजी की आय बढ़ाने के लिये है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : नई योजनाओं की रूप रेखा तैयार की जा रही है तथा राज्य सरकारें अपनी सिफारिशें भेज रही हैं। धन की उपलब्धि के अनुसार हम कुछ चुनी हुई योजनाओं को विकसित करने के लिये लेंगे ताकि हम विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या आप जम्मू तथा काश्मीर से लोक सभा के लिये चुनाव लड़ सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं लड़ सकता हूँ।

श्री हेम बरुआ : क्यों?

प्रश्न काल समाप्त हो गया

अध्यक्ष महोदय : एक अल्प-सूचना प्रश्न है। श्री मोहन स्वरूप। वह अनुपस्थित हैं। हम अब ध्यानाकर्षण सूचना लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में वनस्पति घी की कमी

*337. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री वसुमतारी : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री बड़े :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वनस्पति घी की कमी के बारे में की गयी जांच का क्या परिणाम रहा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जांच से पता चलता है कि दिल्ली को वनस्पति की सामान्य सप्लाई मिलती है मगर यह कमी अंशत: दिल्ली से बाहर के स्थानों पर अत्यधिक माल भेजने और अंशत: अप्रैल-मई, 1966 में विवाह के मौसम के कारण मांग बढ़ जाने से हुई थी।

(ख) निम्मलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) दिल्ली से बाहर उत्पादकों के अलावा व्यक्तियों द्वारा वनस्पति के ले जाने पर 31-5-66 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(2) दिल्ली में वनस्पति के थोक एवं खुदरा व्यापार को 6-6-66 से सांविधिक नियन्त्रण के अधीन लाया गया है। इसके अन्तर्गत, व्यापारियों को इस उद्देश्य के लिये दिल्ली प्रशासन से लाइसेंस लेना पड़ता है, स्टाक का हिसाब किताब और बिक्री रजिस्टर रखना और प्रत्येक दिन के शुरू में वनस्पति के स्टाक और मूल्यों का प्रदर्शन करना पड़ता है। बिक्री के उपयुक्त व्यवस्था के लिये सरकार अथवा निर्माता (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने की मनाही है।

Decline in Arrival of Grains in Market

*338. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development & Cooperation** be pleased to state :

(a) whether there has been a decline in the arrivals of the principal grains in the market; and

(b) if so, its effect on prices ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) Yes, Sir. The market arrivals of important foodgrains during the current season showed a decline as compared to that of the last season.

(b) The decline in market arrivals has been a contributory factor to the rise in prices. The All India Index Number of wholesale prices of rice rose from 141 in October 1965 to 167 in June, 1966 and that of wheat from 135 in April, 1966 to 142 in June, 1966. The prices indices of coarse grains also showed a rise during the current crop season.

रिवर स्टीम नेवीगेशन कंपनी

* 339. **श्री रा० बरुआ:** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष से उत्पन्न हुई कठिनाइयों के बावजूद आसाम की रिवर स्टीम नेवीगेशन कंपनी नदी परिवहन को चालू रख सकती है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस नदी परिवहन को चालू रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के समय से आसाम क्षेत्र में कंपनी के उपलब्ध जहाजों से, रिवर स्टीम नेवीगेशन कंपनी लि० आसाम में जोगीगोपा से डिबरूगढ़ तक आन्तरिक नदी सेवाओं की व्यवस्था कर रही है ।

उपभोक्ता सहकारी भंडारों को ऋण

* 340. **डा०राम मनोहर लोहिया :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी बैंकों को इस आशय के कोई निदेश जारी किये हैं कि उपभोक्ता सहकारी भंडारों को उधार माल खरीदने के लिये एक निश्चित राशि तक ऋण दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस निदेश की मुख्य बातें क्या हैं ; और इस निदेश से क्या लाभ होने की आशा है ; और

(ग) क्या यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग). इस प्रकार का कोई निदेश जारी नहीं किया गया है, अत: प्रश्न नहीं उठते। उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को अपना कारोबार चलाने के लिए कार्यकर पूंजी की आवश्यकता रहती है। इसलिए उन्हें बैंकों से ऋण लेने पड़ते हैं ; किन्तु बैंक पर्याप्त जमानत के अभाव में अधिक मात्रा में ऋण देने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। बैंकों को अपनी ऋण नीतियां उदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बैंकों द्वारा उपभोक्ता भण्डारों को उन वस्तुओं की खरीद करने के लिए दिए गए सभी ऋणों के 25 प्रतिशत तक की गारंटी देना मंजूर कर लिया है, जो कि बैंकों के पास बन्धक अथवा दृष्टिबन्धक रखे जाएंगे।

रिवर स्टीम नेवीगेशन कंपनी

* 341. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत रिवर स्टीम नेवीगेशन कंपनी को पाकिस्तान की नदियों से होकर गुजरने वाली अपनी सेवायें बन्द कर देने के कारण अब तक कितनी हानि हुई; और

(ख) आसाम और कलकत्ता के बीच इस नदी मार्ग यातायात के लिये खोलने तथा कंपनी के जहाजों को छुड़वाने के लिये पाकिस्तान के साथ हुई बातचीत में कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1965 में कंपनी द्वारा उठायी गई हानि 230 लाख रुपये की प्राक्कलित की जाती है। इसका मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान होकर कंपनी की नदी सेवा का निलंबित हो जाना है। 1966 के वर्ष की हानि की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) मामले पर अभी पाकिस्तान सरकार से बातचीत चल रही है।

सूरतगढ़ फार्म के लिए अतिरिक्त पानी

* 342. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में सूरतगढ़ यंत्री कृत फार्म के लिये 100 क्युसेक अतिरिक्त पानी देने की सम्भावना की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सुझाव दिये हैं और इन सुझावों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने अभी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

गेहूं तथा चावल के मूल्य

* 343. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती जयावेन शाह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा गेहूं, चावल तथा बाजरा किन दरों पर खरीदे गये और वे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उन्हें किन मूल्यों पर बेच रही हैं;

(ख) क्या ये मूल्य 'बिना लाभ हानि आधार पर' निर्धारित किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ये खाद्यान्न, जिनका भारतीय खाद्य निगम द्वारा समाहार किया गया है, किन मूल्यों पर सप्लाई कर रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ग). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारतीय खाद्य निगम केवल गेहूं और चावल की खरीदारी कर रहा है और न कि बाजरा की। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकारी भण्डारों से दिये गये गेहूं और चावल का निर्गम मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6713/66] ये मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सप्लाई किये गये स्टाक पर भी लागू होते हैं।

राज्यों में विकास खंड

* 344. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में विकास खंडों का भविष्य क्या है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के पदों को समाप्त करने का परीक्षण सामुदायिक विकास खण्डों के कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कम खर्चीला सिद्ध हुआ है और यदि हां, तो क्या यह परीक्षण अन्य राज्यों पर भी लागू किया जायेगा ;

(ग) क्या तहसील और सामुदायिक विकास खण्ड क्षेत्रों के रूप में भू-राजस्व डिवीजन उसी प्रकार से बनी रहेंगी और यदि नहीं, तो अन्य कौन सी योजना अथवा प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में एक जैसा सामुदायिक विकास कार्यक्रम तैयार करने में कितना समय लगने की सम्भावना है और अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रमों के विस्तार के लिए उन्हें कैसे प्रयोग में लाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) से (घ). सामुदायिक विकास तथा खण्ड संगठन से सम्बन्धित नीति के लिए भावी उपागम, विशेष रूप से अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता के संदर्भ में, तैयार कर लिए गए हैं और उन पर इस महीने के अन्त में सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाना है। इस बारे में नीति के अनुदेशों को उसके बाद अंतिम रूप दिया जाएगा ।

खण्ड विकास अधिकारियों के पदों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप, खण्ड संगठन के लिए अन्य प्रबन्धों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने अंतिम निर्णय अभी हाल ही में किया था। अभी परिणाम आंकने का समय नहीं हुआ है ।

उड़ीसा के दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों में मृत्यु

* 346. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद ।**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 से उड़ीसा में दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों में अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;

(ख) यदि हां, तो भुखमरी से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) क्या इसी अवधि में पीने के पानी की कमी के परिणामस्वरूप विभिन्न रोगों से भी मृत्यु हुई ; और

(घ) क्या पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ग). मई, 1966 से उड़ीसा के कमी वाले क्षेत्रों में विभिन्न बीमारियों और पीने के पानी की कमी से हुई किसी भी मौत के बारे में सूचना उड़ीसा सरकार से मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी। भुखमरी के कारण कोई मौत नहीं हुई है।

(घ) जी हां।

एंग्लो इण्डिया जूट कम्पनी

* 347. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंग्लो-इण्डिया जूट मिल्स कम्पनी को इथोपिया में ऊनी कपड़ा मिल में प्रस्तावित निवेश योजना के लिए अब स्वीकृति दे दी गई है अथवा उसे अस्वीकार कर दिया गया है ;

(ख) क्या कम्पनी के कुछ अंशधारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर पूरी तरह विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): (क) इथोपिया विनचर में कम्पनी द्वारा प्रस्तावित निवेश का आवेदन पत्र समवाय विधि बोर्ड द्वारा अब अस्वीकृत कर दिया गया है।

(ख) और (ग). आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते समय, विषय पर सब सम्बद्ध बातों और अंशधारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का बोर्ड द्वारा परीक्षण तथा विचार किया गया था।

बिहार में पटसन का उत्पादन

* 348. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में पटसन आयुक्त के नेतृत्व में एक सरकारी दल ने पटसन का उत्पादन बढ़ाने के हेतु एक जोरदार (क्रैस) कार्यक्रम तैयार करने के लिए बिहार में विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का सार क्या है तथा अब तक कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं ;

(ग) उनको क्रियान्वित करने के उपाय और साधन क्या हैं ; और

(घ) उत्पादकों को कहां तक विश्वास में लिया गया है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां ।

(ख) सरकारी दल ने समय पर, आवश्यक वस्तुओं जैसा कि सुधरे हुए बीज, उर्वरक, तथा बीजवपित्र आदि के सम्भरण की व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया है तथा बिहार में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगे कार्यवाही करने पर भी विचार किया है ।

(ग) चौथी योजना के अन्तर्गत समूचे कृषि कार्यक्रम के ढांचे के अन्दर बिहार सरकार ने पहले ही पटसन के विकास की एक योजना को मंजूरी दे दी है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बिहार सरकार को उर्वरक देने के आवश्यक प्रबन्ध कर लिए हैं । राज्य में कृषकों में मुफ्त वितरण के लिए 750 टन यूरिया भी दिया गया है ।

(घ) कार्यक्रम की विभिन्न अवस्थाओं पर उत्पादकों को विश्वास में लिया जाता है ।

सहकारिता आन्दोलन का सुव्यवस्थित किया जाना

* 349. **श्री तुला राम :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री कपूर सिंह : **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री बूटा सिंह : **श्री दलजीत सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सहकारिता आन्दोलन को सुव्यवस्थित करने के बारे में मिर्धा समिति की सिफारिशें मान ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 6710/66]

पर्यटक नियमों का विलय

* 350. **श्री कपूर सिंह :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री बूटा सिंह : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री पर्यटक होटल निगम तथा पर्यटक परिवहन निगम के विलय के बारे में 29 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 859 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक विभाग तथा निगम का प्रस्तावित पुनर्गठित ढांचा इस बीच तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसमें आरम्भ में कितनी पूंजी लगाई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). संभवतः प्रश्न का संकेत तीनों पर्यटक निगमों के प्रस्तावित एकीकरण से है अर्थात्—

(1) भारत पर्यटन निगम लि० ।

(2) होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ।

(3) भारत पर्यटन परिवहन संस्थान लि० ।

इन तीनों निगमों के 1-10-66 तक नये नाम 'भारत पर्यटन विकास निगम लि०' निगम के अन्तर्गत एकीकरण हो जाने की आशा है। इसमें प्राधिकारित पूंजी 5 करोड़ की और लगभग 15 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी और प्रारम्भिक इजरा होगा। निगम पर्यटक प्रचार सामग्री का उत्पादन पर्यटकों के लिए होटलों तथा अन्य आवास की व्यवस्था, सड़क परिवहन सुविधायें, बाजार की सुविधायें, सांध्यकालीन मनोरंजन इत्यादि कार्य करेगा। निगम में एक निदेशक मंडल होगा जिसमें गैर सरकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक होगा। संगठन के पूरे ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजपथ श्रृंखला

* 351. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15000 मील लम्बी राष्ट्रीय राजपथ श्रृंखला का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो 1947 में इस योजना के आरम्भ किये जाने से अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी):(क) जी हां। 261 मील छूटी हुई सड़कों और 72 बड़े पुलों के सिवाय।

(ख) 294 करोड़ रुपये ।

खाद्यान्नों के समाहार मूल्य

* 352. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में 1 जून, 1966 को धान, चना, मकई तथा गेहूं के समाहार मूल्यों तथा उनके बाजार भाव के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो समाहार मूल्यों तथा बाजार भाव में कितना अन्तर था ;

(ग) क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने का विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत सूती माल, पकाने के तेल, मिट्टी के तेल, चीनी, सीमेन्ट आदि अत्यावश्यक तैयार माल इनके निर्माताओं द्वारा वर्तमान बाजार भाव से आधे भाव पर दिया जाना अनिवार्य हो ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ये वस्तुएं उन किसानों को दी जायेंगी, जिन्हें समाहार योजना के अन्तर्गत अपना अनाज बेचना पड़ता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-6712/66]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में अकालग्रस्त क्षेत्र

*353 **श्री ईश्वर रेड्डी**
श्री उमानाथ :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री दे० जी० नायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री किन्दर लाल :
श्री मे० क० कुमारन् :
श्री सेझियान :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने तिरूपति में हाल में हुई अपनी बैठक में केन्द्र से अनुरोध किया है कि इन चार राज्यों के चिरकालीन

अकालग्रस्त क्षेत्रों में सुधार करने के लिये 600 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय योजना बनाई जानी चाहिये ;

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०डी० मिश्रा): (क) यह सुझाव दिया गया था कि चार राज्यों में अकालग्रस्त क्षेत्र के सुधार के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाये किन्तु इस योजना के लिये किसी खर्च का संकेत नहीं किया गया था ।

(ख) तथा (ग). ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया *गया* है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6713/66] उसमें दिए गए सुझावों पर विचार हो रहा है ।

कृषि उत्पादन योजनायें

*354 **श्री गुलशन:**
श्री कपूर सिंह:
श्री नरसिम्हा रेड्डी:
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री स०चं० सामन्त:
श्री भागवत झा आजाद:

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन योजनाओं की सम्भाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने हाल में कई राज्यों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियों तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). कृषि विभाग ने खरीफ फसल की तैयारी के संबंध में अधिक उत्पादन के बीजों आदि के कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श करने के लिये मई, 1966 से जून, 1966 के महीनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल राज्यों में अधिकारियों के दल भेजे हैं । दलों ने राज्यों द्वारा उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये उठाये गये कदमों की सूचना दी है । इस योजना से संबंधित उन्होंने विशेषतया क्षेत्रों के चुनने के बारे में, कृषकों की सूचियां तैयार किये जाने के बारे में तथा उन्हें आवश्यक वस्तुयें जैसा कि बीज, उवर्रक, कीटनाशक दवायें के सम्भरण और ऋण की उपलब्धी तथा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सूचना दी है ।

(ग) राज्य सरकारों ने, जिन्हें ये रिपोर्टें भेजी गई हैं, उनके सुझाव तथा सिफारिशों पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

कृषि संबंधी प्रगति

*355 **श्री कृष्ण पाल सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 के दूसरे पखवाड़े में रोम में हुए विश्व सुधार सम्मेलन में खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक, श्री बी० आर० सेन द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार कृषि की प्रगति में दो मुख्य बाधायें ये हैं—(एक) पर्याप्त विनियोजन की कमी और (दो) वास्तविक प्रोत्साहन की कमी;

(ख) क्या सरकार इस विचार से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) और (ग). साधारणतः सरकार खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के विचारों से सहमत है, इस विषय में एक संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 6714/66]

Intensive Agricultural Programme

*356. **Dr. Mahadeva Prasad :**
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have started intensive agricultural programme in four Districts of every State ;

(b) if so, the broad details thereof and since when this programme has been started ; and

(c) whether any evaluation thereof has been made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes. A programme of intensive cultivation of certain high-yielding varieties of foodgrains has been launched. The number of districts covered by this programme varies from State to State.

(b) The High-Yielding Varieties Programme has been launched in different States from the kharif season of 1966-67. The target of coverage of areas under this programme during the Fourth Five Year Plan is about 32.5 million acres, which is estimated to give an additional production of 25.5 million tonnes of foodgrains. The likely coverage during the current kharif season is estimated at a little over 2 million acres. Coverage during the next rabi season may be of the order of 3·75 million acres.

(c) it is too early to evaluate the results of this programme.

काम न आ सकने वाले जहाजों का हटा दिया जाना

*357 **श्री मं० रं० कृष्ण : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पत्तनों पर ऐसे कितने भारतीय समुद्री जहाज खड़े हैं जो काम करने योग्य नहीं रहे हैं ;

(ख) कुछ वर्ष पहले इन जहाजों का कितना मूल्य था और इस समय उनकी कीमत कितनी रह गई है; और

(ग) क्या ये सभी बेकार जहाज विदेशों को बेच दिये जायेंगे अथवा उन्हें भारत में ही तोड़कर बेच दिया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 11

(ख) ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) काम में न आने वाले 11 जहाजों में से, विदेश में चार जहाजों की और भारत में दो जहाजों की बिक्री की आज्ञा दी जा चुकी है । शेष पाँच जहाजों के मामलों पर जब संबंधित दल सरकार के पास आज्ञा के लिये आयेंगे तब विचार किया जायेगा ।

गुलाबी चने की बिक्री में मुनाफाखोरी

*358 **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एपैक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से राज्य के बाहर गुलाबी चना बेच कर मुनाफाखोरी की है ;

(ख) यदि हां, तो यह चना किस मूल्य पर खरीदा गया था और किस मूल्य पर बेचा गया था ;

(ग) क्या इसके बारे में अभ्यावेदन और शिकायतें आई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 6715/66]

प्रबन्ध अभिकरण (मनेजिंग एजेन्सी) प्रणाली

*359 **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रणाली को कब तक समाप्त करने का है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) :(क) जी नहीं, महोदय।

(ख) समवाय अधिनियम की धारा 324 के अधीन तीन वर्षों के भीतर सूती वान, जूट वान, चीनी, सीमेन्ट और कागज, के पांच उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह बात उन मिश्रित कम्पनियों पर भी लागू होगी जिन का कारोबार इन क्षेत्रों में है।

प्रबन्ध अभिकरणों की संख्या को उत्तरोत्तर घटाने के दृष्टिकोण से अन्य स्थापित उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के चालू रहने के प्रश्न पर अगले तीन वर्षों में पुनर्विलोकन किया जायगा।

इस दिशा में नीति सम्बन्धी वक्तव्य सदन में चालू सत्रों के दौरान दिया जायगा।

केरल में मछली उत्पादन

1635. **श्री मे० क० कुमारन:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965-66 में केरल में पहले वर्ष की तुलना में मछली उत्पादन कम हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कितना कम हुआ था ; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) अनुमान है कि समुद्री मछली के उत्पादन में लगभग 1.4 लाख मीटरी टन की कमी हुई।

(ग) 1965-66 में सारडीन की कमी ही इसका मुख्य कारण था।

दक्षिण में गन्ने का उत्पादन

1636. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के दक्षिणी राज्यों में गन्ना और चीनी के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या दक्षिण में चीनी के लिये एक प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). पांच वर्षों में गन्ने और शर्करा का उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6716/66]**

(ग) और (घ). भारत सरकार ने दक्कन और दक्षिण में शर्करा उद्योग की क्षेत्रीय समस्याओं की छानबीन तथा जांच करने और यदि उस क्षेत्र में शर्करा और गन्ने के लिए क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है तो उसके बारे में सुझाव देने हेतु एक समिति स्थापित की है। इस समिति की रिपोर्ट सितम्बर, 66 के अन्त तक मिलने की आशा है।

चावल के वितरण के लिये राज सहायता

1637. **श्री वासुदेवन नायर:** **श्री प्रभात कार:**
श्री वारियर: **श्री मुहम्मद कोया:**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले चावल के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राज सहायता बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल में राशन वाले चावल का मूल्य और बढ़ाने का विचार है; और

(ग) मूल्य में कितनी वृद्धि करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में मछुओं को सहायता

1638. **श्री वासुदेवन नायर:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षा के मौसम में केरल में मछुओं को कोई सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई थी और यह सहायता कितने परिवारों को दी गई थी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां।

(ख) 5095 परिवारों को अपने मकानों पर पुन: छप्पर छाने के लिये प्रत्येक को बीस रुपये नकद दिए गए और 90 परिवारों को मुफ्त चावल दिए गए। अब तक दी गई कुल सहायता लगभग 2 लाख रुपए है।

मत्तुपेट्टी में ढोर नस्ल सुधार परियोजना

1639. **श्री अ० क० गोपालन:**
श्री इम्बीचिबावा:

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में मत्तुपेट्टी में भारत-स्विटजरलैण्ड ढोर नस्ल-सुधार परियोजना कब से आरम्भ की गई थी;

(ख) वहां पर इस परियोजना में कितने ढोर हैं ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत दूध तैयार करने और उसका सम्भरण करने का कोई केन्द्र है ;

(घ) यदि हां, तो यह कहां पर स्थित है ;

(ङ) क्या इसने दूध का संभरण करना आरम्भ कर दिया है ;

(च) यदि हां, तो कब से ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) 27 अगस्त, 1963

(ख) पशुओं की वर्तमान संख्या 274 है।

(ग) इस समय कोई नहीं है। फिर भी भविष्य में इस परियोजना के अन्तर्गत एक छोटा डेरी प्लान्ट लगाया जाएगा।

(घ) से (छ). प्रश्न ही नहीं होता।

कुट्टानद में फसल का तबाह होना

1640. **श्री अ० क० गोपालन:**

श्री इम्बीचिबावा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुट्टानद में फसल तबाह होने के बारे में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र): (क) से (ङ). केरल की सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में जाने और मार्च, 1966 में कुट्टानद में बड़े पैमाने पर धान की फसल के तबाह होने के कारणों का अध्ययन करने के लिए राज्य के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को आदेश दिया जिसमें कृषि के अतिरिक्त निदेशक, राज्य के पौद संरक्षण अधिकारी और कृषि कालिज के रसायन विद्या के प्रोफेसर जो राज्य के कृषि रसायनज्ञ भी हैं शामिल हैं। अधिकारियों का दल क्षेत्र में गया और

राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट के अनुसार विनाशकारी कीटों और मौसम के दौरान धान फसल के रोगों का फूट पड़ना , अनियमित वर्षा , भूमि की क्षारीयता का बढ़ना आदि फसल बरबादी के मुख्य कारण पाए गए । अधिकारियों की रिपोर्ट पर राज्य के कृषि निदेशक को कहा गया कि वे इन कारणों को दूर करने के लिए प्रोफीलैक्टिक स्प्रेइंग, बन्धों का नवीकरण आदि उपायों पर विचार करें। कृषि निदेशक ने केरल की सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कुछ उपाय सुझाये हैं । राज्य सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

बदागारा किनारे का विकास

1641. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की बदागारा किनारे को रमणीक बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). फिलहाल भारत सरकार या केरल सरकार के पास बदागारा बीच को सुन्दर बनाने की कोई योजना नहीं है ।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन

1642. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण की सुविधाओं का सामान्य रूप से तथा विशेषकर सहकारी स्टोरों का विस्तार करने के लिए जून, 1966 में हुए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गयीं; और

(ख) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(1) सहकारी समितियों के माध्यम से धन सुलभ करने की फसल ऋण प्रणाली को वर्ष 1966-67 में देश भर में लागू कर देना चाहिये । सहकारी समितियों को चाहिये कि वे खाद्यान्नों की अधिक पैदावार वाली किस्मों के कार्यक्रम के लिये पर्याप्त ऋण सहायता सुलभ करें । यदि आवश्यक हो तो, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले छोटे किसानों के लिये, अंश-पूंजी ऋण का 5 प्रतिशत हो सकती है जो बाद के वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक

लाई जानी है। यदि कोई केन्द्रीय सहकारी बैंक पर्याप्त साधनों के अभाव में फसल ऋण प्रणाली लागू करने में कठिनाई अनुभव करता है, तो भारत का रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंक लिये ऋण सीमा नियत करती बार सामान्य गुणज सूत्र (नार्मल मल्टीपल फार्मूला) को ढीला करने के बारे में विचार कर सकता है।

(2) उन समितियों को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी उपदान मंजूर करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये जिनकी अन्य एककों के साथ मिलाये बगैर चल सकने की सम्भावना है।

(3) अनेक वर्षों के चिरकालीन अतिदेयों वाले क्षेत्रों में ऋण स्थिरीकरण की विशेष समस्या की जांच की जानी चाहिये।

(4) वर्ष 1966-67 में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के लिये एक त्वरित कार्यक्रम चालू किया जाना चाहिये। उपभोक्ता सहकारी समितियां उन नगरों, जिनमें ये भण्डार काम करते हैं, की 20 प्रतिशत आबादी को अपने अन्तर्गत लाने और वहां का 20 प्रतिशत खुदरा व्यापार अपने हाथ में लेने के लिये एक प्रबल अभियान शुरू करें। नियत आय वाले वर्गों को शत-प्रतिशत इनके अन्तर्गत लाने की दिशा में प्रयत्न किये जायें। थोक उपभोक्ता भण्डारों को चाहिये कि वे भारत के स्टेट बैंक तथा अन्य अनुमत बैंकों से कार्यकर पूंजी लेने के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित गारंटी योजना का पूरा-पूरा लाभ उठायें।

(5) थोक भण्डारों तथा बहु-विभागी भण्डारों को अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई उपलब्ध करने में सहायता देने के लिये केन्द्रीय खरीद तथा सम्भरण संगठन को राष्ट्रीय तथा राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों के निकट सम्पर्क में काम करना चाहिये।

(ख) जहां तक सहकारी ऋण का सम्बन्ध है, फसल ऋण प्रणाली महाराष्ट्र, गुजरात और मद्रास के कुछ भागों में अपनायी जा चुकी है और चालू वर्ष में इसे अन्य सभी राज्यों में चालू किया जा रहा है। उपरोक्त भाग (1), (2) व (3) के अन्तर्गत दिये गये अन्य सुझावों की जांच की जा रही है।

जहां तक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का सम्बन्ध है, राज्यों में बहु-विभागी भण्डारों तथा नये थोक भण्डार/प्राथमिक एकक अथवा शाखाएं स्थापित करने के लिये एक सोपानवार कार्यक्रम तैयार किया गया है। नये एकक खोलने के लिये अपेक्षित केन्द्रीय सहायता पश्चिमी बंगाल तथा आंध्र प्रदेश की सरकारों और दिल्ली प्रशासन को दी जा चुकी है। दिल्ली में एक बहु-विभागी भण्डार ने काम करना शुरू कर दिया है और अन्य राज्यों में ये एकक गठन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

नेफा में सहकारी परिवहन समितियां

1643. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा क्षेत्रों में सहकारी परिवहन समितियों के विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(ख) बोमडिला की मौजूदा परिवहन समिति की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनको सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सर्व ऋतु मोटरों की सड़कों का विकास हो जाने के कारण, प्रशासन ने नेफा में यात्री परिवहन का सहकारीकरण करने का निर्णय किया और इस निर्णय को क्रमिक रूप से लागू किया गया है। सड़क से जुड़े हुये लगभग सभी क्षेत्रों में परिवहन सहकारी समितियां हैं और कुछेक स्थानों में उन्होंने अपनी गाड़ियां चलानी शुरू कर दी हैं। समितियों को माल ढोने का काम हाथ में लेने के लिये भी प्रोत्साहित किया गया है। परिवहन क्षेत्र की सहकारी गतिविधियों का विस्तार विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6717/66]**

समन्वित विकास करने की दृष्टि से कुछेक समितियों ने परिवहन सहकारी समितियों के सहायक के रूप में पैट्रोल पम्प लिये हैं। ये बोमडीला, कीमिन, खोंसा तथा तेजु में स्थित हैं। पहले तीन को लगभग पूरा कर दिया गया है, जब कि चौथे के लिये इण्डियन आयल कारपोरेशन ने हाल ही में मंजूरी दी है। पैट्रोल पम्प चलाने के लिये निम्न राशियां मंजूर की गई हैं :—

	ऋण	हिस्से में योगदान	उपदान
	(रु०)	(रु०)	(रु०)
1. कमेंग ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव, बोमडीला।	35,000	40,000	—
2. तिरप ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव, खोंसा।	10,000	10,000	15,000
3. लोहित ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव, तेजु।	10,000	—	15,000

बोमडीला, खोंसा और तेजु ट्रांसपोर्ट समितियों में प्रशिक्षित प्रबन्धक रखे गये हैं। प्रबन्धकों के वेतन पर होने वाले खर्च का 75 प्रतिशत भाग सरकार देती है और शेष सम्बन्धित समिति देती है।

(ख) बोमडीला में कमेंग ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी ने संतोषजनक रूप से कार्य किया है। दो सहकारी संस्थाओं की सदस्यता को मिलाकर (6 विलेज काउंसिल्स के परिवारों सहित) कुल सदस्य संख्या 611 है, जो कि दूर-दूर बसे इलाके के लिये काफी अधिक है। कमेंग ट्रांसपोर्ट सहकारी समिति के सामने अब तक मुख्य समस्या गाड़ियों की कमी थी, जो कि अब हल की जा रही है। सात गाड़ियां ले ली गई हैं और आशा है कि लगभग महीने भर में वे समिति को मिल जाएंगी। इन अतिरिक्त गाड़ियों से न केवल इस क्षेत्र की यात्री परियात की आवश्यकताएं ही पूरी होंगी बल्कि माल परियात की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और ये नये स्थापित किये गये पैट्रोल पम्प को भी नियमित रूप से फीड करेंगी।

धान उगाही आदेश

1644. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 की धान की फसल के समय किन-किन राज्यों में धान उगाही आदेश लागू था;

(ख) प्रत्येक राज्य में धान उगाही आदेश की मुख्य रूपरेखा क्या है, और प्रति एकड़ उगाही की दर क्या है, और यदि कोई छूट दी जाती है तो कितनी तथा क्रय मूल्य दर क्या है;

(ग) धान उगाही आदेश के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितनी मात्रा में खाद्यान्न की उगाही करने की मांग की गई थी और प्रत्येक राज्य में कितनी उगाही की गई; और

(घ) उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने के मामलों में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत अथवा अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने मुकदमें चलाये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6718/66]

(ग) और (घ). सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चीनी के निर्यात से आय

1645. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में चीनी के निर्यात से होने वाली आय पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह आय कितनी कम हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). निर्यात के लिये शर्करा की बिक्री पंचांग वर्ष के आधार पर की जाती है। 1965 और 1964 में इस बिक्री से विदेशी मुद्रा की कमाई क्रमश: लगभग 11 करोड़ रुपये और 19 करोड़ रुपये हुई थी। यह अन्तर लगभग 8 करोड़ रुपये था।

बड़ौदा में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 का एलाइनमेंट

1646. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा नगर में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 को नगर के बाहरी भाग से निकाला जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). जी हां। बाहरी सड़क के लिए एक संरेखण पर विचार कर उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है किन्तु धन की कमी के कारण परियोजना प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

धान की खरीद

1647. **श्री वै० तेवर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में मद्रास राज्य के तंजावूर जिले में कुल कितना धान खरीदा गया था; और

(ख) तंजावूर जिले में वर्तमान चावल मिल की चावल कुटने की वार्षिक क्षमता कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मेनन):

(क) 1964-65 — 6.69 लाख मीटरी टन।
1965-66 (30-7-66 तक) — 4.37 लाख मीटरी टन।

(ख) धान के हिसाब से 9.23 लाख मीटरी टन।

तंजावूर जिले में चावल की मिलें

1648. **श्री वै० तेवर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तंजावूर जिले में तिरूवरूर में जैसी चावल की मिल है वैसी ही और चावल मिलें स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): जी, हां तिरूवरूर में जैसी मिल है, तंजावूर जिले में वैसी चार आधुनिक मिलें लगाने का एक प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है।

तिरूवरूर में चावल मिल

1649. **श्री वै० तेवर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूवरूर में केन्द्रीय सरकार के सहयोग से स्थापित की गई चावल मिल में अन्य मिलों की तुलना में धान का छिलका उतारने की प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) इस मिल की छिलका उतारने की वार्षिक क्षमता कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) तिरूवरूर की आधुनिक चावल मिल के अल्पकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी आरम्भिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रयोग की गई धान की किस्म पर निर्भर करते हुए आधुनिक मिल से धान से छिलका उतारने की प्रतिशतता 4 प्रतिशत पालिश पर 73.7 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच है। यह उस क्षेत्र की पुरानी चावल मिलों में धान से छिलका उतारने की प्रतिशत से 2 से 5 प्रतिशत अधिक है।

(ख) इस मिल की क्षमता 300 दिन, 24 घण्टे के काम के दिन के साथ 28,000 मीटरी टन धान प्रति वर्ष है।

मद्रास राज्य में धान का छिलका उतारना

1650. **श्री वै० तेवर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के तंजावूर जिले में वसूल किया गया धान छिलका उतारे बिना अन्य जिलों तथा केरल राज्य को भेजा जा रहा हैं, जब कि इस जिले में मिलें छिलका उतारने के लिए पर्याप्त मात्रा में धान न मिलने के कारण बन्द पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य जिलों और राज्यों को भेजने से पहले इसी जिले में ही धान का छिलका उतारने का कोई प्रस्ताव है ताकि मौजूदा मिलों की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके तथा साथ ही बैलों आदि के लिए काफी मात्रा में भूसी मिल सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

तंजावूर जिले में गोदाम

1651. **श्री वै० तेवर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे तंजावूर जिले में केवल दो केन्द्रीय गोदाम हैं, जहां पर

जिले के विभिन्न भागों से वसूल किया गया धान वसूली के तुरन्त बाद भेज दिया जाता है और फिर वहां से छिलका उतारने के लिए मिलों को ले जाया जाता है तथा फिर गोदाम में रखने के लिए वापस भेज दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों पर जहां रेलवे तथा छिलका उतारने की सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं, गोदामों की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख). खाद्य विभाग का तंजावूर में कोई गोदाम नहीं है। तथापि, केन्द्रीय भाण्डागार निगम के तंजावूर और गन्ना रगड़ी में दो दो गोदाम हैं। प्रत्येक गोदाम की खाद्यान्न संचयन करने की क्षमता 50,000 टन है। इन गोदामों में भारतीय खाद्य निगम की ओर से खाद्यान्नों का संचयन किया जाता है और कुम्बकोनम में 35,000 टन खाद्यान्न रखने की क्षमता का एक सामान्य भाण्डागार है। भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक मद्रास राज्य में अधिप्राप्ति का कार्य अपने हाथ में नहीं लिया है और इस समय राज्य सरकार तंजावूर के गोदामों को इस्तेमाल कर रही है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने गोदाम सम्बन्धी सुविधाओं को अन्य स्थानों पर सुलभ करना इसलिए आवश्यक नहीं समझा है क्योंकि मौजूदा गोदामों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। जब आवश्यक होगा इस प्रश्न पर तब भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा और विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल

1652. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों पर वर्तमान पुलों में परिवर्तन करने और नये पुल बनाने के मामले में राज्य सरकारों और उनके मंत्रालय के बीच कोई मतभेद चल रहा है ;

(ख) क्या इस मतभेद को निपटाने के लिए कोई समिति बनाई गई है ; और

(ग) अब तक कितने झगड़े निपटाये जा चुके हैं तथा कितने निपटाने शेष हैं और उन कामों के नाम क्या हैं तथा वे विवाद कब से अनिर्णीत पड़े हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). संभवतः प्रश्न का संकेत दिसम्बर, 1965 में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी समिति से है जो ऐसे मामलों का फैसला करेगी जिसमें राष्ट्रीय मुख्य मार्गों पर पुलों के नीचे बढ़े हुए जल प्रवाह की व्यवस्था की आवश्यकता के ऐसे कारणों से सम्बद्ध परिवहन तथा विमानन मंत्रालय (सड़क पक्ष) और राज्य बाढ़ नियंत्रण अधिकारी के बीच झगड़ा हो जिनके

परिणामस्वरूप मौजूदा पुलों से परिवर्तन या नवीन पुलों का निर्माण और ऐसे परिवर्तन की लागत का आयतन हो । फिलहाल ऐसा कोई झगड़ा नहीं है और न अभी तक कोई झगड़ा समिति को ही दिया गया है ।

मालावार खण्ड (केरल) में सड़कें

1653. **श्री पोट्टेकाट्ट**

श्री अ० व० राघवन :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालावार खण्ड के नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों को धूलि आदि से साफ रखने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1966–67 में इन कार्यों की क्रियान्विति के लिए त्रावनकोर-कोचीन नगर-पालिकाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना केरल सरकार से मंगाई गई है और बाद में सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मालावार खण्ड में सड़कें तथा पुल

1654. **श्री पोट्टेकाट्ट :**

श्री अ० व० राघवन :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मालावार खण्ड में बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहां बरसात के मौसम में पक्की सड़कों तथा पुलों पर से होकर पहुंचना संभव नहीं होता ;

(ख) यदि हां, तो इन पंचायतों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सड़क सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) बरसात के मौसम में जिन पंचायतों तक पहुंचने के लिए सड़कों की व्यवस्था नहीं है, उनके नाम क्या हैं ;

(घ) किन-किन सड़कों के निर्माण कार्यों को शीघ्र आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या इन निर्माण कार्यों के लिए सहायता देने के बारे में सरकार से कोई अनुरोध किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना केरल सरकार से मंगाई गई है और बाद में सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

पश्चिमी तट सड़क

1655. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कंजूर जिले में पश्चिमी तट सड़क पर कितना काम पूरा होना शेष है,

(ख) सहायक सड़कों के लिए भूमि अर्जित करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) इस परियोजना पर सारा काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) अनुमोदित कार्यक्रम में से 54 किलोमीटर सड़क, तीन पुल और चार बाहरी सड़कें पूरी करना शेष हैं ।

(ख) तालिमपरम्वा और कसारगोद बाहरी सड़कों के लिए भूमि लेने के लिए कार्यवाही जारी है । बदागारा और तेल्लीचेरी बाहरी सड़कों के लिए भूमि लेने के लिए कार्यवाही अभी शुरू की जायेगी ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

स्टेज केरिजेज की दरें

1656. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित स्टेज केरिजेज की इस समय प्रति किलोमीटर दरें क्या हैं ;

(ख) त्रैमासिक कर तथा अधिभार की राशि कितनी है ; और

(ग) देश में एक समान दरों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) मोटर गाड़ियों पर का कराधान संविधान के अन्तर्गत राज्य-विषय है । परिवहन विकास परिषद् और अन्य संस्थाओं के मार्फत भारत सरकार देश में मोटर गाड़ी कराधान में एक-

रूपता लाने का प्रयत्न कर रही है। मोटरगाड़ी कराधान के सब पहलुओं को जांचने और ऐसे सिद्धान्तों को सिफारिश करने के लिए जिन पर मोटर गाड़ी कराधान आधारित किया जाये और कराधान के ऐसे स्तर की सिफारिश करने के लिए भी जिससे देश में किफायती और दक्ष सड़क परिवहन की व्यवस्था और विकास का सुनिश्चयन हो, भारत सरकार ने हाल ही में एक सड़क परिवहन कराधान जांच समिति नियुक्त की है। इस समिति के रिपोर्ट 1966 के अंत तक मिलने की आशा है।

Import of Insecticides from U. S. A.

1657. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are importing 1400 tonnes of insecticides from U.S.A.;

(b) if so, the foreign exchange involved ; and

(c) whether such insecticides cannot be produced in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, Sir. We have arranged for the import of 9 types of insecticides from the U. S. A. Including 1400 tonnes of Carbaryl.

(b) Rs. 115 lakhs (Pre-devaluation).

(c) Some of the Pesticides namely BHC ; DDT; Copper Oxychloride ; Ethylene Dichloride ; Ethylene Dibromide ; Colloidal Sulphur; Dusting Sulphur; Organo Mercurials; Zinc Phosphide; Malathion and Zineb are being produced in the country at present. Projects for the manufacture of Parathion, Thiuram, 2:4-Dichloro Phenoxy Acetic Acid etc. are under implementation. Schemes for the production of many other items including Carbaryl are under consideration.

Mahishi as a Tourist Centre

1658. **Shri Lahtan Chaudhry :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no action has been taken by the Central or State Government for the development of 'Mahishi' in Saharasa district of Bihar, the birth place of Mahapandit Madan Misra, as a tourist centre ; and

(b) if so, the action Government propose to take in this regard :

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) and (b). "Mahishi" is of importance to only home tourists. As such the development of tourist facilities at this place is the responsibility of the State Government. The Government of Bihar have appointed an Ad-hoc Committee on Tourism to prepare a comprehensive blue-print on the development of tourism in the State. The State Government will take decision on places to be developed as tourist centres on receiving the recommendations of this Ad-hoc Committee.

Supply of Jowar Seeds

1659. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jowar seeds were not available in time for Kharif Crop in Delhi;

(b) whether, all the five Dovelopment Blocks of Delhi have protested against it; and

(c) if so, the reasons for not making seeds available in time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Allotment of Land to Cultivators

1660. **Shrimati Savitri Nigam :**

Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the acreage of land acquired in Delhi and allotted to the cultivators on the appeal of the late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri for cultivation in order to grow more foodgrains; and

(b) the acreage of land actually cultivated so far and the total yield therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) and (b). 22,000 acres of land has been acquired so far in Delhi under the scheme of 'large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi'. Out of this 14,038·71 acres of land has been allotted to the various agencies like D.D.A., M. C. D., the Ministry of Works, Housing and Urban Development and other Departments for the purpose of development in terms of the provisions of the said scheme. Out of the remaining, only 5,000 acres of land could be immediately made available for cultivation purposes and temporary licences for releasing the vacant land were issued by the Development Department to the erstwhile cultivators for the last rabi (1965–66) cultivation. It was possible to lease an area of 4735 acres, the remaining 265 acres were either difficult to cultivate or the old cultivators declined to take it for other reasons. Only 754 acres of land was actually brought under cultivation. No estimate has been made of the yield obtained from the 754 acres. The area is put under various crops including vegetables.

स्कूटर चालक

1661. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन स्कूटर चालकों की, जो स्वेच्छा से अधिक किराया वसूल करते हैं और जिनमें से कुछ यात्रियों के साथ झगड़ा करने के लिए प्रसिद्ध हैं, धांधलेबाजी की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) परिवहन निदेशालय दिल्ली को स्कूटर चालकों के खिलाफ अधिक किराया लेने की, छोटे फासलों पर यात्रियों को ले जाने से इन्कार करने की, बुरे व्यवहार इत्यादि के बारे में कई शिकायतें मिली हैं ।

(ख) इस मामले में निम्न सूचित कार्यवाही की गई हैं :—

(1) जब कभी दिल्ली में स्कूटर चालकों द्वारा तथाकथित अधिक किराया लिए जाने की या बुरे व्यवहार की शिकायत मिलती है तो परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा जांच की जाती है और सम्बन्धित चालक का चालान किया जाता है । राज्य परिवहन अधिकारी दिल्ली उनके विरुद्ध उनके चालक लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट निलंबित कर कार्यवाही करते हैं ।

(2) दिल्ली के समस्त पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रबन्ध कर दिये गये हैं । अब केवल यातायात पुलिस ही से शिकायत करना जरूरी नहीं रह गया है ।

(3) जनता को सूचित करने के लिए कि ड्यूटी पर यातायात सिपाही के पास शिकायत की किताब उपलब्ध है सुवाह्य पादपीठ पलक निम्न स्थानों पर लगा दिये गये हैं :—

(1) क्वालिटी रेस्टरां के सामने ।

(2) रेडियल सड़क संख्या 6 और कनाट प्लेस के चौराहे पर ।

(3) रेडियल सड़क संख्या 4 और कनाट प्लेस के चौराहे पर ।

(4) कश्मीरी गेट टैक्सी और स्कूटर स्टेन्ड ।

(5) अजमल खां सड़क और आर्यसमाज सड़क के चौराहे पर ।

(4) दिल्ली मोटरगाड़ी नियमों के उल्लंघन तथा अन्य बातों की पकड़ के लिए चलती फिरती अदालत की सहायता से कभी-कभी यातायात प्रेरणा भी की जाती है ।

(5) स्कूटर चालकों से उनके संघों द्वारा प्रार्थना की गई है कि वे सवारियों के प्रति सद्व्यवहार बरतें और यातायात नियमों का उल्लंघन न करें।

(6) 9-3-66 को राज्य परिवहन अधिकारी दिल्ली ने निश्चय किया है कि राजधानी में चलने वाले समस्त स्कूटरों में शीघ्र ही अनुमोदित किराया मीटर लग जाना चाहिए। पिछले चार महीनों में 1793 स्कूटरों में किराया मीटर लगाये जा चुके हैं। जब सब स्कूटरों में किराया मीटर लग जाएंगे तब आशा की जाती है कि इस प्रकार की शिकायतों में पर्याप्त कमी हो जायेगी।

छोटे सिंचाई कार्य

1662. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुएं और तालाब जैसे छोटे सिंचाई कार्यों पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटे सिंचाई कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). लघु सिंचाई की सुविधाओं की तुरन्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी, आर्थिक तथा संगठन की दृष्टि से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में लघु सिंचाई के भौतिक लक्ष्यों को बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस दृष्टि से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित करते समय निम्न योजनाओं पर बल देने का प्रस्ताव है :—

1. उन बेकार तालाबों को पुनः ठीक ठाक करना, जो तीसरी योजना के अन्त तक काम में न लाये जा रहे थे ;
2. खुले कुओं का निर्माण ;
3. क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा कुओं को और गहरा करना ;
4. पावर के पम्प सेटों और विशेष कर बिजली के पम्प सेटों की स्थापना ;
5. छोटे नल कूपों का निर्माण ;

6. नदियों तथा नहरों से उठाव सिंचाई ;

7. भूमिगत जल के रिचार्ज की योजनाएं ।

तीसरी योजना की अवधि में 365 करोड़ रुपये के कुल व्यय तथा उसके परिणामस्वरूप 131.0 लाख एकड़ भूमि की प्रत्याशित उपलब्धि के मुकाबले में चौथी योजना की अवधि में व्यय 775 करोड़ रुपये तथा लक्ष्य 170 लाख एकड़ हो जाने की सम्भावना है ।

परन्तु इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना सरकार के विचाराधीन है ।

डीजल इंजन खरीदने के लिये कनाडा से सहायता

1663. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 17, मई 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1731 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शक्तिशाली डीजल इंजन बनाये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कनाडा से खरीदने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स के लगभग 15 स्टीम लोकोमोटिव तीस वर्षों से अधिक के हैं और उनके तुरन्त बदले जाने की जरूरत है । सुदक्षता और चालन सुविधा के सुनिश्चयन के प्रयोजन के लिये कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स ने 13 डीजल हाइड्रालिक लोकोमोटिव खरीदने का निर्णय किया है, जिनमें से छः 1250 अश्व शक्ति के और सात 640 अश्व शक्ति के होंगे । जहां तक पोर्ट की आवश्यकता का संबंध है अपेक्षित प्रकार के डीजल लोकोमोटिव देशी बने हुये प्राप्य नहीं हैं । चितरंजन में रेलवे मंत्रालय का डीजल लोकोमोटिव बनाने का कार्यक्रम पोर्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ वर्षों तक नहीं कर सकेगा । चूंकि कनाडियन सरकार स्कीम की विकास ऋण सहायता के अन्तर्गत लोकोमोटिव उपलब्ध थे अतः सरकार ने उन्हें कनाडा से लेने का निश्चय किया है ।

Food From Leaves

1664. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the news item under the heading 'Food from Leaves' which appeared in the Times of India of the 22nd May, 1966 published from Bombay;

(b) whether it is a fact that three units for producing food from leaves have been sent to India; and

(c) if so, the extent to which success has been achieved in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) As far as the Government is aware, two units have been received from Prof. N. W. Pirie of Rothamsted Experimental Research Station, U. K. one unit has been installed at the Central Food Technological Research Institute, Mysore, and the other is being installed at Agriculture College and Research Institute, Coimbatore. These two are not commercial manufacturing plants but are only experimental units for investigations.

(c) Studies carried out at Central Food Technological Research Institute, Mysore, show the legume, fodder and the by-product vegetation from some of the green vegetable crops are quite good sources for the extraction of edible leaf protein. The Agriculture College & Research Institute, Coimbatore has screened more than 200 plant species to assess their suitability for protein extraction and has studied the influence of fertiliser and the effect of periodicity of cutting of leaves in certain selected cases for further experiments on a pilot plant scale.

संतुलित आहार के लिये भोजन सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन

1665. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन्तुलित आहार सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोगों की भोजन सम्बन्धी आदतों को बदलने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) खाद्य समस्या को हल करने की दृष्टि से खाद्यान्न के स्थान पर आलू जैसी चीजों को खाने की आदत डालने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस बारे में प्राप्त सफलता का क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). सरकार द्वारा स्थापित चलते फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार गाड़ियों तथा खान-पान औद्योगिकी और व्यवहारिक पोषाहार संस्थान द्वारा संगठित व्यवस्थित अभियानों और समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, फिल्म, पुस्तिकाओं और पर्चों के प्रकाशनों, प्रदर्शनियों में भाग लेकर आदि प्रचार के सामान्य माध्यमों से खाद्य सम्बन्धी आदतों में उपयुक्त परिवर्तन लाने और आलू जैसे अधिक सहायक खाद्यों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ग) ये कार्यक्रम लोगों में अभिरुचि और जागृति पैदा कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में दूध से बनने वाले पदार्थों पर रोकथाम

1666. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को उस राज्य में दूध से बनने वाले पदार्थों से सभी प्रतिबन्ध हटाने की सलाह दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

1667. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती
श्री किशन पटनायक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग की कुछ सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिये चालू सत्र में लोक-प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 1950 में संशोधन करने वाला एक विधान पुरःस्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या कथित अधिनियम की धारा 4 में भी संशोधन करने का सरकार का विचार है, ताकि उर्वसियम (नेफा) के व्यक्ति लोक-सभा के लिये अपना प्रतिनिधि चुन सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) नेफा में विद्यमान विशेष परिस्थितियों में फिलहाल प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं है ।

राज्यों में खाद्य निगम द्वारा अनाजों तथा दालों की खरीद

1668. **श्री मधु लिमये :** **श्री कोल्ला वेंकैया :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री किशन पटनायक : **श्री दशरथ देव :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से लेकर अब तक इसके द्वारा विभिन्न राज्यों में खरीदे गये अनाजों तथा दालों के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या निगम ने खुले रूप से अथवा गुप्त पत्र-व्यवहार द्वारा सरकार से शिकायत की है कि अनेक राज्य सरकारों का रवैया असहयोग पूर्ण अथवा सक्रिय रूप से बाधा डालने वाला रहा है ;

(ग) यदि हां, तो निगम के कार्य को आसान बनाने के लिये राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी; और

(घ) निगम ने अब तक प्रशासनिक ऊपरी व्यय तथा वेतन/मजूरी पर कितना व्यय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) निगम ने अपनी स्थापना से जून, 1966 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में लगभग 14 लाख मीटरी टन अनाज और दालें खरीदी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) निगम ने मार्च, 1966 के अन्त तक वेतन/मजदूरी आदि सहित प्रशासनिक खर्चों पर कुल लगभग 88 लाख रुपये खर्च किये हैं।

अमरीका में पी० एल० 480 को बदलने के लिये नया विधान

1669. **श्री मधु लिमये :** **श्री दिनेन भट्टाचार्य :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री लखमू भवानी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री हेमराज :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **डा० रानेन सेन :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

श्री अ० क० गोपालन : **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री दशरथ देव : **श्री कृ० चं० पंत :**
श्री म० ना० स्वामी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका में पी० एल० 480 को बदलने के लिये पास किये गये नये विधान की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन क्या हैं;

(ग) इन परिवर्तनों का भारत की खाद्य सहायता की सम्भावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या इन परिवर्तनों का विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारे साधनों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). संयुक्त राज्य अमेरिका में नया विधान जिसने संयुक्त राज्य पी० एल० 480 को बदलना है, इस समय संयुक्त राज्य कांग्रेस के विचाराधीन है । जब तक संयुक्त राज्य कांग्रेस की कार्यवाही का परिणाम अन्तिम रूप से मालूम नहीं हो जाता और विधान बन नहीं जाता तब तक यह बताना असम्भव है कि उसमें क्या परिवर्तन होंगे और भारत की खाद्य सहायता सम्बन्धी सम्भावनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ।

उड़ीसा में दुर्भिक्ष की स्थिति

1670. **श्री मधुलिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा में "दुर्भिक्ष की स्थिति" के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने दुर्भिक्ष घोषित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ बातचीत की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन):

(क)सरकार ने, वास्तव में, उड़ीसा की स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये

वक्तव्य को देखा है, परन्तु प्रधान मंत्री ने ऐसा तो कहीं नहीं कहा है कि जिससे समझा जाये कि उड़ीसा में दुर्भिक्ष की स्थिति है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

परती भूमि को कृषि योग्य बनाना

1671. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री मधु लिमये : **श्री किशन पटनायक :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परती भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) कृषि योग्य बनाई गई भूमि में से कितनी भूमि सहकारी खेती के लिए दी जायेगी और कितनी व्यक्तिगत रूप से खेती के लिए दी जायेगी और क्या हरिजनों तथा आदिवासियों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना की अवधि में 25 लाख एकड़ भूमि को सुधारने तथा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि सुधरी भूमि में से कितनी भूमि में सहकारी खेती होगी और कितनी में व्यक्तिगत खेती । यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपरोक्त दोनों पक्ष इस कार्य में कितनी दिलचस्पी लेते हैं । वैसे दोनों पक्ष इससे लाभ उठाने के हकदार हैं । सरकार की नीति यह है कि भूमिहीन मजदूरों में कृषि योग्य परती भूमि बांटते समय हरिजनों तथा आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाय ।

उत्तर-पश्चिम भारत में ऋतु सम्बन्धी राकेट छोड़ने का केन्द्र

1672. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री किशन पटनायक : **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री मधु लिमये : **श्री बसुमतारी :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री राकेट छोड़ने के केन्द्र के बारे में

19 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3878 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमोत्तर भारत में ऋतु विज्ञान सम्बन्धी राकेट छोड़ने का केन्द्र स्थापित करने की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिये बैंक ऋण

1673. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली की उपभोक्ता सहकारी समितियों को बैंक ऋण देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) व (ख). सभी उपभोक्ता सहकारी समितियों को अपना कारोबार चलाने के लिए कार्यकर पूंजी ऋणों की आवश्यकता होती है और वे प्रायः बैंकों से ऋण सुविधायें प्राप्त करती रहती हैं ।

आंध्र प्रदेश के चावल मिल मालिकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को चावल का संभरण बंद किया जाना

1674. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों के कुछ चावल मिल मालिकों ने भारतीय खाद्य निगम को चावल देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों के कुछ चावल मिल मालिकों ने अपनी शिकायतें निवारण कराने के लिए मई, 1966 में कुछ दिनों के लिए भारतीय खाद्य निगम को चावल सप्लाई करने में धीमी नीति अपनाई थी। उनकी शिकायतों में केवल एक शिकायत (निम्न मद 3) निगम के विरुद्ध थी। मिल मालिकों ने मांग की कि—

(1) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा धान पर क्रय-कर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर देने के कारण चावल के नियन्त्रित मूल्यों में तदनुसार वृद्धि करना।

(2) बाजार भाव में वृद्धि होने के कारण बोरियों की कीमत में वृद्धि करना।

(3) निगम द्वारा लगाई गई कटौती में ढील देना विशेषत: मिलमालिकों द्वारा सप्लाई किये गये चावल के बारे में नमी तत्व के लिए।

(4) मिलमालिकों के पास उपलब्ध बदरंग चावल के स्टाक का निपटान।

(ग) निम्नलिखित प्रबन्ध करके मिलमालिकों की शिकायतों का निवारण कर दिया गया है :—

(1) खाद्य निगम आन्ध्र प्रदेश से बाहर भेजी जाने वाली धान पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत क्रय-कर की मिलमालिकों को प्रतिपूर्ति करेगा।

(2) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मिलमालिकों को स्वीकार्य बोरियों की कीमत बढ़ा दी है।

(3) तकनीकी अधिकारियों की जो समिति नियुक्त की गयी थी उसने अपना यह फैसला दिया है कि मिलमालिकों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले चावल पर नमी मीटर के आधार पर निगम द्वारा जो कटौती लागू की गयी है वह अयथार्थिक नहीं है और इस सम्बन्ध में अब तक मिल मालिकों द्वारा कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया है।

(4) राज्य सरकार ने मिलमालिकों के पास उपलब्ध रंगदार चावल के स्टाक को मिलमालिकों से व्यापारी के आधार पर कमी वाले जिलों में भेज कर निपटान करने का निर्णय किया है।

भूदान आंदोलन के अन्तर्गत अर्जित भूमि

1675. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आन्दोलन के द्वारा कुल कितनी भूमि अर्जित की है और क्या उसे देश के भूमिहीन मजदूरों में बांट दिया गया है ; और

(ख) इससे राष्ट्रीय उत्पादन में कितने प्रतिशत अनाज की वृद्धि होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ के अनुसार आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत मार्च, 1966 के अन्त तक लगभग 42,45,000 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। उपलब्ध दित्ते के अनुसार इस भूमि में से 16,55,000 एकड़ से भी अधिक भूमि को नाकारा होने या किसी अन्य कारण से लेने से इन्कार कर दिया गया। बाकी 25,90,000 एकड़ भूमि के बारे में सर्व सेवा संघ ने सूचित किया है कि 11,51,378 एकड़ भूमि भूमिहीन कृषि मजदूरों में बांट दी गई है।

(ख) अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस अलाट हुए क्षेत्र से कृषि उत्पादन कितना बढ़ेगा।

पत्तनों का विकास

1676. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बड़े तथा छोटे पत्तनों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) अब तक किन-किन पत्तनों का विकास किया गया है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के विकास पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े और छोटे पत्तनों के विकास पर व्यय की गई राशि निम्न है :—

बड़े पत्तन/छोटे पत्तन परियोजनायें

(रुपये करोड़ में)

कलकत्ता	22.88
हल्दिया डाक परियोजना	3.79
बंबई पत्तन	12.94
मद्रास पत्तन	9.19
कोचीन पत्तन	1.88
विशाखापतनम् पत्तन	9.07

(ख) जहां तक बड़े पत्तनों का सम्बन्ध है, कलकत्ता, बम्बई, मदरास, कोचीन, विशाखा-पतनम्, कांडला, और मारमोगाव के मौजूदा बड़े पत्तनों में विभिन्न सुधारों के अलावा पारादीप का बड़े पत्तन के रूप में निर्माण किया गया और हल्दिया परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक स्कीमों को हाथ में लिया गया। मंगलौर और तूतीकोरिन पर नये बड़े पत्तनों का विकास भी हाथ में लिया गया।

राज्य सरकारें कई मझोले और छोटे पत्तनों का विकास कर रही हैं।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दोनों बड़े और छोटे पत्तनों के विकास के लिये प्रस्तावित उद्व्यय पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श हो रहा है।

गोंडा संसदीय निर्वाचन

1677. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **विधि** मंत्री 22 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने 1962 के गोंडा (उत्तर प्रदेश) संसदीय निर्वाचन के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान दुर्घटना के बारे में जांच

1678. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 5 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उस फोकर फ्रेंडशिप विमान की दुर्घटना के बारे में जांच पूरी हो गई है जो अगरतला हवाई अड्डे पर क्षतिग्रस्त हो गया था और 5 मार्च, 1966 को कलकत्ता नहीं लौट सका था ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच से पता चला है कि विमान के उतरते समय पहियों के बन्द होने की स्थिति में होने के कारण सभी चार मुख्य टायर ज़मीन पर लगते ही फट गये। टायरों को छोड़ कर विमान को कोई क्षति नहीं पहुंची और कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

वन अनुसन्धान संस्था के प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना

1679. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 5 अप्रैल 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन अनुसन्धान संस्था का प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस बारे में प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभिगृहीत भूमि पर कब्जा करने के शुरुआत में इस भूमि की रखवाली के लिए एक चौकीदार नियुक्त करने के सुझाव को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। संस्था की स्थापना के लिए प्रारम्भिक अनुमान तैयार कर लिए गए हैं और व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के लिए एक ज्ञापन अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में तालाब

1680. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत इस समय उत्तर प्रदेश में कितने तालाबों को प्रयोग में लाया जा रहा है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत पुराने तालाबों की मरम्मत करने और दुबारा बनाने तथा नये तालाब बनाने के लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया है ;

(ग) उत्तर प्रदेश को दिये गये अनुदान से कितने तालाबों की मरम्मत की गई, कितने तालाब दुबारा बनाये गये और कितने नये तालाब बनाये गये; और

(घ) छोटे सिंचाई कार्यों, अर्थात् कुओं और तालाबों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उनसे प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

देश में बकरियों की डेरियां

1681. **श्री मधुलिमये :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक : **श्री श्रीनारायण दास :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्रीमती जयाबेन शाह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार का विचार देश में बकरियों की बहुत सी डेरियां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों से कोई सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता प्राप्त हुई है और किन शर्तों पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां । चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकारों का विचार बकरियों की 9 डेरियां स्थापित करने का है ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित होने वाले प्रत्येक बकरी-फार्म पर 3.75 लाख रुपए खर्च होंगे और ये फार्म ऐसे उपयुक्त क्षेत्रों में स्थापित होंगे जहां दुधारू बकरियों की अधिकता हो । इन फार्मों में देशी नस्ल की बकरियों की दुग्ध उत्पादन की क्षमता के अध्ययन के विषय में परीक्षण किये जायेंगे । इन फार्मों में देशी तथा विदेशी संकर नस्लों की चुनी हुई बकरियों से सुधरी नस्लें तैयार की जायेंगी ।

(ग) अभी तक नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

गांवों का विकास

1682. **श्री नम्बियार** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण ने भारत में गावों का विकास करने से सम्बन्धित कार्यों के लिये धन देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर तथा कितनी धनराशि देने की पेशकश की गई है; और

(ग) यह धन सरकार को दिया जायेगा अथवा गैर-सरकारी अभिकरणों को ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण ने टाइटल–2 पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई 9000 मीटरी टन गेहूं उत्तर प्रदेश में ग्राम निर्माण कार्यक्रम में लगे कार्यकर्ताओं को 50 प्रतिशत मजदूरी जिस के रूप में देने के लिए दी है। उन्होंने इसी तरह के ग्राम जन शक्ति कार्यक्रम , जिसे बिहार के कुछेक जिलों में शुरू करने का प्रस्ताव है, के लिए भी टाइटल 2 की 8200 मीटरी टन गेहूँ देने की पेशकश की है ।

(ग)वस्तु सहायता सीधी राज्य सरकारों को दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण ने ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की परिषद को 5 लाख रुपये का अनुदान प्रमुख रूप से व्यापक क्षेत्र विकास योजनाएं बनाने, सम्भाव्यता अध्ययन तथा गेहूं साहाय्यित निर्माण परियोजनाओं की लागत/लाभ के विश्लेषण, स्थानीय योगदान के प्रोत्साहन और कार्यक्रम के लिये प्रशिक्षण के आयोजन के लिए दिया है ।

मध्य प्रदेश में चारे की कमी

1683. **श्री म० ला० द्विवेदी:**
श्री स० चं० सामन्त:
श्री सुबोध हंसदा:

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इस समय चारे की भारी कमी है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप धार तथा उसके आस पास के जिलों में बहुत से मवेशी मर गये हैं ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी नहीं, केवल धार, झबुआ, खारगोन तथा खण्डवा के जिलों में कुछ कमी है।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है।

(ग) प्रभावित जिलों की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) राज्य से बाहर चारे के निर्यात पर प्रतिबन्ध।

(2) 76 पशु कैम्प धार, झबुआ तथा खारगोन के जिलों में खोले गए।

(3) इन कैम्पों में पशुओं को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का विस्तार और 25,000 रुपये की अतिरिक्त राशि औषधियों की खरीद के लिए दी गई।

(4) चारे की खरीद के लिए धार और झबुआ के जिलों में 2.50 लाख रुपये के तकावी ऋण वितरित किये गये।

(5) पशु स्वामियों को सस्ते दरों पर घास, गेहूं-भूसा और कदवी की सप्लाई।

(6) 9926 मील के निषेद वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा मुफ्त चराने की सुविधाओं में वृद्धि।

(7) वन में अन्जन पत्तों की कटाई पर मुक्त अनुमति।

Intensive Agricultural Programme in Delhi

1684. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the Development Blocks out of five Development Blocks in Delhi where intensive agriculture programme is being carried out;

(b) the acreage under intensive cultivation; and

(c) the extent of success so far achieved in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) All the Five Development Blocks, viz.

(1) Alipur, (2) Nangloi, (3) Najafgarh, (4) Shahdara, (5) Mehrauli are covered under Intensive Agricultural District Programme.

(b) 25,000 hectares out of a total area of 87,000 hectares.

(c) The Intensive Agricultural District Programme in the Union Territory of Delhi, which was put in operation from Kharif 1964 has now completed two years of field operation. In the initial stages—the programme was handicapped due to unprecedented floods in Kharif 1964 followed by extraordinary dry Kharif, in 1965. Inspite of these difficulties the programme has made considerable impact in the area which was agriculturally quite backward until recently. The salient features of the programme of work during the two years are as under :

Coverage : It has covered a cultivated area of 25,000 hectares out of a total cultivated area of 87,000 hectares.

Farm Plan : By the end of March, 1966 farm plans were prepared for nearly 7,000 cultivating families, covering an area of 25,000 hectares.

Consumption of Fertilizers : Consumption of fertilisers has reached more than 4,000 tons—as against 380 tons only before the introduction of the programme.

Improve Seed : Seeds of improved varieties have been popularised and arrangement made for their timely and adequate supply.

Introduction of new crops: During Kharif 1965, a programme of introduction of hybrid maize was launched and more than 300 acres were brought under this crop. Similarly ground-nut cultivation practically unknown to Delhi before IADP has been popularised in the Territory.

Yields obtained: Between 1962-63 and 1964-65, the average yield per hectare of Wheat has gone up from 10.3 quintals to 12.3 quintals, of gram from 5.6 quintals to 7.0 quintals and of maize from 6 quintals to more than 18 quintals.

Vegetable Cultivation: The area under the vegetable cultivation has increased nearly three fold from 6,000 acres in 1964-65 to 18,000 acres in 1965-66.

केरल में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास

1685. **श्री वारियर:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास करने के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) यह राशि किन योजनाओं के लिये नियत की गई;

(ग) क्या नियत की गई राशि पूरी-पूरी खर्च हो गई है;

(घ) यदि नहीं, तो पूरी नियत राशि के खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक योजना के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(च) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये राज्य में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के विकास के लिये कोई नई योजनायें बनाई गई हैं;

(छ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ज) नई योजनाओं पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) 98.98 लाख रुपए।

(ख) वे योजनाएं जिनके अन्तर्गत (1) विजहिनजम (2) मोपला वे (3) अजहीकोडे (4) पोनानी (5) वेपोर और (6) वालियापटम पर मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का निर्माण शामिल है।

(ग) जी नहीं। तीसरी योजना में 77.85 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

(घ) विजहिनजम पर काम करने के लिए जितना रुपया रखा गया था उससे कम खर्च होने के कारण यह कमी रही। कुछ इसलिए कि बन्दरगाह का डिजाइन 1963 में तैयार किया गया था और कुछ इस कारण से कि बन्दरगाह के निर्माण कार्य हेतु भारी मशीनरी खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कठिनाई आई।

(ङ) तीसरी योजनावधि में प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में की गई प्रगति निम्नलिखित है :

(1) **विजहिनजम :** यह योजना 1962 में शुरू की गई बन्दरगाह के पहले रूप के लिए स्थान का अभिग्रहण तथा सड़क निर्माण पूरा कर दिया गया है। कार्यालय भवन तथा इन्सपैक्शन बंगला भी पूरा हो चुका है। लगभग सभी मशीनरी जिसकी आवश्यकता है अब ठिकाने पर है।

(2) **मोपला वे :** यह योजना 1962-63 में शुरू की गई थी। ब्रैक वाटर की 585 फुट लम्बाई पूरी कर ली गई है। प्रवेश पथ बना दिया गया है। 1967-68 के अन्त तक कार्य पूरा होने की सम्भावना है।

(3) **अजहीकोडे :** अजहीकोडे पर उतरने का केन्द्र बोट वसीन तथा स्लिपवे बन कर पूरे हो चुके हैं।

(4) **पोनानी :** परियोजना का जांच कार्य शुरू हो चुका है और प्रगति पर है।

(5) **वेपोर :** जहाजघाट की पहली अवस्था पूरी हो गई है और मछली प्राप्त करने के स्थान, मछली पैकिंग हाल, जल सप्लाई, बिजली के प्रबन्ध आदि कार्य प्रगति पर हैं।

(6) **वालिया पटम :** खाद्य तथा कृषि संगठन के बन्दरगाह विशेषज्ञ की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लैन्डिंग सेन्टर तथा जहाज घाट का निर्माण शुरू किया गया था। जहाजघाट स्थान के लिए प्रवेश पथ पूरा कर दिया गया है। जहाजघाट तथा वोट वसीन का निर्माण प्रगति पर है।

(च) जी हां।

(छ) तीसरी योजना में मछली पकड़ने के बन्दरगाह सम्बन्धी शुरू किया हुआ कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त (1) पोनानी (2) पालाकोडे और (3) धर्मादम पर मछली पकड़ने के बन्दरगाह सम्बन्धी निर्माण कार्य चौथी योजना में शुरू किया जाएगा।

तीनों स्थानों पर किये जाने वाले कार्यों का पूरा व्यौरा आवश्यक जांच होने के बाद ही उपलब्ध होगा।

(ज) पोनानी — 30.00 लाख रुपये
पालाकोडे — 30.00 लाख रुपये
धर्मादम — 25.00 लाख रुपये

सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्नों का समाहार

1686. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के समाहार के अभियान में सहकारी समितियों ने कितना योगदान दिया है ; और

(ख) 1964-65 और 1965-66 में उनके कार्य का व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) पिछले दो वर्षों में खाद्यान्नों के समाहार में सहकारी समितियों ने संतोषजनक योगदान दिया है। वर्ष 1964-65 में सहकारी समितियों ने 100 करोड़ रुपए के खाद्यान्नों का व्यापार किया जबकि पिछले वर्ष अर्थात्, 1963/64 में 40 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। देश में व्यापक सूखे की स्थिति होने पर भी सहकारी वर्ष 1965-66 में सहकारी समितियों ने अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार 113 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का व्यापार किया है।

(ख) वर्ष 1964/65 और 1965-66 में सहकारी समितियों ने जितने मूल्य के खाद्यान्नों का व्यापार किया, उसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6719/66]**

बकरी डेरी उद्योग सम्बन्धी गोष्ठी

1687. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्रीमती जयाबेन शाह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में नई दिल्ली में हुई प्रथम बकरी डेरी उद्योग सम्बन्धी गोष्ठी में कोई रुचि ली है;

(ख) क्या उस गोष्ठी में किये गये निर्णयों, सिफारिशों और सुझावों पर सरकार ने निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के उपमंत्री श्री एस० डी० मिश्रा ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई पहली डेरी बकरी उद्योग विचार गोष्ठी का उद्घाटन किया था। इस गोष्ठी में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के पशुपालन सम्बन्धी तकनीकी अधिकारियों ने भी (विशेष आमन्त्रण पर) भाग लिया था।

(ख) अभी तक मन्त्रालय को इण्डियन मिल्क गोट एसोसिएशन से कोई सिफारिश सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कोचीन पत्तन

1688. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री दिंगे :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कोचीन पत्तन के विकास के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). फिलहाल कोचीन पत्तन के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के ब्यौरों पर योजना आयोग से विचार विमर्श हो रहा है ।

विमान चालकों का प्रशिक्षण

1689. **श्री कोल्ला वैकैया** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों एयर कारपोरेशनों के संयुक्त उपक्रम के रूप में विमान चालकों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). जी, नहीं । दोनों एयर कारपोरेशनों के साथ परामर्श करते हुए मामले पर अभी तक विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रमंडलीय विधि-मंत्रियों का सम्मेलन

1690. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री आल्वारेस :

क्या **विधि** मंत्री 10 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्मेलन में स्वीकार किये गये उपबन्धों के अनुरूप भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में कानून बनाने तथा राष्ट्रमंडल सचिवालय में एक विधि अनुभाग स्थापित करने के लिये भारत में तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : सम्मेलन में सहमत प्रस्थापनाओं का अनुवर्तन करने के लिए हमारे प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 में कुछ मामूली संशोधन अपेक्षित हैं । ये सरकार के विचाराधीन हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

राष्ट्रमंडलीय सचिवालय में एक विधि अनुभाग स्थापित करने की सिफारिश आगामी राष्ट्रमंडलीय प्रधान-मंत्री सम्मेलन में पेश की जानी है ।

Sowing Affected by Failure of Rains

1691. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of States where sowing could not be undertaken this year due to failure of rains;

(b) the steps taken to meet the shortage of water in such drought-affected areas ; and

(c) the names of States where crops have been damaged by floods so far this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) to (c). The required information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received from all of them.

Development of Fodder

1692. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rishang Keishing :
Shri Linga Reddy :
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of States which have chalked out model plans for the development of fodder and the details thereof;

(b) the reasons for which those plans could not be implemented fully; and

(c) the present position regarding the scarcity of fodder in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) All States (except Nagaland) and Union Territories of Himachal Pradesh, Tripura and Manipur.

The main features of the model feed and fodder development scheme are given below:—

(i) Strengthening the Fodder Development Organisation in the State and Union Territories.

(ii) Demonstration of cultivation of fooder crops on cultivator's own fields.

(iii) Subsidised distribution of seeds and other planting material of fodder crops, grasses etc. to cultivators.

(iv) Improvement of forage production and pasture management at State Farms.

(v) Establishment of pasture demonstration plots on village grazing lands.

(vi) Establishment of pasture demonstration plots on private holdings.

(vii) Popularising balanced rations by subsidising feeding of selected cattle.

(viii) Popularising silage-making by subsidising construction of silo-pits.

(ix) Popularising the use of chaff cutters.

(x) Establishment of fodder demonstration-cum-Training centres.

(b) Due to limited allocation of funds of this programme and inadequate response from farmers due to competing demand for increasing production of food grains and cash crops from limited cultivable area.

(c) No scarcity of fodder is apprehenced now due to onset of Monsoons in most of the States.

Utilisation of Services of Agricultural Graduates

1693. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the services of graduates in Agriculture are being utilised in offices and not in fields;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to remedy the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) to (c). Graduates in Agriculture get different type of opportunities in our country. Those who go into the field of Agricultural Extension or work in laboratories have to be in contact with the fields if they are to be effective. Agricultural graduates are not generally going for ordinary clerical or secretariat work. There are, however, posts in scientific organisations where agricultural graduates are to do technical scrutiny of schemes and other desk work. Proportion of such people will be comparatively small. It is, therefore, not quite correct to say that the services of graduates in agriculture are being utilised in offices and not in the fields.

"केयर" द्वारा मध्य प्रदेश में अनाज और दूध के पाउडर का संभरण

1694. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के सहायता संगठन "केयर" ने हाल में मध्य प्रदेश में बच्चों के लिये अनाज तथा दूध का पाउडर बांटा है, और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने अनाज और दूध के पाउडर का वितरण किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) खाद्यान्न = 2728.9 मीटरी टन.

दुग्ध चूर्ण = 2427.4 मीटरी टन.

हंगरी की सरकार द्वारा बेबी फूड का उपहार

1695 **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी की सरकार द्वारा बेबी फूड का पहला प्रेषण (कन्साइनमेंट) हाल ही में सरकार को उपहारस्वरूप भेंट कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितना बेबी फूड उपहारस्वरूप दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां ।

(ख) 2239 किलोग्राम ।

राज्यों में कृषि सूचना एकक

1796 **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में कृषि सूचना एकक, फार्म सलाहकार एकक और विस्तार प्रशिक्षण एकक की स्थापना की गई है; और

(ख) इस समय संघ राज्य क्षेत्रों में कितने कृषि सूचना एकक और फार्म सलाहकार एकक कार्य कर रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) (1) **कृषि सूचना एकक**

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) बिहार

(3) मध्य प्रदेश

(4) महाराष्ट्र

(5) उड़ीसा

(6) राजस्थान

(7) उत्तर प्रदेश
(8) पश्चिम बंगाल
(9) आसाम
(10) गुजरात
(11) केरल
(12) मद्रास
(13) मैसूर
(14) पंजाब

(2) **फार्म सलाहकार एकक**

आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में विस्तार के संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति की गई है। अधिक मामलों में विषय के विशेषज्ञ इन संयुक्त निदेशकों की सहायता करते हैं।

(3) **विस्तार प्रशिक्षण एकक**

प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक विस्तार प्रशिक्षण एकक है जो राज्य के विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है।

(ख) (1) **कृषि सूचना एकक**

तीन—एक हिमाचल प्रदेश में, एक त्रिपुरा में और एक पांडीचरी में।

(2) **फार्म सलाहकार एकक**

संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे कृषि विभाग हैं और फार्म सलाहकार एकक के नाम से कोई अलग एकक स्थापित नहीं किए गए हैं। सलाह सम्बन्धी कार्य सामान्य विभागीय स्टाफ द्वारा किए जाते हैं।

हवाई मैदानों का विस्तार

1697 **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े-बड़े हवाई जहाजों के, जिनका प्रयोग निकट भविष्य में यात्रियों को ले जाने तथा अन्य यातायात के लिये किये जाने की संभावना है, उतरने तथा उड़ने की सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से कितने भारतीय हवाई मैदानों का विस्तार किया जायेगा; और

(ख) विस्तार-कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है तथा इस योजना पर कितना धन खर्च होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आधनिक अन्तर्महाद्वीपय

जैट विमानों जैसे कि बोइंग आदि द्वारा प्रयोग किये जाने के योग्य हैं। इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे चार हवाई अड्डों पर उतरने तथा संचार की जो सुविधायें हैं, वे बड़े हवाई जहाजों जैसे कि बोइंग 747 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त होंगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फसल ऋण योजना

1698 **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री तुला राम
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में एक फसल ऋण योजना लागू की है, जिसके अन्तर्गत फसल की जमानत पर ऋण दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि देने का विचार है; और

(ग) इस समय हर राज्य में कितनी भूमि पर खेती होती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जैसा कि 2 अगस्त, 1966 को उत्तर दिये गये लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 187 के उत्तर में कहा गया है, फसल ऋण प्रणाली महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास के कुछ भागों में पहले ही लागू है। चालू वर्ष से इसे अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है।

(ख) विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6720/66**] जिसमें वर्ष 1966-67 में सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले ऋण का अस्थायी राज्यवार प्राक्कलन दिया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 6720/66]

Visit of Japanese Experts to India

1699. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Sonavane :
Shri Raghunath Singh :
Shri M. Rampure :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 965 on the 5th April, 1966 and state :

(a) whether Government have received detailed proposals from the Japanese Humani-

tarian Organisation regarding visit of Japanese experts to India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the decisions taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) to (c) . The Indian representative of a non-Government Japanese Organisation, known as OISCA-International (Organisation for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement) has offered the services of Team Specialists from Japan to help State Governments in their food production programmes. It has been decided to accept the offer on an experimental basis provided that State Governments are interested and wish to invite the Teams and provided that this does not mean any financial burden to the Government of India. The Government of West Bengal, Jammu & Kashmir and Maharashtra have shown some interests. A Team of OISCA specialists is reported to be working in Jammu & Kashmir State.

पिछड़े वर्गों द्वारा परिवहन समितियां चलाया जाना

1700. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े हुए वर्गों के लोगों द्वारा आरम्भ की गई परिवहन समितियों को चलाने के बारे में कोई विशेष प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ग) उनके द्वारा चलाई जा रही ऐसी समितियों की राज्यवार संख्या कितनी है और उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). परिवहन सहकारिता समितियां संगठित करने के लिए पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को परिवहन तथा विमानन मंत्रालय द्वारा कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। चूंकि सड़क परिवहन के बारे में कार्यकारी अधिकार राज्य सरकारों में निहित है अतः अपेक्षित सूचना उनसे एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कलकत्ता पत्तन गोदाम में आग लग जाना

1701. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मई, 1966 को कलकत्ता पत्तन आयुक्त के गोदाम में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की गई थी; और

(ग) इस आग के परिणामस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). 28-5-1966 को लगभग 1.15 बजे रात को कलकत्ता जेटी के आपदापन्न गोदाम में आग लग गई । पत्तन दमकल सेवा और पश्चिम बंगाल दमकल सेवा के संयुक्त प्रयासों से 28-5-66 को 9 बजे रात्रि को आग बुझाई जा सकी । जेटियों तथा घाटों के अधीक्षक, पत्तन सुरक्षा अधिकारी और पत्तन दमकल अधिकारी की एक सरकारी समिति ने आग लगने के कारणों की जांच की । यद्यपि समिति आग लगने के ठीक कारण का पता न लगा सकी किन्तु उसकी राय में आग किसी एक निम्न कारण से लगी होगी :—

(क) कान्टीन क्षेत्र में लापरवाही से जलती सिगरेट का टुकड़ा फेकना ।

(ख) कान्टीन में जमा किये हुए कुछ सामान का यकायक जल उठना ।

(ग) आपदापन्न गोदाम में जमा किये हुए कुछ रासायनिकों का यकायक जल उठना ।

आपदापन्न गोदाम में कुछ आपदापन्न सामान जैसे गन्धक, रासायनिक पदार्थ, ड्रम तेल, कास्टिक सोडा और नारियल जटा की सुतली के बंडल जमा थे । इनमें से कुछ सामान तो बिल-कुल भस्म हो गया किन्तु सामान का अधिकांश भाग आग से खराब नहीं हुआ । हानि की सीमा निर्धारित की जा रही है ।

राज्यों को चीनी का कोटा

1702. **श्री तुला राम :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सारे देश में उपभोक्ताओं को चीनी निर्बाध रूप से उपलब्ध करने के लिए राज्यों को चीनी का अधिक कोटा देने का निर्णय किया है; और

(ख) सरकार का विभिन्न राज्यों को राज्यवार कुल कितनी चीनी देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां । उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई बढ़ाने हेतु अधिक कोटे नियत किये गये हैं ।

(ख) राज्यों को दिसम्बर, 1965 में नियत किया गया मासिक कोटा और जुलाई, 1966 में उन्हें नियत किया गया मासिक कोटा बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 6721/66]

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए केरावेल विमान

1703. **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बढ़ते हुए विमान यातायात के लिए व्यवस्था करने के हेतु और केरावेल विमान खरीदने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे राजस्व कोष पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) दो केरावेल विमानों के अलावा, जिनके क्रय-आदेश दे दिये गये हैं और जिनके नवम्बर/दिसम्बर, 1966 में मिल जाने की आशा है, इस समय और अधिक केरावेल विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) दो केरावेल विमानों और उनसे सम्बद्ध फालतू पुर्जों की कुल लागत 554.81 लाख रुपये (अवमूल्यन के बाद) की विदेशी मुद्रा सहित कुल लागत 571.22 लाख रुपये होगी । यह खरीद, आस्थगित भुगतान के आधार पर फ्रांस से लिए गये कर्जे से की जा रही है और कारपोरेशन को आशा है कि वह इस कर्जे की पुनः अदायगी अपने स्वयं के साधनों से कर लेगा ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में छटनी

1704. **डा० रानेन सेन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन आर्थिक अनुसन्धान अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालय (पटसन) में नियुक्त बहुत से व्यक्तियों की छटनी करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० डी० मिश्रा): (क) तथा (ख). पटसन की खेती की लागत के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक तदर्थ योजना जिसके अधीन मुख्य कार्यालय (कलकत्ता) वाला स्टेटिस्टीकल स्टाफ और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में फील्ड स्टाफ है पूर्वकालीन भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के आर्थिक अनुसन्धान अनुभाग के अधीन चलाई जा रही थी । समिति पहली अप्रैल, 1966 से समाप्त कर दी गई है ।

यह निर्णय किया गया है कि इस योजना का जारी रखना राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा, फील्ड सुपरवीयन और दित्ता इक्ट्ठा करना उनके नियंत्रण में होगा । तकनीकी नियंत्रण कृषि अनुसंधान सांख्यिकी की संस्था के हाथ में ही रहेगा । अतः स्थानान्तरण के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है । इसके स्थानान्तरण होने तक यह योजना तदर्थ आधार पर प्रादेशिक कार्यालय, पटसन विकास जो भारत सरकार का अधीनस्थ कार्यालय है, के अधीन चल रही है ।

Availability of Seeds and Inputs to Farmers

1705. **Shri Mohan Swarup :**
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state the quantity of seeds and other inputs made available to farmers statewise by the National Seeds Corporation since its inception so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : Two statements indicating the quantities of various types of seeds supplied by the National Seeds Corporation, Ltd. to the States/Union Territories since its inception are laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. L.T.-**6722/66]. No other inputs were supplied by the Corporation.

आसाम तथा पश्चिम बंगाल में चावल का अभाव

1706. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर खण्ड के अन्य भागों में व्याप्त चावल की अत्यधिक कमी की स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के पहले छः महीनों में केन्द्रीय भण्डार से प्रत्येक राज्य को कितना चावल दिया गया; और

(ग) उक्त अवधि में देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित प्रत्येक राज्य/राज्य क्षेत्र में चावल की अनुमानित आवश्यकता तथा स्थानीय उपलब्धि कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) निस्संदेह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों में चावल की उपलब्धि कठिन है लेकिन इस स्थिति को अत्यधिक कमी की स्थिति नहीं कहा जा सकता है ।

(ख) केन्द्रीय भण्डारों से 1966 के पहले छः महीनों में इन राज्यों को प्रत्येक को सप्लाई की गई चावल की मात्राएं निम्न प्रकार हैं :—

पश्चिमी बंगाल	67,800 मीट्री टन ।
त्रिपुरा	10,100 मीटरी टन ।
मनीपुर	4,400 मीटरी टन ।

किसी भी क्षेत्र विशेष की किसी खाद्यान्न विशेष की आवश्यकता का अनुमान लगाना असम्भव नहीं है क्योंकि बहुत से खाद्यान्न एक दूसरे के साथ बदले जा सकते हैं । यहां तक कि खाद्यान्नों की आवश्यकता बहुत से तथ्यों पर निर्भर करती है जो कि भारत जैसी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर बदलते रहते हैं ।

(ग) वर्ष के किसी भाग में किसी क्षेत्र की चावल की स्थानीय उपलब्धि का कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

Food Corporation of India

1707. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have given right of purchase of foodgrains to the Food Corporation of India;

(b) if so, the names of States where Food Corporation have been set up; and

(c) the amount given to them so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes Sir, but the Food Corporation has not been given monopoly rights of purchase of foodgrains.

(b) No State Food Corporation has been set up in any States so far. The Food Corporation of India is operating through its branches in the States of Madras, Mysore, Andhra Pradesh, Kerala, Punjab, Rajasthan, Orissa, Gujarat, Uttar Pradesh and the Union Territories of Pondicherry and Delhi through its regional Organisations.

(c) Since no State Food Corporation has been established, the question of giving them any amount does not arise.

Milk Powder from Sweden

1708. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that milk powder and other material have been received from Sweden by way of aid to India according to a report published in papers on the 31st May, 1966; and

(b) if so, the quantity and material received ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricuiture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). The statement below gives the details of the aid offered and received from Sweden :

A. Aid offered to the Govt. of India by the Swedish Govt.—

Commodity	Qty. offered	Qty. received
Milk Powder	4,158 tons	4,158 tons
Fertilisers	14,000 tons	Not yet received
Research-cum-training trawlers	2 nos.	Not yet received

B. Aid offered to Indian Red Cross by the Swedish Red Cross—

Commodity	Qty. offered	Qty. received
Stewed vegetables and Chicken Soup	204 tons	204 tons.
Milk Powder	500 tons	390 tons (This includes a quantity of 170 tons donated by the League of Red Cross Societies, Geneva, through the Swedish Red Cross)
Multi-vitamin tablets	1 million tablets	1 million tablets
Ambulance (Volks wagons)	2 Nos.	Not yet received
Cash	Rs. 33,000	Not yet received

(The cash is for the purchase of 20 tons of multi-purpose food in India)

Production of Dates in Trivandrum

1709. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have chalked out a plan to step up the production of dates in Trivandrum;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the expenditure likely to be incurred in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) 'No.

(b) and (c). Do not arise.

आसाम में कमी की स्थिति

1710. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के गोहाटी तथा अन्य क्षेत्रों में उस समय चावल की बहुत कमी हो गई थी जब उस राज्य में बाढ़ से बहुत तबाही हो रही थी; और

(ख) यदि हां, तो इस खाद्य संकट को दूर करने के लिए राज्य को सहायतार्थ कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) 2000 मीटरी टन चावल और 2000 मीटरी टन गेहूं ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित माल का मूल्य

1711. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित माल के विक्री मूल्य में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) विक्री मूल्यों को अवमूल्यन से पहले वाले स्तर पर लाने के लिए क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं। यद्यपि अवमूल्यन के बाद पी० एल० 480 और अन्य आयातों की इक्नामिक्स लागत बढ़ गई है तथापि, केन्द्रीय सरकार के भण्डारों से दिये जाने वाले खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि नहीं की गई है।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

Starvation Deaths

1712. **Shri Utiya :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have seen report in June, 1966 appearing in the Indian Nation about starvation death in Mahavadia Panchayat, Dulampur, Chakai, District Monghyr in Bihar ;

(b) whether the death was due to the inadequate Central supply of wheat or other foodgrains to Bihar ;

(c) whether it was due to the fact that the Bihar Government gave substantial portion of the Central supply to flour mills who made huge profits, instead of ensuring fair distribution of this grain through fair price and ration shops in rural areas; and

(d) the reaction of Government thereto and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) No such news could be traced.

(b) to (d). Does not arise.

नेफा में वन आरक्षित क्षेत्र

1713. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में कुल कितनी भूमि इस समय वन आरक्षित क्षेत्र है;

(ख) क्या वन विभाग ने स्थानीय लोगों की भावनाओं तथा परम्पराओं के विरुद्ध भूमि अर्जित कर ली है;

(ग) यदि हां, तो उनकी यदि कोई क्षतिपूर्ति की गई है तो कितनी; और

(घ) यदि ग्रामीणों को कोई रायल्टी दी जा रही है, तो कितने प्रतिशत ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) 1462 वर्ग किलो मीटर ।

(ख) जी नहीं । आसाम वन अधिनियम के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् ही इस भूमि को अर्जित किया गया है । केवल वही भूमि अर्जित की गई है जिसके विषय में किसी का कोई हक नहीं था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता । (बोरदूरिया, नामसांग प्राइवेट वनों को छोड़कर, जिनका प्रबन्ध सरकार कर रही है और जिसकी आमदनी सरकार तथा मालिकों में क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत के अनुपात से बांटी जाती है ।)

नेफा में सहकारी समितियां

1714. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नेफा में पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितनी समितियां स्थानीय व्यक्तियों की हैं; और

(ग) सरकार ने नेफा में सहकारिता आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने और सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) 77 ।

(ख) सभी ।

(ग) प्रशासन ने नेफा में सहकारी आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने और सुदृढ़ करने के लिए निम्न कार्यवाही की है :—

(क) ऋण तथा सहायक अनुदान उदारतापूर्वक मंजूर करके उपभोक्ता बहुधन्धी सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया जाता है ।

(ख) समिति के वाणिज्य पक्षों के प्रबन्ध तथा पर्यवेक्षण के लिए सहकारी प्रबन्धकों का एक संवर्ग बनाया गया है । समितियों के वित्तीय भार को कम करने के लिए प्रबन्धकों के वेतनों के लिए भी सहायता दी जाती है ।

(ग) सहकारी विभाग के अधिकारी, लोगों को सहकारी आन्दोलन की जानकारी देने तथा इसका आशय समझाने के लिए विस्तृत दौरे करते हैं।

इस क्षेत्र में सहकारी समितियों को ऋणों तथा उपदानों के रूप में वितरित करने के लिए अब तक लगभग 40 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में पैकेज कार्यक्रम

1715. **श्री बसवन्त :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के पैकेज कार्यक्रम पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि कोई प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है, तो उसके कब तक पेश किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में कुओं तथा नलकूपों के माध्यम से कृषि विकास को गति- मान करने की योजना को तैयार करके विश्व बैंक को भेजा गया है। यह परियोजना एक पहले के उस कार्यक्रम का दूसरा भाग है जिसका अभिप्राय इण्टर-नेशनल डिवेलपमेंट एसोसिएशन से मिले ऋण की सहायता से उत्तर प्रदेश में 800 राजकीय नलकूप तैयार करना था। इस परियोजना में शामिल प्रस्तावों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के कुछ चुने हुए उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए एक बृहत् कार्यक्रम लागू करना है जहां पर कृषि उत्पादन में समूची वृद्धि करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस परियोजना में एफ० ए० ओ० के उस मिशन की सिफारिशों पर भी गौर की गई है, जिसने दिसम्बर, 1964 में भारत का दौरा किया था तथा उसके बाद एफ० ए० ओ० और आई० बी० आर० डी० के साथ भी विचार विमर्श किया गया है।

आशा की जाती है कि शीघ्र ही विश्व बैंक का एक दल इस परियोजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत का दौरा करेगा तथा तब विश्व बैंक की प्रतिक्रिया ज्ञात हो जायेगी।

गोदामों में अनाज का खराब होना

1716. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कि भारी मात्रा में अनाज का आयात किया जा रहा है, लाखों मन मक्का और अन्य किस्म का अनाज उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गोदामों में सड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुल उत्पादन और विक्री योग्य फालतू अनाज और वास्तव में मंडी में रखे गये अनाज की मात्रा के आधार पर ऐसे अनाज के बारे में अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या अनुमान लगाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते

बर्मा से चावल

1717. **श्री रिशांग किशिंग :** **श्री दलजीत सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री वृज वासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा भारत को 80,000 मीट्रिक टन चावल देने के लिये राजी हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ग) इसमें से कितना चावल प्राप्त हो चुका है ; और

(घ) इस वर्ष विभिन्न देशों से सामान्यत: कितने चावल तथा अनाज का आयात किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). वर्मा से 24 जून, 1966 को पत्र विनिमय से 80,000 बड़े टन चावल की एक मात्रा खरीदी गयी । यह कीमत पौण्ड स्टर्लिंग में अदा की जाएगी । चावल का लदान अभी शुरू नहीं हुआ है । मगर दिसम्बर, 1966 के अन्त तक पूरा करना है ।

(घ)

	(लाख मीटरी टन में) (मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार)
गेहूं	102·4
गेहूं का आटा	0·5 (उपहार)
चावल	8·5
माइलो	19·5
कुल	133.9

गेहूं और चावल के आंकड़ों में विभिन्न देशों से उपहार में प्राप्त मात्राएं भी शामिल हैं । माइलो की मात्रा में लगभग 13 हजार मीटरी टन मक्का की मात्रा भी शामिल है ।

पश्चिम बंगाल को चावल का संभरण

1718. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**

डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कानूनन तथा आंशिक राशन व्यवस्था लागू करने के बारे में दिये गये अपने वचन को पूरा करने के लिये चावल की 100,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा मांगी है ;

(ख) इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) केन्द्रीय स्टाक में से पश्चिम बंगाल को अब तक कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को पहले वायदा किये गये 1 लाख मीटरी टन चावल के अतिरिक्त अन्य 50,000 मीटरी टन चावल सप्लाई करने का वायदा किया है।

(ग) 1966 में 23 जुलाई तक पश्चिमी बंगाल को केन्द्रीय भण्डारों से लगभग 9·22 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किये जा चुके थे।

उर्वरक संवर्धन समिति

1719. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संवर्धन निगम के संबंध में उर्वरक समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख). उर्वरक संवर्धन निगम की स्थापना के सम्बन्ध में उर्वरक समिति की सिफारिश अभी विचाराधीन है।

कृषि का विकास

1720. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में कृषि के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कितना धन नियत किया गया है अथवा किया जायेगा ; और

(ख) उक्त अवधि के लिये उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजन के लिये वास्तव में कितना धन मांगा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख). 1966-67 में राज्य प्लान में कृषि विकास योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने 11.0 करोड़ रुपये मांगे जिसके मुकाबले में 10 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है ।

पम्पिग सेटों की सप्लाई

1721. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उड़ीसा सरकार ने उस राज्य में पम्पिग सेटों की सप्लाई के बारे में कोई प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). उड़ीसा सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है किन्तु राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि 1966-67 के दौरान उन्हें 1100 बिजली वाले और 900 डीजल पम्पिग सेटों की आवश्यकता होगी । राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे देश के निर्माणकर्त्ताओं से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम उठाये ।

उड़ीसा में सहकारी चीनी मिलें

1722. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा राज्य में कुछ नये सहकारी चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). 1965 में उड़ीसा के सम्बलपुर जिले की बारगढ़ तहसील में 1250 मीटरी टन प्रति दिन गन्ना पेरने की क्षमता वाला एक नया शर्करा कारखाना लगाने के लिए आशय पत्र दिया गया है । कारखाना लगाने में 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की बैठकें

1723. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 अप्रैल, 1966 से अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कितनी बैठकें हुई हैं ; और

(ख) इन बैठकों में क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

ट्रैक्टरों का आयात

1724. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में भारी कालर क्रालर ट्रैक्टरों के आयात के लिए उड़ीसा सरकार को कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

किसानों को कृषि के लिए ऋण

1725. **श्री कपूर सिंह :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी : **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री गुलशन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी खरीफ की फसल के लिए किसानों को कृषि के लिए ऋण

देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ऋण की सुविधाएं किस प्रकार की दी जाएंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग) अनुमान है कि वर्ष 1966-67 में सहकारी ऋण ढांचा अपने सदस्यों को कृषि उत्पादन के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये के अल्प तथा मध्यकालीन ऋण देगा। इस राशि को खरीफ तथा रबी के लिए अलग-अलग नहीं किया गया है क्योंकि ये ऋण बोयी गई फसलों के आधार पर काश्तकारों की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करेंगे। यह उस ऋण के अलावा है, जो सरकारी समितियों द्वारा खाद्यान्नों की अधिक पैदावार वाली किस्मों के कार्यक्रम के बारे में अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाना है। सहकारी ऋण के अतिरिक्त काश्तकारों के लिए ऋण के अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं, उदाहरणार्थ, तकावी ऋण और कुछेक क्षेत्रों में भारत के खाद्य निगम से मिलने वाले ऋण।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

1726. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिसीमन आयोग ने कितने राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है और अपने अंतिम आदेश प्रकाशित कर दिये हैं ;

(ख) कितने राज्यों ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पोलिंग स्टेशनों की सूचियां तैयार कर ली है ; और

(ग) 1967 में चुनाव कराने के लिये मतदाताओं को शिक्षा देने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) परिसीमन आयोग ने परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है और सभी राज्यों के संबंध में अपने अंतिम आदेश प्रकाशित कर दिये हैं।

(ख) हर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्रों की सूचियां, इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गये अनुदेशों के अनुसार, निर्वाचन आफिसरों द्वारा हर एक निर्वाचन के लिए नये सिरे से तैयार की जाती हैं। यह कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा और वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

(ग) पूर्व में, निर्वाचन आयोग की प्रेरणा पर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए बड़े चिट्ठे, पोस्टर और फोल्डर प्रकाशित किये थे, छोटी फिल्में, चलचित्र स्लाइडें भी निकाली थीं और रेडियो प्रसारणों और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों की व्यवस्था की थी । लोक साधारण अब मतों के महत्त्व, मतदान की पद्धतियों तथा भ्रष्ट आचरणों को समझने लगा है । अत: आयोग का विचार मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर कोई प्रचार कार्य करने का नहीं है ।

खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति

1727. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन):

(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मोपला बे फिशिंग हार्बर

1728. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कण्णानूर जिले में मोपला बे फिशिंग हार्बर का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस बन्दरगाह से कितनी यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नावें चलाई जाती हैं ;

(ग) क्या यंत्रों से मछलियां पकड़ने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र वहां पर खोल दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन):

(क) नहीं ।

(ख) बन्दरगाह पूरी नहीं हुई है फिर भी कन्नानौर क्षेत्र में लगभग 40 यन्त्रीकृत नावें चल रही हैं।

(ग) मशीनों द्वारा मछली पकड़ने के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र 1-7-1963 को स्थापित किया गया था।

(घ) अब तक 160 मछवों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 39 मछवों की एक अन्य टोली को प्रशिक्षण दिया रहा है।

कच्चे काजू का उत्पादन

1729. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में प्रति वर्ष देश में कच्चे काजू का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि में कच्चे काजू की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) 1964-65 तथा 1965-66 के वर्षों के लिए देशी कच्चे काजू के वार्षिक उत्पादन के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1963-64 में काजू का उत्पादन लगभग 1.37 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ख) 1964-65 तथा 1965-66 में क्रमशः 1,91,532 तथा 1,60,636 मीटरी टन कच्चे काजू का आयात किया गया था जिसका मूल्य क्रमशः 16.44 करोड़ तथा 15.06 करोड़ रुपये था।

मेनम चीनी मिल (केरल) के लिये भूमि

1730. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में की गई इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि मेनम चीनी मिल को प्रति एकड़ दस रुपये के नाममात्र किराये पर 1200 एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई है;

(ख) क्या गन्ने की खेती के लिये भूमि मंजूर करने से पहले कोई टेन्डर मांगा गया था;

(ग) यदि नहीं, तो किराया किस आधार पर निर्धारित किया गया, और

(घ) क्या गन्ना उत्पादकों को सौ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किराये पर भूमि देने का सरकार का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कोई टेन्डर आमन्त्रित नहीं किया गया था।

(ग) यह किराया प्लांटेशन कारपोरेशन आफ केरल लि० को रबड़ की खेती के लिये पट्टे पर दी गयी जंगल की भूमि के लिये निर्धारित किराये के आधार पर निर्धारित किया गया था।

(घ) चूंकि नियतन के लिये और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिये गन्ने की खेती के लिये भूमि नियतन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की सीधी कार्यवाही करने की धमकी

1731. **श्री काजरोलकर :** **श्री बड़े :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री बासप्पा : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन कर्मशियल पाइलट्स एसोसियेशन तथा एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं को ठप्प करने के लिये 27 जून, 1966 से सीधी कार्यवाही की ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या थे ; और

(ग) इस विवाद को कैसे हल किया गया ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के कुछ कर्मचारियों ने, जिनका प्रतिनिधित्व इण्डियन कर्मशियल पायलट्स एसोसियेशन, बम्बई और एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ (क्षेत्र नम्बर II, बम्बई) करते हैं, 28 जून, 1966 की आधी रात से 24 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल की।

(ख) इंडियन कर्मशियल पायलट्स एसोसियेशन ने विदेश से एक विमान को पहली उड़ान पर लाने के लिये नियुक्त उड़ान कर्मीदल में एक प्रशासनिक विमान-चालक को सम्मिलित करने पर आपत्ति की। एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की मांग यह थी कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीआइपी) को ले जाने वाली और प्रथम (फेरी) उड़ानों के लिए केबिन परिचारक विशेष चुनाव द्वारा नहीं बल्कि प्रवरता के आधार पर लिये जाने चाहिए। प्रबन्धक-वर्ग ने यह बतला दिया था कि प्रशासनिक विमान चालक को उड़ान कर्मीदल में, विमान को स्वीकार करने के प्रयोजन से सम्मिलित किया गया था और प्रथम उड़ान के लिए विमान कर्मीदल का चुनाव इण्डियन कर्मशियल पायलट्स एसोसियेशन के साथ केन्द्रीय स्तर पर हुए समझौते के अनुसार

किया गया था । एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ को बतलाया गया था कि प्रथम उड़ान के लिए एक प्रवर स्ट्युअर्ड चुना गया था । इस जवाब के बावजूद, कुछ कर्मचारियों ने अवैध हड़ताल की ।

(ग) कर्मचारी अगले दिन, 29 जून, 1966 को सामान्य ड्यूटी पर आये ।

खाद्यान्न उगाही आदेश का पालन न किया जाना

1732. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज उगाही आदेश का पालन न करने के कारण बिहार में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ख) अनाज उगाही आदेश का पालन न करने के मामलों में किन राज्यों में भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों को लागू किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) 17

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Production of Mangoes

1733. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total quantity of mangoes produced in the country during the years 1963-64 and 1964-65;

(b) the extent of damage caused to mangoes during the above period ;

(c) the total quantity of mangoes exported during the above period ; and

(d) the total amount of foreign exchange earned during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Food,Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) and (b). 'Mango' is not one of the crops for which quantitative estimates of production or damage are at present collected by the Government of India.

(c) and (d). Information regarding the quantity of mangoes exported and the value of such exports for 1963-64 and 1964-65 is given below:

Quantity in tonnes

Value in '000 of Rs.

1963-64		**1964-65**	
Qty.	Value	Qty.	Value
1595	1622	1057	1296

Use of Tractors

1734. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the extent to which the use of tractors has increased in the country during the Third Five Year Plan period ; and

(b) the incentives being provided to farmers by Government with a view to increase the use of tractors ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) There were about 31,000 tractors it the country in 1961. During the Third Plan period about 30,000 tractors were added, as under :

Imports.	16,000
Indigenous production.	14,000

(b) (i) Tractors upto 50 D. B. H. P. are exempt from the customs and excise duties.

(ii) In some States tractors are exempted from Sales tax or the tax is being levied at concessional rates.

(iii) Most of the States are advancing taccavi loans for purchase of tractors.

(iv) It is proposed to establish machine service centres during the Fourth Plan period for providing servicing facilities to the tractors owners and supplying tractors on hire,

Delhi Zoological Park

1735. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many immates of the Delhi Zoo died due to the fierce heat wave during the second week of June, 1966; and

(b) if so, the details thereof :

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). No, Sir. Only a rat and a piglot (small pig) died of heat stroke on 8.6.66 and 12.6.66 respectively.

Aid for Agricultural Development in Uttar Pradesh

1736. **Dr. Mahadeva Prasad :**
Shri K. C. Pant :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the amount allotted to Uttar Pradesh Government for agricultural Development during the last two years ;

(b) the extent to which the amount was sufficient to meet their requirements; and

(c) whether the amount has been fully spent?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (b). Government of Uttar Pradesh proposed an outlay of Rs. 59.87 crores for State Plan Schemes in the years 1964-65 and 1965-66 against which a sum of Rs. 59.95 crores (including additional allocation) was allotted to them.

(c) The amount actually spent is estimated at Rs. 60.25 crores, because a provisional figure of the amount spent in 1965 is available.

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

1737. **श्री हुकम चन्द कछवाय:**
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री प्र० चं० बरुआ:

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कम वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में वेतन में कितनी वृद्धि की जायेगी ; और

(ग) क्या एयर इण्डिया के कर्मचारियों के भी वेतन में इसी प्रकार की वृद्धि की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा 28-1-66 को दिया गया पंचाट अन्य मामलों के साथ-साथ एयर इन्डिया के 650 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों और भत्तों के बारे में था। यह पंचाट तारीख 21-2-66 के गजट में प्रकाशित किया गया और इसके प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू हो गया।

पश्चिम बंगाल में सूखा

1738. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सूखा पड़ने के कारण पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादकों को हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को इन पटसन उत्पादकों को कोई राहत देने की कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । ग्रामीण जनता के कष्ट को कम करने के लिए राज्य सरकार ने सहायता कार्य शुरू कर दिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

राशन व्यवस्था

1739. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दैनिक उपयोग की राशन वाली वर्तमान वस्तुओं को बढ़ा कर कुछ और वस्तुओं को राशन के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है ताकि वे वस्तुएं लोगों को निर्धारित मूल्य पर मिल सकें ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं तथा खाद्यान्नों को राशन व्यवस्था के अन्तर्गत रखा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

1740. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो लोक-सभा के कुल कितने सदस्य होंगे ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां ।

(ख) 521 ।

Reforms in Scheduled Castes Colonies

1741. **Shri Gulshan :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any enquiry regarding the steps taken by the Village Panchayats for carrying out reforms in scheduled castes colonies ; and

(b) the States where maximum progress has been made in this respect?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde): (a) and (b). No such enquiry has been conducted by the Government of India. Information from the State Governments is being collected and would be laid on the Table of the House.

चीनी कारखानों के लिये लाइसेंस

1742. **श्री शिवमूर्ति स्वामी:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय, राज्यवार, चीनी कारखानों के लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) बहु नदी परियोजना क्षेत्र में पैदा होने वाले गन्ने की पेराई के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) मैसूर के वेल्लारी जिले में कमालपुर में तथा राज्य के अन्य स्थानों में चीनी कारखानों के लाइसेंस देने के लिए आवेदन-पत्र कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) नये शर्करा कारखाने स्थापित करने के लिए निलम्बित आवेदनपत्रों की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :—

राज्य		निलम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या
1.	मद्रास	9
2.	मैसूर	5
3.	आन्ध्र प्रदेश	2
4.	केरल	1
5.	गोआ	1
6.	उत्तर प्रदेश	6
7.	उड़ीसा	2
8.	राजस्थान	2
9.	गुजरात	6
10.	महाराष्ट्र	3
11.	बिहार	11
12.	पंजाब	1
	जोड़ :	49

(ख) शर्करा कारखाना लगाने के लिये बहु-उद्देशीय नदी प्रायोजना क्षेत्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ग) कमालपुर के लिये आवेदन पत्र मई, 1960 में प्राप्त हुआ था। शर्करा की अधिशेष स्थिति के कारण उद्योग को लाइसेंस न देने के निर्णय के अनुसार 31-3-1960 के बाद प्राप्त अन्य आवेदनपत्रों सहित इस आवेदन-पत्र पर विचार करना स्थगित कर दिया गया। जून, 1963 में जब लाइसेंस देना आरम्भ किया गया तब अन्य आवेदन पत्रों सहित इस आवेदन पत्र पर विचार किया गया और यह विचाराधीन है। मैसूर के अन्य आवेदन पत्र 1964 से निलम्बित हैं। जांच के दौरान में (जिसमें उपलब्ध क्षमता, संस्थागत स्रोतों आदि से उपलब्ध वित्त की वसूली की अच्छी अवधि जैसे पात्रता तत्वों को ध्यान में रखा जाता है) ये आवेदन पत्र बाद में विचार करने के लिये रख दिये गये थे ।

चीनी मिलें

1743. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में चीनी की कितनी मिलें थीं;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में चीनी की कितनी मिलें लगाई जाने की आशा है; और

(ग) अब तक प्रति वर्ष कितनी चीनी का उत्पादन होता है और क्या इससे देश की आवश्यकता पूरी हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) शर्करा वर्ष 1965-66 में जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष था, देश में 199 शर्करा कारखाने चल रहे थे ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 32 और नए शर्करा कारखाने उत्पादन आरम्भ कर देंगे ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में शर्करा का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है:—

वर्ष		शर्करा का उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1963--64	—	25·69
1964--65	—	32·58
1965--66	—	35·00 (अनुमानित)

आवश्यकताएं (निर्यात सहित) उत्तरोत्तर बढ़ेंगी, इसका उत्पादन भी बढ़ना चाहिये। सारी योजनावधि को ध्यान में रखकर शर्करा के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।

महाविधि वक्ता (सालिसिटर जनरल) का त्याग पत्र

1744. **श्री रा० बरुआ :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री राम हरख यादव :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महाविधि वक्ता (सालिसिटर जनरल) ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है ;

(ख) क्या उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) भारत के सालिसिटर जनरल ने 1 सितम्बर, 1966 से पद त्याग करने की इच्छा प्रकट की थी किन्तु उसके बाद उन्होंने अपना त्याग-पत्र वापस ले लिया है और वे अपने पद पर बने रहने के लिए सहमत हो गए हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

वन क्षेत्र

1745. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में योजनायें आरम्भ होने से पहले कितने क्षेत्र में वन थे ;

(ख) राष्ट्रीय वन नीति के अन्तर्गत पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में (योजनावार) कितने क्षेत्र में वन लगाये गये; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने और क्षेत्र में वन लगाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों के मूल्य

1746. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध और घी के मूल्य बढ़ा दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से तथा क्या मूल्यों में इस वृद्धि से मुद्रास्फीति होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Conference of State Co-operation Ministers

1747. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Dighe :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the conference of State Co-operation Ministers was held in New Delhi from the 22nd to 25th June, 1966 ; and

(b) if so, the subjects discussed thereat ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खाद्यान्नों का आयात

1748. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत को किन-किन देशों ने अनाज दिया ; और

(ख) इन देशों से कितना-कितना अनाज मंगाया गया और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6723/66]

उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती सड़कें

1749. **श्री कृ० चं० पन्त** क्या : **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को राज्य में सीमावर्ती सड़कों का विकास करने के लिए वर्ष 1965-66 में केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा कितने मील सड़कें बन चुकी हैं ; और

(ग) चौथी योजना में उक्त काम के लिए केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि देने का बचन दिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) संभवतः योजना स्कीमों के अन्तर्गत सीमान्त सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता के संदर्भ से है। 1965-66 में 255.00 रुपये के सम्पूर्ण उद्व्यय की स्कीमों का अनुमोदन किया गया था। इन सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की लागत की 75 प्रतिशत सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार को व्यय के केन्द्रीय अंश की प्रतिपूर्ति उनसे व्यय की प्रामाणित संख्या की प्राप्ति न होने के कारण अभी तक नहीं दी गयी है।

(ख) राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति के दावे की प्राप्ति पर अभी तक किये गये व्यय और निर्माणित सड़कों की मील दूरी जानी जायेगी।

(ग) भारत सरकार उसी तरह 1966-67 में वित्तीय सहायता देने के लिए राजी हो गयी है। चौथी योजना के शेष समय के लिए ऐसी सहायता देने का प्रश्न अभी तय नहीं किया गया है।

गन्ना उत्पादकों पर शुल्क

1750. **श्री लखमू भवानी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गन्ना तथा मूंगफली का उत्पादन करने वाले किसानों पर कोई शुल्क लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गन्ना तथा मूंगफली पैदा करने वाले किसानों पर कोई लेवी लागू नहीं की गयी है लेकिन मूंगफली, गन्ना, अफीम और कपास पैदा करने वाली भूमि पर 2 रुपये प्रति एकड़ एक कर लागू किया गया है।

मध्य प्रदेश में खाद्य उत्पादन

1751. **डा० चन्द्रभान सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में मध्य प्रदेश में अनाज के उत्पादन में कुल कितनी कमी है ;

(ख) सरकार ने 1 जनवरी, 1965 से अब तक मध्य प्रदेश को कुल कितना अनाज दिया ; और

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में खाद्य उत्पादन में हुई कमी के कारण राज्य की कुल कमी को पूरा करने की संभावना पर विचार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोन्विद मेनन): (क) मध्य प्रदेश के 1965-66 के उत्पादन के अन्तिम अनुमान केवल कुछ खाद्यान्नों के बारे में उपलब्ध हैं और न कि सभी खाद्यान्नों के । अतः चालू वर्ष में उत्पादन में कमी के ठीक-ठीक आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

(ख) पहली जनवरी, 1966 से 30 जून, 1966 तक मध्य प्रदेश को 4.16 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किये जा चुके थे ।

(ग) मध्य प्रदेश सामान्यतः खाद्यान्नों की दृष्टि से अधिशेष राज्य है । अतः उस राज्य में गतवर्ष की तुलना में उत्पादन में हुई सारी कमी को पूरा करना आवश्यक नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि देश में चालू वर्ष में खाद्यान्नों की उपज में भारी कमी हुई है और सारी कमी को अतिरिक्त आयातों से पूरा नहीं किया जा सकता । केन्द्रीय सरकार के लिए यह व्यवहार्य भी नहीं कि वह किसी भी राज्य की उपज में हुई सारी कमी को पूरा करने का प्रयत्न करे ।

साम्य अंश (इक्विटी शेयर) तथा ऋण पत्र

1752. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **विधि** मंत्री सभा-पटल पर एक वक्तव्य रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित दिया हुआ हो :—

(क) 1965-66 और 1966-67 में अब तक किन-किन कम्पनियों ने साम्य अंश (इक्विटी शेयर) तथा ऋण-पत्र जारी किये हैं ;

(ख) जनता ने उनमें कितना धन लगाया है तथा बीमेदारों ने कितने अंश तथा ऋण-पत्र लिये हैं ; और

(ग) इन कम्पनियों ने पिछली बार कितना लाभांश दिया ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) से (ग). एक संक्षिप्त टिप्पणी विवरणों सहित, जिसमें अपेक्षित उपलब्ध सूचना समाविष्ट की गई है, सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 6724/66]

यांत्रिक चावल प्ररोपक (मेकेनिकल राइस ट्रांसप्लान्टर)

1753. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मनाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष को अपने योगदान के रूप में

ब्रिटिश ओवरसीज लाइजन यूनिट द्वारा तैयार किये गये यांत्रिक चावल प्ररोपक का प्रयोग भारत के धान के खेतों में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्य कैसा रहा है ; और

(ग) भारत में इसके प्रयोग की कितनी सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग). नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग, यू० के० में बना यह प्ररोपक पहले ही हमारे पास है। यह उसी तरह काम करता है जिस तरह चीन का बना हुआ काम करता है जिसका गत 3 वर्षों से देश में परीक्षण किया जा रहा है और जिससे ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। फिर भी ऐसा मालूम हुआ है कि इस नये डिजाइन में कुछ बेहतरी है। निदेशक, ट्रैक्टर टेस्टिंग स्टेशन, बुदनी ने जो हालही में इंगलैंड में इस संस्था में होकर आये हैं चावल प्ररोपक के तीन यूनिटों की सप्लाई का प्रबन्ध किया था। ये पहले ही प्राप्त हो गये हैं और प्ररोपक के काम को दिखाने के लिए एक विशेषज्ञ भी हाल ही में आया। अनुसंधान इंजीनियर, उन्नत कृषि औजारों में अनुसंधान परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कोइम्बेटूर और केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था, कटक के कृषि इंजीनियर ने भी प्रदर्शनों को देखा। ये दोनों अधिकारी आगे कृषि परीक्षणों के लिए एक-एक यूनिट ले रहे हैं।

Purchase of Tractors

1754. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Punjab Government have recently asked the Central Government for the purchase of 1400 tractors from East European countries against Rupee payment ; and

(b) if so, the action Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विदेशों से अनाज की सहायता

1755. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964-65 तथा 1965-66 में हालैंड, इटली, आस्ट्रेलिया, फिलिपीन तथा अन्य देशों ने भारत को उपहार के रूप में गेहूं तथा चावल के अलावा मोटा अनाज, दूध का पाउडर तथा नारियल का तेल भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मद की मात्रा का ब्यौरा क्या है और उन देशों के क्या नाम हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख). 1964-65 और 1965-66 में सरकार को नारियल के तेल का कोई उपहार नहीं मिला है। भारत सरकार को विदेशों से उपहार रूप में प्राप्त गेहूं, चावल, मिलेट और दुग्ध चूर्ण और इनका जिस प्रकार से उपयोग किया गया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6725/66]

Journal Containing Hindi Versions of Judgements of High Courts

1756. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme for publishing a journal containing Hindi versions of important judgements of various High Courts has been under consideration of Government ;

(b) whether any decision has been taken in this connection ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the time by which arrangements are likely to be made for the publication of such a journal ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) to (d). A proposal for publishing a journal containing Hindi versions of important judgements of various High Courts has been received in this Ministry. The proposal is receiving the consideration of Government. Unless a decision is taken to publish the journal, it is not possible to indicate the time by which arrangements for its publication are likely to be completed.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के इन्जीनियरों द्वारा असहयोग

1757. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के इंजीनियरों ने हड़ताल तथा असहयोग किया है जिसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की निर्धारित विमान-सेवायें काफी अस्त-व्यस्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचार अथवा संचित (एक्युमुलेटिव) उपाय किये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के इंजीनियरों द्वारा 20 जुलाई, 1966 को हड़ताल करने की धमकी दी गयी, लेकिन यह धमकी बाद में वापस ले ली गयी । फिर भी, सान्ताक्रुज, बम्बई में विभिन्न शिफ्टों में काम कर रहे मैकेनिकों ने 27 जुलाई, 1966 को 21.30 बजे से 28 जुलाई, 1966 को 21.30 बजे तक अकस्मात अवैध हड़ताल की जिसके परिणामस्वरूप आई० ए० सी० की बम्बाई के लिए और बम्बई से जाने वाली उड़ानें रद्द करनी पड़ीं ।

(ख) और (ग). उन मैकेनिकों का, जिन्होंने काम बन्द रखा, इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के साथ कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए, उनकी इस कार्यवाही के लिए कोई कारण नहीं बताये गये । हड़ताल की अवधि की मजदूरी काट दी गयी है ।

ढोने में अनाज की हानि

1758. **श्रीमती रेणु चक्रवती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स जय भारत एण्ड कम्पनी को मद्रास बन्दरगाह पर, "केयर" (सी० ए० आर० ई०) पार्सलों को ढोने के लिये दिये गये ठेके की शर्तों के कारण हानि हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि ये पैकट बन्दरगाह क्षेत्र के बाहर माल डिब्बों में लादे जायें तो इस प्रकार होने वाली हानि में काफी कमी की जा सकती है;

(ग) क्या इस ठेकेदार को दिये जाने वाले दरों की तुलना में विभागीय दरें बहुत कम हैं;

(घ) क्या इस मामले में उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और रोक आदेश दे दिया गया है; और

(ङ) रोक आदेश की समाप्ति तक यह कार्य विभाग की ओर से क्यों नहीं किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ङ). मेसर्स जय भारत एण्ड कं० को उनकी दर सबसे कम पायी जाने पर, 12-7-1965 से 11-7-1967 तक की दो वर्ष की अवधि के लिये मद्रास पर उपहार पार्सलों (जिनमें केयर के पार्सल भी हैं) के लिये क्लीरेन्स तथा फारवर्डिंग ठेकेदार नियुक्त किया गया था । नगर के रेल-छोर से पार्सल भेजने के लिये जो दरें बतायी गयी थीं वह बन्दरगाह से भेजने की अपेक्षा कम थीं । ठेका शुरू होने के लगभग एक महीना बाद सरकार के ध्यान में यह लाया कि ऊंची दरों का फायदा उठाने के लिये ठेकेदार बन्दरगाह से सीधे माल भेजने लगे और प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) की हिदायतों के विपरीत होने पर भी वे ऐसा करते रहे । अतः मेसर्स जय

भारत एण्ड कं० का ठेका रद्द करने और नये टेंडर आमन्त्रित करने का निर्णय किया गया। जब प्राप्त नये टेंडर विचाराधीन थे तब मेसर्स जय भारत एण्ड कं० ने मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी और नवम्बर 1965 में व्यादेश प्राप्त करने में सफल हुये जिससे सरकार प्राप्त नये टेंडर पर आगामी कोई कार्यवाही न कर सकी। सरकार ने व्यादेश के आदेश रद्द करवाने के लिये कदम उठाये। हाईकोर्ट ने ठेकेदार की रिट याचिका 6-7-1966 को रद्द कर दी। सरकार ने अब इस काम को विभाग से करवाने का निर्णय कर लिया है। आशा है कि यह काम विभाग से करवाने पर सस्ता पड़ेगा।

आई० जी० एन० नदी सेवा के कर्मचारी

1759. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

डा० रानेन सेन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् मुख्य सेवाओं का पाकिस्तान से होकर निकलने वाले मार्ग को बन्द किये जाने के बाद आई० जी० एन० नदी सेवा को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में किये जाने पर उसके बहुत से मजदूर तथा कर्मचारी अपनी नौकरियों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे है ;

(ख) क्या उनमें से किसी को फालतू घोषित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा दिये गये इस वचन का कहां तक पालन किया गया है कि वे कर्मचारी सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में लगा दिये जायेंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). संभवतः प्रश्न में रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी लि० के श्रमिकों और कर्मचारियों का संदर्भ है जिसने इण्डिया जनरल नेविगेशन एंड रेलवे कंपनी की भारत शाखा की परिसंपत्ति और देयता को 1963 में ग्रहण कर लिया था। भारत सरकार ने फरवरी 1965 में रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी लि० की मोचन पूंजी में नियंत्रक रुचि प्राप्त कर ली थी। पाकिस्तान से संघर्ष छिड़ने के बाद कलकत्ता-आसाम मार्ग पर नदी सेवायें बन्द कर दी गई थीं और कंपनी के कार्यकलापों में अत्यधिक काट छांट करनी पड़ी। उसमें काम की कमी के कारण कुछ कर्मचारियों को अलग करना पड़ा। कंपनी का भविष्य भारत सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि भारत सरकार ने फालतू कर्मचारियों को ले लेने का कोई वचन नहीं दिया है फिर भी आवश्यकता से फालतू बचे कर्मचारियों को जो सरकारी क्षेत्र में संस्थानों तथा सरकारी संगठनों में काम करने के उपयुक्त हैं उन्हें संभव सीमा तक काम में ले लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

त्रिपुरा में खाद्य संकट

1760. **श्री वीरेन दत्त :**

श्री दशरथ देव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में अनाज की भारी कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य सिंडीकेट के बन जाने से सारे त्रिपुरा में चावल की कीमतें 55 रुपये से 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी हैं ;

(ग) क्या सरकार खाद्य सिंडीकेट को तुरन्त समाप्त करने का विचार कर रही है; और

(घ) त्रिपुरा के लोगों की खाद्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार का कौन से अन्य उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जिन इलाकों में खाद्यान्नों के बाजार भाव चढ़ गये हैं वहां उचित मूल्य की दुकानें खोली गयी हैं परिवार कार्डों से एक किलो चावल और एक किलो गेहूं प्रति वयस्क प्रति सप्ताह दिया जाता है । अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में यह मात्रा $1\frac{1}{2}$ किलो चावल और $\frac{1}{2}$ किलो गेहूं प्रति वयस्क प्रति सप्ताह है । भारी शारीरिक काम करने वाले मजदूरों को 200 ग्राम गेहूं प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह अधिक दिया जाता है । इस समय प्रदेश की कुल जनसंख्या के 54 प्रतिशत को कार्ड दिये जा चुके हैं ।

खाद्य उत्पादन

1761. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने की हमारी क्षमता के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ;

(ख) इस कार्य पर कितना खर्च आयेगा और जनता को किन-किन साधनों की आवश्यकता है; और

(ग) इस कार्य के लिए क्या कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग). अभी तक चौथी योजना के लिए खाद्य उत्पादन, व्यय व आदानों के लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इस समय अगले 3 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत करना संभव नहीं है । अप्रैल, 1966 में संसद सदस्यों में "कृषि विकास कार्यक्रम 1966-67" नामक पुस्तिका परिचारित की गई थी जिसमें 1966-67 के लक्ष्य, व्यय तथा आदानों के बारे में जानकारी दी गई थी ।

भूमि सुधारों के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन

1762. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में रोम में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(घ) भूमि सुधारों के उद्देश्यों के बारे में सम्मेलन में भारत ने क्या रवैया अपनाया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां, सम्मेलन 20 जून से 2 जुलाई तक हुआ ।

(ख) सम्मेलन ने विकसित देशों में विभिन्न भूमि सुधार उपायों के सोशियोएकोनामिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया । खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सम्मेलन सम्बन्धी रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई है । फिर भी सम्मेलन के अन्त में अपनाये गये प्रस्ताव की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6726/66**]

(ग) 71 राष्ट्रों के जो यू० एन० (जिसमें भारत शामिल है) के सदस्य हैं लगभग 250 प्रतिनिधि मण्डलों ने सम्मेलन में भाग लिया ।

(घ) खाद्य तथा कृषि संगठन को खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजात की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6726/66**]

Supply of Foodgrains for Central Stocks

1763. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains asked for by the Governments of Uttar Pradesh and Bihar from the Central Government for July, 1966 ;

(b) the extent to which this demand has been or is proposed to be met by the Central Government ;

(c) whether it is a fact that in the said two States, particularly in Bihar, there is fear of maize crop dying as a result of drought ; and

(d) if so, the steps taken by Government to face the future crisis ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) U.P. Government asked for 50,000 tonnes of imported wheat. Bihar Government asked for 125,000 tonnes of foodgrains.

(b) 40 thousand tonnes of wheat were allotted to Uttar Pradesh. About 83 thousand tonnes of foodgrains were allotted to Bihar.

(c) There have been reports of some damage to the maize crops in some districts of Bihar on account of inadequate rainfall. No reports have been received regarding damage to maize crops in U.P.

(d): It is too early to judge whether the maize crop will fail to such an extent as to cause a crisis.

गेहूं क्षेत्र

1764. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से प्रेरित होकर सरकार ने उत्तर प्रदेश को गेहूं-क्षेत्र में शामिल किया है और बिहार को नहीं किया;

(ख) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के शाहाबाद जिले में देशी गेहूं के मूल्यों (फुटकर तथा थोक) में कितना अन्तर है; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) लोक सभा में 19 अप्रैल, 1966 को दिये गये वक्तव्य में उत्तर प्रदेश को पंजाब क्षेत्र में सम्मिलित करने के कारणों का उल्लेख कर दिया गया था। निस्संदेह चार अथवा पांच राज्यों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनाने से उत्पादक को पर्याप्त कीमत से भी अधिक कीमत मिलती—मगर यह डर था कि भाव उस स्तर पर स्थिर हो जाते जिससे उपभोक्ता को अत्यधिक कठिनाई होती। अतः यह निर्णय किया गया कि केवल पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का बिना राशन वाला इलाका तथा हिमाचल प्रदेश को मिलाकर बनाये गये इस सीमित क्षेत्र के कार्य चालन पर निगरानी रखी जाये।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

गौ-हत्या

1765. **श्री जेधे :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अपने क्षेत्राधिकार में गौ-हत्या बन्द करने के बारे में कानून बनाये हैं;

(ख) उपरोक्त कानून किन-किन राज्यों ने लागू कर दिये हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में गौ-हत्या बन्द करने के बारे में कानून तो पास कर दिये हैं किन्तु उन्हें अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं और उन्होंने ऐसे अधिनियम किस वर्ष में (राज्यवार) पारित किये और इन अधिनियमों को अब तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) से (घ). राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कच्छ के रन का खेती योग्य बनाया जाना

1766. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ के रन की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की अनुमानित लागत तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) गुजरात की सरकार ने यू० एन० एस० एफ० की सहायता मांगने के लिए प्रार्थना का प्रारूप भेजा है । इसमें अन्य बातों के अलावा एक योजना है जिसके अन्तर्गत जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और कच्छ के रन तथा गुजरात में अन्य तटवर्ती भूमि नर्मदा जल द्वारा सुधारने की मितव्ययी सम्भाव्यता देखने के लिए पाइलट परियोजनाएं शुरू की जायेंगी । इस योजना पर विचार हो रहा है ।

(ख) परियोजना पर जो खर्च होगा उसका अनुमान राज्य सरकार ने लगभग 2 करोड़

रुपये लगाया है (पूर्व-विमूल्यन दर) गुजरात की सरकार ने यू० एन० एस० एफ० से लगभग 85 लाख रुपये की सहायता मांगी है ।

(ग) योजना के अन्तिम रूप से अनुमोदन के बाद ही केन्द्रीय सहायता की मात्रा का निश्चय किया जायेगा ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की बम्बई-बड़ौदा-अहमदाबाद विमान सेवा

1768. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 25 अप्रैल, 1966 से बम्बई-बड़ौदा-अहमदाबाद विमान सेवा की उड़ान संख्या आई० सी० 177 और 178 बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ौदा हवाई अड्डे पर धावनपथ खराब होने के कारण ऐसा किया गया है;

(ग) क्या इस धावनपथ की मरम्मत कराने के लिए कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). बड़ौदा हवाई अड्डे के धावनपथ के अनुपयुक्त होने के कारण बम्बई-बड़ौदा विमान सेवा 25-4-1966 से बन्द कर दी गई ।

(ग) और (घ). धावनपथ के पार्श्व की हवाई पट्टियों में से एक पट्टी, अच्छे मौसम की हवाई पट्टी की बरसात के बाद तुरन्त मरम्मत की जायेगी ताकि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन विमान सेवाएं फिर शुरू कर सके । मुख्य धावनपथ को मजबूत बनाने का काम भी बरसात के बाद शुरू किया जायेगा । इस निर्माण-कार्य के पूरा होने में लगभग 18 माह से लेकर 2 वर्ष तक लग जायेंगे ।

रागी फसल

1769. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई की हुई रागी फसल को एक छूत की बीमारी लग जाती है जिससे सारी फसल तबाह हो जाती है;

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा कृषि विभागों द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर इस रोग का पता लगाने तथा इसके उपचार के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इससे रैयतों को कितनी हानि होती है;

(घ) क्या भी यह सच है कि सूखी जमीन पर उगाई जाने वाली रागी फसल को जो केवल वर्षा पर ही निर्भर करती है कोई अन्य कीड़ा लग जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सूखी रागी फसल को इस कीड़े से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी नहीं। जून, 1966 के दौरान मैसूर राज्य में देर से बोई गई सिंचित फसल पर अज्ञात रोग का प्रभाव हुआ।

(ख) इस रोग का परीक्षण डा० थीरूमलाचर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, रिसर्च, पिमारी, पूना द्वारा किया गया और इसमें पिरीकुलोरिया, फुसारियम तथा हैलमिन थोसपोरियम का संदेह पाया जाता है। आरगेनो-मरकूइलज तथा प्रोफीलैक्टिक स्प्रे या जीनेव के प्रयोग द्वारा फसल को रोग मुक्त किया जा सकता है। इस रोग के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए एक योजना कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से प्राप्त हुई है। केन्द्रीय सरकार ने नाशकारी कीटों के प्रोफीलैक्टिक नियंत्रण और राज्य में फसलों के रोग सम्बन्धी एक योजना स्वीकृत की है जिस पर 0.96 लाख रुपये खर्च आयेंगे।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस रोग के कारण हुई हानि का अनुमान नहीं लगाया है। यह जानकारी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि विभाग, भारत सरकार के पास भी नहीं है।

(घ) इस प्रश्न के भाग में पूछे गये 'नये कीट' के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी एक कीट के बारे में रिपोर्ट मिली है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से एक पहले ही उस स्थान पर है। उसकी रिपोर्ट एक या दो दिन में मिल जायेगी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

Confirmation of Hindi Assistants

1770. **Shri Bade:** **Shri Sonavane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Y. D. Singh:**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of Hindi Assistants who qualified the examination conducted by the U. P. S. C. in 1959 in (i) Food (ii) Agriculture (iii) Community Development and (iv) Co-operation Departments of his Ministry ; and

(b) the number of Hindi Assistants in these Departments who have been confirmed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra):

Number of Hindi Assistants in Department of:

	Food	Agriculture	Community Development and Cooperation
(a)	1	3	1
(b)	1	Nil*	1

*Two posts in the Department of Agriculture (One in the Department proper and one in the Dt. of Marketing and Inspection, Nagpur, an attached office) have been converted into permanent ones w. e. f. 1. 3.66 and 21.2.66 and the cases of the incumbents for confirmation are being processed. The post in the I. C. A. R. has not been converted into a permanent one as the Council is in the process of re-organisation.

त्रिपुरा को गेहूं की सप्लाई

1771. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में अधिक गेहूं सप्लाई करने के बारे में त्रिपुरा सरकार से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला था;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा सरकार ने कितना गेहूं मांगा था; और

(ग) सरकार ने चालू वर्ष के लिए त्रिपुरा को कितना गेहूं देना स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां ।

(ख) 8,000 मीटरी टन ।

(ग) 8,000 मीटरी टन ।

कच्छ की रण में लमढींग (फ्लैमिंगो) और जंगली गधों का परिरक्षण

1773. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ की बड़ी रण (खाड़ी) ही एशिया में लमढींगों के मिलने का एकमात्र प्रसिद्ध तथा विस्तृत क्षेत्र है;

(ख) क्या कच्छ की छोटी रण में भारतीय जंगली गधा पाया जाता है, जो संसार में वास्तविक जंगली गधे की एक ही नस्ल रह गई है; और

(ग) यदि हां, तो लमढींगों और जंगली गधों का परिरक्षण और संरक्षण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) छोटी खाड़ी में भारतीय जंगली गधा पाया जाता है परन्तु संसार में जंगली गधे की यह अकेली ही किस्म नहीं है।

(ग) गुजरात राज्य में जंगली गधे व लमढींग रक्षित प्राणि घोषित किये गये हैं।

इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की सेवाएं

1774. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जुलाई, 1966 को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कलकत्ता जाने वाला एक विमान सान्ताक्रुज हवाई अड्डे से घोषित समय से एक घंटा पहले ही उड़ गया और जिसके फलस्वरूप नौ यात्रियों को वहीं रुकना पड़ा।

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के अनुरोध के बावजूद भी विमान के मुख्य चालक ने इन व्यक्तियों को इस विमान में उस समय चढ़ने की अनुमति नहीं दी जब यह विमान उड़ने ही वाला था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). कारवेल उड़ान आईसी - 175 बम्बई/कलकत्ता 25 जुलाई, 1966 को 16.10 बजे रवाना होने को थी। जिस विमान को इस उड़ान पर जाना था उसके बगंलौर से आने में प्रत्याशित देरी के कारण उड़ान का 17.45 बजे रवाना होना निश्चित किया गया। तब तक, एक अन्य विमान उपलब्ध हो गया और उड़ान की रवानगी फिर 16.10 बजे होना निश्चित किया गया। वाणिज्यिक विभाग द्वारा यात्रियों से सम्पर्क स्थापित करने के प्रयत्न किये गये और जब 16.30 बजे उड़ान की वास्तविक घोषणा की गयी उस समय 72 बुक्ड यात्रियों में से 8 यात्री नहीं आये हुए थे। विमान के इंजन चालू किये गये लेकिन विमान के चलने से पहले 6 यात्री विमान के पास टरमैक तक पहुंच गये और स्टेशन मैनेजर ने, जो कि टरमैक पर था, कमांडर को संकेत दिया और उनसे यात्रियों को स्वीकार करने तथा उन्हें विमान में आने देने के लिए पिछली सीढ़ियों को नीचे झुकाने के लिए अनुरोध किया। लेकिन कमांडर ने विमान रवाना कर दिया और यात्री वहीं छूट गये। प्रबन्धकवर्ग इस मामले की जांच कर रहा है।

कालीकट पत्तन के लिये कर्षनाव (टग)

1775. **श्री पोट्टेकाट्ट :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट पत्तन के लिये एक कर्षनाव (टग) प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कर्षनाव कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). केरल सरकार ने सूचित किया है कि 132 और 210 अश्व शक्ति के दो टग कालीकट पत्तन में काम में लाये जा रहे हैं। बड़ा टग जनवरी, 1965 में बनाया और चालू किया गया था। कालीकट पत्तन के लिये दूसरे टग को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचायत कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1776. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री प० कुन्हन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायत कर्मचारियों सम्बन्धी पेंशन योजना को उन पंचायत कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है, जिन्होंने तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल में पंचायत निदेशक द्वारा की गई औपचारिक आपत्ति के कारण कुछ सेवानिवृत्त पंचायत कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली है; और

(ग) यदि हां, तो सेवानिवृत्त व्यक्तियों की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी मांगी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्राम पंचायतों की शक्तियां

1777. **श्री प० कुन्हन :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्राम पंचायतों को उचित तथा सुचारु ढंग से चलाने के लिये उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान करने के मामले में केरल में पंचायत प्रधानों के हाल के सम्मेलन में किये गये निर्णयों तथा सिफारिशों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). प्रश्नास्पद संकल्प अभी तक केन्द्रीय सरकार के नोटिस में नहीं आया है। इसकी एक प्रति राज्य सरकार से मांगी गई है। साथ ही उनके द्वारा उस पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी गई है।

आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर में सड़कें

1778. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर को मिलाने वाली सड़क संचार व्यवस्था को सुधारने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो (एक) अगरतला बदरपुर-पासी-शिलांग सड़क, (दो) सिल्चरएजल सड़क और (तीन) सिल्चर-इम्फाल सड़क को बारहमासी सड़कें बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां,

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

अगरतला-बदरपुर-पासी शिलांग (सड़क) (309 मील)

शिलांग से अगरतला तक इकहरी गली वाली एक सड़क पहले ही मौजूद है । पासी-बदरपुर सेक्शन की लुब्बा और बारक नदियों पर के पुलों के पूरा होने पर यह सड़क बारहमासी सड़क हो जाएगी । लुब्बा पुल का निर्माण कार्य जारी है और फरवरी 1967 तक उसके पूरा होने की आशा है । बारक पुल बनाने और सड़क के सुधार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

सिल्चर ऐजल सड़क (125 मील)

यह सड़क 80 मील तक 20 फुट चौड़ी कर दी गई है, रोड़ी बिछाने और सतह काली करने का काम भी 22 मील तक पूरा हो गया है । और काम जारी है । तीन टन वाली गाड़ियां इस सड़क पर चल रही हैं ।

मणिपुर में सिल्चर-इम्फाल सड़क (151 मील)

सिल्चर-इम्फाल सड़क का निर्माण कार्य मणिपुर राज्य में हो रहा है । इस परियोजना के अंतर्गत 16 फुट चौड़ी और 12 फुट काली सतह वाले यानमार्ग की मोटर चलने योग्य सड़क बनाने का विचार है । इसमें छः बड़े नदी घाट पड़ते हैं । अब तक 131 मील तक मिट्टी भराई का काम, इम्फाल से प्रथम 21 मील तक रोड़ी बिछाने का काम और अस्थायी पुलियों का काम पूरा हुआ है । शेष कार्य या तो जारी है या उनकी जांच की जा रही है ।

बड़क पुल

1779. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर-पासी सड़क पर बड़क नदी पर पुल के लिये टेंडर के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक टेंडर के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). बदरपुर-पासी सड़क पर बदरपुर के निकट बारक पुल के निर्माण के लिये पांच फर्मों से 31 मई, 1966 को निविदा प्राप्त हुये थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग आसाम द्वारा निविदाओं की जांच किये जाने पर यह मालूम हुआ कि उनमें वित्तीय आशयों की कई शर्तें लगी हुई थीं। अतः राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को निविदा भेजने वाली फर्मों को जुलाई, 1966 में एक प्रश्नावली भेजनी पड़ी जिसमें कई बातों पर उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था। निविदा भेजने वालों से प्राप्त उत्तरों की जांच राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। खर्चे में किफायत करने की दृष्टि से इस पुल सहित नई योजनाओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यदि परियोजना अन्ततः अनुमोदित हो जाती है तो इस पुल का निर्माणकार्य शुरू कर दिया जायगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बोनस अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

श्री उमानाथ : श्रीमान, मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान इस विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें।

"बोनस अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया"।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सरकार द्वारा स्वीकृति बोनस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये 29 मई, 1965 को एक अध्यादेश जारी किया गया। बाद में इस अध्यादेश का स्थान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 ने ले लिया।

नियोजकों ने अनेक उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यावेदन दायर करके इस विधान के मुख्य उपबन्धों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। जो मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास थे, उनकी सुनवाई अप्रैल, 1966 में हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला 5 अगस्त, को दे दिया है। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 10 की वैधता को स्वीकार कर लिया है। इस धारा में लाभ को ध्यान में न रखते हुये न्यूनतम बोनस की अदायगी की व्यवस्था है। अधिकतम बोनस सम्बन्धी धारा 11 और आवंट्य फालतू राशि के सेट आन और सेट आफ सम्बन्धी धारा 15 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परन्तु अनिर्णीत विवादों पर अधिनियम को लागू करने सम्बन्धी धारा 33, मूल वर्ष के बोनस अनुपात को लागू करने सम्बन्धी धारा 34(2) तथा अधि-

नियम को लागू करने में कठिनाइयां दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेश लेने के अधिकारों सम्बन्धी धारा 37 बहुमत निर्णय द्वारा संवैधानिक रूप से अवैध ठहराई गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किया जा रहा है। श्रमिकों के यथार्थ तथा वैध हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

श्री उमानाथ : देश के बहुत न्यायाधिकरणों के समक्ष असंख्य मामले ऐसे पड़े हैं जिनमें मजदूरों को बोनस मिलने के बारे में अभी निर्णय होने हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा इन धाराओं को रद्द कर देने से लाखों कर्मचारियों के बोनस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उससे औद्योगिक अशान्ति फैलने की आशंका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसी सत्र में इस बारे में संशोधन करने वाला विधेयक लायेगी ताकि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके ?

श्री जगजीवन राम : ऐसी कोई बड़ी समस्या खड़ी/उत्पन्न नहीं हुई, जैसा कि माननीय सदस्य समझ रहे हैं। यह निर्णय 5 अगस्त को दिया गया है। श्रम मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय इसका अध्ययन कर रहे हैं। कर्मचारियों के हितों की पूरी रक्षा की जायेगी। इस बारे में मैं जानकारी एकत्र कर रहा हूं।

श्री उमानाथ : इस बारे में बहुत वाद चल रहे हैं। मैं स्वयं जानता हूं।

श्री जगजीवन राम : बोनस भुगतान अधिनियम के मूल उपबन्धों पर इस निर्णय से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है। जिन विषयों के बारे में कुछ प्रभाव पड़ा है उनके बारे में मैं पूछताछ कर रहा हूं। विधि मंत्रालय से सलाह मिलने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान जी उच्चतम न्यायालय में इस संसद तथा सरकार के प्रति बहुत खेदजनक शब्द प्रयोग किये गये हैं। इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हां हम न्यायालय के निर्णय का अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जायेगी।

Shri Yashpal Singh : What action would be taken against those who are responsible for faulty drafting of this Bill ?

Mr. Speaker : This Bill was passed by Parliament. The Hon. Member should have raised this objection at that time.

श्री प्र० चं० बरुआ : कई विषयों में नियोजकों ने बोनस अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर दिया है। सरकार उन नियोजकों द्वारा किये गये भुगतान के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? जबकि अधिनियम के कुछ भाग अवैध घोषित कर दिये गये हैं।

श्री जगजीवन राम : जिस बोनस का भुगतान पहले ही हो चुका है अब उसे वापिस नहीं लिया जायेगा।

श्री नारायण दांडेकर : क्या यह सच है कि बोनस अधिनियम के फलस्वरूप मजदूरों के झगड़ों में वृद्धि हो गई है और उत्पादन में कमी हो गई है ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Keeping the high cost of living, what steps are proposed to be taken to bring down salaries of big people and increase the salaries of poorer sections of society, so that this gap is narrowed down ?

Shri Jagjiwan Ram : It has got no connection with the judgement of the Supreme Court.

Shri Vishwa Nath Pandey : Difficulties have cropped up for workers as a result of declaring certain provisions of the Bonus Act unvalid. I want to know as to how long the Law Ministry is likely to take in tendering its opinion ?

Shri Jagjiwan Ram : We will try to expedite the matter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Members belonging to opposition parties had opposed this Bill. I think the Ministers who are responsible for this Bill should be punished.

Mr. Speaker : This Bill was passed by Parliament. No individual can be held responsible for this, whether he was consulted or not.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस निर्णय के बारे में कर्मचारियों तथा नियोजकों की प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा महाराष्ट्र के श्रम मंत्री ने भी इस बारे में शंका व्यक्त की गई है कि कहीं हड़तालें आदि न हो जाएं। नियोजकगण तो इस पर प्रसन्न हुए हैं। क्या सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? क्या कर्मचारियों के हितों की रक्षा का ध्यान रखते हुए सरकार नियोजकों के द्वारा दी गयी धमकियों का सामना करने का भी आश्वासन देगी ?

श्री जगजीवन राम : हम इस निर्णय पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद ही उचित निर्णय किया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक बुलायी जायेगी। इस बारे में पहले विधि विशेषज्ञों की राय ली जायेगी।

नियम 357 के अन्तर्गत सूचना और अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप के बारे में

Re. NOTICE UNDER RULE 357 AND REFLECTION ON THE CHAIR

श्री कपूर सिंह : मैं आपका ध्यान नियम 357 के अन्तर्गत दी गयी सूचना की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सूचना मैंने कल दी थी। मुझे रात को सूचना मिली कि आपने उसे अस्वीकृत कर दिया है ***

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपके विरुद्ध बड़े गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। विषय क्या है।

श्री कपूर सिंह : मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री जी० भ० कृपालानी : इसका विषय क्या है।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझ पर आक्षेप लगाना चाहते हैं।

श्री कपूर सिंह : आप मुझे बात कहने का अवसर दें **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ पर आक्षेप लगाना चाहते हैं और ऐसा आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बहाने से करना चाहते हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : आप इसकी आज्ञा क्यों देते हैं।

श्री खाडिलकर : उन्होंने बड़े गम्भीर आरोप लगाये हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What has been said should not go on record.

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य के शब्द बहुत अपमानजनक हैं। हमें सदन का सम्मान बनाये रखना चाहिए। आप उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा कि वह अपने शब्द वापिस ले लें।

श्री कपूर सिंह : आप बहुमत की सहायता से मुझे पूरे विषय को सभा के समक्ष रखने से रोक रहे हैं। आप मुझे वे शब्द वापिस लेने के लिए कह रहे हैं। मैं अपने शब्द वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। आप मेरे विरुद्ध जो चाहें कार्यवाही करें।

श्री कपूर सिंह सभा से बाहर चले गये।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये ?

डा० म० श्री० अणे : उन्हें दण्ड मिलना चाहिए।

श्री दाजी : उन्होंने जो शब्द कहे हैं वे आपत्तिजनक हैं।

***अध्यक्ष के आदेश पर इसे सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उनके शब्द चाहे वे किसी भी संदर्भ में है बहुत आपत्तिजनक हैं। श्री दाजी की भी यही राय है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हां, इन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अध्यक्ष प्रति अनादर का व्यवहार अपनाया है, अतः मैं कहता हूं कि श्री कपूर सिंह ने गलत काम किया है।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं अध्यक्ष से सहमत हूं वह नियम 374 (1) के अन्तर्गत इस व्यवहार के कारण, उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत ने बड़ा उचित प्रश्न उठाया है, जो कुछ माननीय सदस्य ने किया है, वह नियम 374 (1) के अन्तर्गत आता है। उन्होंने मेरी अनुमति के बिना उठकर और लगातार बोलकर सभा की कार्यवाही में रुकावट पैदा की। उन्होंने सभा से बाहर जाते वक्त भी कुछ बातें कहीं। अतः मेरे विचार से उनकी अनुपस्थिति में भी उनका नाम लिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा): परन्तु माननीय सदस्य द्वारा कहे गये आपत्तिजनक शब्द तो कार्यवाही में रहेंगे, मेरा निवेदन यह है कि उन्हें भी कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा): यदि कोई माननीय सदस्य कार्यवाही में रुकावट डालते हैं तो अध्यक्ष महोदय जो चाहें उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। और उस नियम का भी उल्लेख हो चुका है जिसके अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): इस मामले में सारा सदन अध्यक्ष महोदय के साथ है। आपने अपना निर्णय दे दिया है और माननीय सदस्य का नाम ले लिया है।

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि श्री कपूर सिंह को इस सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—"कि श्री कपूर सिंह को इस सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरी बात का क्या बना, उनके उद्‌गारों को भी सभा की कार्यवाही से निकाला जाय।

अध्यक्ष महोदय : वह तो इससे पूर्व ही कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

———

औचित्य प्रश्न के बारे में
Re. POINT OF ORDER

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to know what about the Privilege Motion regar ding Shri Subramanyam.

Mr. Speaker : That will be taken up tomorrow.

Dr. Ram Manohar Lohia : Let me raise point of order regarding this.

Mr. Speaker : This is not the proper way. The Minister told me today on the phone that as all the proceedings are in Hindi, therefore he is getting them Translated. It will take some time. As this matter is coming tomorrow, no time should be wasted on this today. Whatever the honourable member wants to say can say tomorrow.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to say that the matter should be atonce referred to the Privilege Committee.

Mr. Speaker : I think, the honourable member should take his seat. The matter will be taken up tomorrow.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर करारोपण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर करारोपण) अधिनियम, 1963 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 214/66 की एक प्रति जो दिनांक 31 मई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०** 6699/66]

(2) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 68/66 एफ० संख्या 68-324/65–पब० जो दिनांक 13 जून, 1966 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मोटर गाड़ी नियम, 1939 में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०** 6700/66]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं–

राष्ट्रीयता सहकारिता विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 14 की उपधारा (3)

के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०** 6701/66]

अकाल संहिता के बारे में नोट, दुर्लभता की स्थिति की समीक्षा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

विभिन्न राज्यों में लागू अकाल संहिताओं के बारे में एक नोट । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 6702/66]

दुर्लभता की स्थिति तथा उसके निवारण के लिए किये गये उपायों की समीक्षा (जुलाई 1966) की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०** 6703/66]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(1) मध्य प्रदेश चावल समाहार (उद्ग्रहण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 30 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1178 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) दिल्ली राशन की वस्तुएं (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश 1966 जो दिनांक 28 जुलाई 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1189 में प्रकाशित हुआ था ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 6704/66]

परिसीमन आयोग का आदेश

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 17 की एक प्रति जिसके द्वारा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया तथा जो दिनांक 22 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2219 में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6705/66]

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध को हाथ में लेना)

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध को हाथ में लेना) अध्यादेश 1966 की धारा 19 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत जयन्ती शिपिंग कम्पनी (नियन्त्रण बोर्ड) नियम, 1966 की एक प्रति जो कि दिनांक 19 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1159 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०** 6706/66]

जयन्ती शिपिंग जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि दिनांक 11 जुलाई, 1966 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०** 6707/66]

भारतीय केन्द्रीय रूई समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

भारतीय केन्द्रीय रूई समिति के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०** 6708/66]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1056 की एक प्रति जो दिनांक 28 जून, 1966 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुई थी, को सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 6709/66]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान् जी, मैंने राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा ने अपनी 4 अगस्त 1966 की बैठक में वक्फ (संशोधन) विधेयक 1966 पारित किया है।"

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

आठवां प्रतिवेदन

COMMITTEE OF PRIVILEGES
EIGHTH REPORT

श्री स० वा० कृष्ण मूर्तिराव : मैं विशेषाधिकार समिति का आठवां प्रतिवेदन सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. ECONOMIC SITUATION

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा 26 जुलाई 1966 को प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे : —

"कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाय।"

श्री केशव देव मालवीय (बस्ती) : हमारी सरकार और पदासीन दल और यह संसद का यह पूर्ण निश्चय रहा है कि देश में समाजवादी समाज की रचना की जाय। चाहे इसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आयें। इस निश्चय से हम पीछे नहीं हट सकते। यह खेद की बात है कि इस बीच के काल में जब हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे समाज में एकाधिकार की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं कुछ राजनीतिक दलों का यह प्रयास है कि राष्ट्र को इस लक्ष्य से हटा लिया जाय। हम इस लक्ष्य के लिए वचन बद्ध हैं।

अवमूल्यन किया जाना बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, इसको टाला जा सकता था। मुझसे इस बारे में परामर्श किया जाता तो मैं इसके विरुद्ध राय देता। इस विषय को आने वाले चुनाव में एक विषय नहीं बनाया जा सकता। मेरा निवेदन यह है कि अवमूल्यन करना ठीक था कि नहीं इस बात पर विचार करने के स्थान पर हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि अवमूल्यन के परिणामों का किस प्रकार मुकाबला किया जाय तथा हम अपने निर्णय को किस तरह कार्यान्वित करें। मेरा यह भी मत है कि अवमूल्यन से पूर्व हम जिस पृष्ठ भूमि में कार्य कर रहे थे वह इतनी सरल नहीं थी जितनी कि योजना मंत्री ने निर्माण कर ली थी। इस बात पर सिद्धान्त रूप में चर्चा हो सकती है कि अवमूल्यन करना सही था कि गलत।

योजना मंत्री ने अपना पक्ष पोषण करते हुए कई बातें कही हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें यह बताया जाय कि हम अमरीका से सहायता ले रहे हैं अथवा ऋण ले रहे हैं। इसके बारे में आज देश में बहुत-सी बातें हो रही हैं। योजना मंत्री ने विश्व बैंक के परामर्श की बात की है। ऐसा लगता है कि हमने सारे हालात का अध्ययन नहीं किया है और हमारी कार्यान्वित करने की पद्धति गलत रही है। मैं यह चाहता हूं कि आप इस बात का अनुमान लगायें कि समाजवादी समाज के निर्माण के राह में क्या कठिनाइयां हैं। इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। अपने में काफी अनुशासन का निर्माण करना होगा। उपभोग पर भी नियंत्रण करना होगा और वितरण व्यवस्था को ठीक करना होगा। मुद्रा स्फीति को रोकना होगा, नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था निर्माण करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। गत सत्र में जो बजट प्रस्तुत किया गया था, वह बहुत ही निराशाजनक था। हमारे लक्ष्य की ओर उसके द्वारा पहुँचने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस ही समाप्त हो गई है, जिसका लक्ष्य देश में एक समाजवादी निर्माण करना है। हमारे वित्त मंत्री ने यह व्यवस्था कर दी है कि गैर-सरकारी बैंक पूंजी भारत से बाहर ले जाय। अत: उन्होंने जो तरीके अपनाये हैं उससे मैं पूर्ण रूप से निराश हूं।

इसके अतिरिक्त मुझे एकाधिकार की बात करनी है । एकाधिकार तथा बड़े-बड़े पूंजीपतियों का अस्तित्व इस समय देश में बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हैं । एकाधिकार से योग्य कुशल व्यक्ति तो घाटे में रहते ही हैं, वैसे भी यह अनुचित बात है । अब समय आ गया है कि हम यह जान लें कि भारत में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्या हो रहा है । ये महानुभाव कौन हैं जो अपने पापों को छिपा रहे हैं । सरकारी क्षेत्र की बातें लोगों को बतानी होंगी ।

सरकारी क्षेत्र के मूल उद्योगों से यह आशा करना कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों जितना लाभ देंगे एक बेकार की बात है । छोटे पैमाने के सभी इन्जीनियरिंग उद्योग सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों पर निर्भर करते हैं सभी उद्योग जिन पर देश के औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी है सरकारी क्षेत्र में ही हैं । किसी भी उद्योग के लिये, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, विकास की अवस्था में लाभांश की घोषणा करना सम्भव नहीं होता । टाटा तथा अमरीका के प्रथम इस्पात कारखाने ने कई वर्षों के पश्चात ही लाभ दिखाया था । इसलिये यह कहना कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग मुनाफा नहीं दिखा रहें है एक अनुचित बात है । मैं सदन से यह मांग करता हूं कि देश के बड़े बड़े व्यापारिक अदारों की जांच कराई जाये ताकि समस्त देश को पता लग सके कि उनमें पवित्रता, दक्षता आदि के नाम पर क्या हो रहा है ।

राज्यों की प्रतिष्ठावादी परियोजनाएं चाहे वे लाभदायक हों अथवा नहीं, पसंद करने की प्रवृति बहुत खतरनाक है ।

कृषि तथा उद्योग के विकास को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता । किसी को भी अधिक प्राथमिकता नहीं दी जा सकती क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं । यदि औद्योगिक विकास की उपेक्षा की जाती है तो कृषि के विकास में भी बाधा अवश्य पड़ेगी । जहां तक कृषि उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है जब तक सत्तारूढ़ दल द्वारा लिये गये भूमि सुधार सम्बन्धी निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती चाहे हम जितने भी ट्रैकटरों, उर्वरक अथवा जल की व्यवस्था क्यों ही न कर लें । कृषि के विकास के लिये भूमि सुधार अवश्य ही लागू किये जाने चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो कि देश का विकास कर सकता है तथा समाजवाद ला सकता है।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : एक ओर तो श्री मालवीय ने कहा है कि एकाधिकार वालों की जांच होनी चाहिए परन्तु दूसरी ओर उनका दल धन के लिये इन्हीं लोगों पर निर्भर है । सारी कठिनाई यह है कि ये लोग कहते कुछ हैं । और करते कुछ हैं । कांग्रेस दल कई ग्रुपों में बंटा हुआ है इसलिये वह कुछ कार्य नहीं कर सकता ।

प्रधानमंत्री ने अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुये अपने भाषण के अन्त में ग्रामों में रहने वाले भूमिहीन तथा अपूर्ण रोजगार वाले लोगों के लिये विशेष चिन्ता व्यक्त की थी । मैं नहीं जानता कि यह चिन्ता वास्तविक थी अथवा मौखिक सहानुभूति थी अथवा कोई राजनैतिक चाल थी । यदि यह चिन्ता वास्तविक थी । फिर तो सरकार को अपनी अर्थ व्यवस्था की समस्त रूप रेखा ही बदलनी होगी । सर्वप्रथम सरकार को ग्रामों में बिजली देना होगी ।

आजकल आमतौर पर यह भावना है कि गांधी जी ने जो मलमूत्र की खाद प्रयोग करने के लिये जोर दिया था वह गलत था । परन्तु बिहार के एक व्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि मलमूत्र का खाद ही सबसे बढ़िया खाद है । उसने अपनी एक एकड़ भूमि में एक वर्ष में छः फसले उगाई हैं ।

यदि वास्तव में सरकार ग्रामों का स्तर ऊंचा करना चाहती है तो उसको उद्योगों का भी विकेन्द्रीकरण करना चाहिये । इसके अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा कर के अन्य ढांचे में भी परिवर्तन करना होगा ।

कल श्री अशोक मेहता ने भी राजनैतिक दलों की आलोचना करने का प्रयत्न किया था । परन्तु प्रश्न यह है कि जब वह स्वयं कांग्रेस में सम्मिलित हो गये हैं तो वह उस दल को दोष किस प्रकार दे सकते हैं ।

सरकार ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि अवमूल्यन के पश्चात अनुवर्ती कार्यों को वह किस प्रकार चलायेगी । निर्यात सम्बन्धी हमारी परम्परागत वस्तुओं को पाकिस्तान और श्रीलंका से स्पर्द्धा करनी पड़ रही है । इन चीजों को देखते हुए और अवमूल्यन के बावजूद सरकार को इस बात का स्पष्ट पता नहीं है कि निर्यात को किस तरीके से बढ़ाया जाना है । सरकार की आयति स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में भी कोई स्पष्ट नीति है । उत्पादन लागत तथा अन्य चीजों को देखते हुए सरकार भविष्य में अपनी निर्यात सम्बन्धी नीति किस प्रकार निर्धारित करेगी । यह बात भी स्पष्ट नहीं है ।

यह भी बताया गया है कि सरकार गैर विकासकारी खर्च में कटौती करेगी । परन्तु श्वेत पत्र के पृष्ठ 13 को देखने से पता चलता है कि यह खर्च प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है । इसलिये खर्च में कटौती की बात एक नारा मात्र ही है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ।

अवमूल्यन तो हो ही चुका है परन्तु अब देखना यह है कि हम इसका पूरा लाभ उठाते हैं अथवा नहीं । यदि हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें कुछ विशेष कदम उठाने पड़ेंगे । पहली बात तो यह कि हमें घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए । दूसरे मजूरी, पूंजी पर लाभ और उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में ठीक सम्बन्ध होना चाहिए । तीसरे खाद्यान्न वसूली नीति को व्यवहारिक रूप से अपनाई जानी चाहिए और एक लाख वाले आबादी के नगरों में पूर्णतया राशन लागू किया जाना चाहिए । ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि आयकर देने वाले व्यक्ति अधिक मूल्य दें तथा कम आय वाले लोग कम मूल्य दें ।

चौथे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और उनकी उत्पादन लागत लगभग उतनी ही होनी चाहिए जितनी की उस देश में है जहां कि उनको भेजा जाना है। उदाहरणतया जापान में इस्पात के उत्पादन की लागत हमारे देश की अपेक्षा बहुत कम है हालांकि जापान को लोह-अयस्क हमारे ही देश से जाता है। प्रतिरक्षा व्यय को छोड़कर शेष सभी गैर-योजना व्यय में भारी कटौती की जानी चाहिए। भारी उद्योगों को विदेशों की तरह ही चलाया जाना चाहिए विशेषकर लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने वाले मामले में। मजदूरों के बारे में दृढ़ नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे वे उत्पादनशील हों और उनकी मजूरी निर्वाह-स्तर के अनुसार होनी चाहिए।

सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में विनियोजन सम्बन्धी दृढ़ नीति होनी चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र में मालिकों के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो उद्योग के हित में न्याय संगत हो। ऐसी नीतियों को जिनसे एकाधिकार पूंजी का विकास हो, समाप्त कर दी जानी चाहिए छोटे-छोटे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए श्रम सम्बन्धी विधियों, कराधान तथा सामाजिक सुरक्षा के अन्य मामलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

देश में सोने के बारे में उचित नीति अपनाई जानी चाहिए। 14 कैरेट का मामला समाप्त किया जाना चाहिए तथा सोने के समस्त व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। लोग कितना सोना अपने पास रख सकते हैं इस बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम अपने उद्देश्य में अर्थात् सोने के तस्कर व्यापार को रोकने में असफल रहा है।

सत्तारूढ़ दल, राजनीतिज्ञों, सेवाओं तथा मंत्रियों के लिए एक आचरण संहिता बनाई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार तथा विलम्ब करने की आदत को कठोरता से दबाया जाना चाहिए। परन्तु भ्रष्ट सत्तारूढ़ दल से इस बात की आशा नहीं की जा सकती।

अवमूल्यन के प्रभाव हमारे सामने हैं। अवमूल्यन के पश्चात् देश में 15 से 20 प्रतिशत से मूल्यों में वृद्धि हुई हैं परन्तु सरकार यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। देश के अर्थ-शास्त्री भी अवमूल्यन के बारे में एक मत नहीं हैं। तेल शोधक कारखानों को बाहरी प्रतिस्पर्द्धा से हानि हो सकती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। किन्तु अन्य सरकारी उद्योगों में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। उत्पादन बहुत कम हो रहा है फिर भी उसके कारणों को जानने का प्रयत्न नहीं किया जाता।

गवेषणा करने पर पता चलेगा कि इन दोषों के लिए सत्ताधारी दल उत्तरदायी है। इस-लिए दोष निवारण का एक उपाय तो यह है कि बाहरी दबाव से सत्ताधारी दल अपनी कार्य-प्रणाली को सुधारे। दूसरा उपाय यह है कि अगले आम चुनावों में इससे सत्ता छीन ली जाय। अगले चुनाव में सत्ताधारी दल का बहुमत कम हो जायगा जिससे वे विपक्षी दल के दृष्टिकोण की

ओर उचित ध्यान देंगे । इस समय विपक्षी दलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें कार्यवाही में बाधा डालनी पड़ती है ।

विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां एक व्यक्ति को संसद के लिए तो मतदान का अधिकार प्राप्त हो किन्तु विधानमण्डल के लिए वह अधिकार उसे प्राप्त न हो । काश्मीर में संविधान का पालन करने का ढंग विचित्र-सा है । वहां संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए चुनावों की अनुमति वयस्क मताधिकार के आधार पर दी जाती है किन्तु विधानमण्डल के चुनाव के लिए ऐसा नहीं किया जाता । इससे पता लगता है कि सरकार संविधान की कितनी निष्ठावान है । सरकार राज्य सरकार को आदेश दे कि ऐसी चीजें न होनें दी जायें ।

देश की रक्षा के विषय पर हम सबमें संगठन होना चाहिए । देश की रक्षा के प्रश्न की राजनैतिक दृष्टिकोण से जांच करना भी आवश्यक है । कहा गया है कि घुसपैठ का कारण काश्मीर सरकार की उपेक्षा है । सरकार इसकी जांच करे ।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : The Country was faced with a serious economic crisis. It was unfortunate that the problem was being discussed from a political point of view instead of economic point of view. Such an attitude was bound to retard our planned development and things would go from bad to worse. It was time when we should forget politics and meet the situation jointly and unitedly. In doing so we can follow England where similar crisis prevails and it is being attended to by all the parties.

In the present circumstances it is natural to think that after completion of three five year plans and spending huge amounts, the problem of poverty in India has not been solved. The situation has rather deteriorated, prices have gone up, there is shortage of foreign exchange, there are insufficient exports, agriculture production has not been achieved to the targets envisaged and the industrial production has also not been to our expectations. This crisis should be faced with determination and confidence. The no-confidence motion brought before the House by opposition is no solution of the present crisis.

The administrative machinery, which we had inherited from the Britishers was not fit to execute our development plans. They had no such experience. We should have overhauled our administrative machinery long ago. The Government did not pay attention to that task earlier. I had suggested long ago that a Commission should be appointed to reform the administration. There was nothing wrong with our planned development programmes. Our administrative machinery only had to be geared up. The officers don't have the requisite experience and training.

Then there is the problem of land reform which the Government has not handled judiciously. We could not be self-sufficient in food because of half hearted measures adopted by the Government. The land should be owned by the cultivator but it is not so in India. The Government has created a situation in which neither the landlord nor the cultivator takes interest in cultivating the land and that is root cause of low-productivity. The Government should, therefore, take all the measures at one time. The half-hearted measures have affected our agricultural production adversely.

One of the major factors of our economic distress was rising population. The population rise is not matched by the resources of production. The Government had adopted long-term measures to check the rise in population. The results would be felt after some time. The Chinese attack and Pak. aggression have also added to our economic distress. The expenditure on welfare activities like opening of schools, hospitals etc. had led to inflation. Since the Government had undertaken many welfare schemes on which it spend extravagantly, it had led to economic difficulties. The spiralling prices of essential commodities were causing hardship to the masses. The Government should take energetic steps to check the rising prices.

Devaluation was resorted to as a measure to stimulate our exports-so that we can import essential raw materials for our industries in India to accelerate our production. At present, it is in the fitness of things that Government makes an all-out effort to increase the production of agriculture goods, essential consumer's goods and industrial goods so that we could increase our exports.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति की मुख्य विशेषता यह है कि हमारा देश वित्त, उद्योग, कृषि और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी मामलों में विदेशी एकाधिकारियों पर अधिक निर्भर होता जा रहा है और इसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। हमारी योजनाओं के कुल निवेश में विदेशी सहायता की प्रतिशत दर निरन्तर बढ़ती जा रही है और अब हमारी यह स्थिति है कि यदि हमें विदेशी सहायता न मिले तो हमारी चौथी योजना भी पूरी नहीं हो सकती।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, लोगों को बताया गया था कि हम देश में काफी कारखाने स्थापित कर रहे हैं और इस औद्योगीकरण से हमारे देश की आर्थिक निर्भरता कम हो जायगी। किन्तु आर्थिक निर्भरता और बढ़ गई है और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि जब 1965 में विदेशी सहायता बन्द कर दी गई तो उद्योग बन्द हो गये। यही स्थिति खाद्यान्न की है। पी० एल० 480 के अधीन दूसरी योजना में खाद्यान्न आयात का मूल्य 545 करोड़ रुपये था जो कि तीसरी योजना में बढ़कर 763 करोड़ रुपये हो गया। पिछले 20 वर्षों में सरकार की यह नीति रही है कि आर्थिक विकास के लिए जितनी अधिक विदेशी सहायता और विदेशी पूंजी का आयात होगा उतना ही शीघ्र विकास होगा। विदेशी सहायता और सहयोग से औद्योगिक प्रगति करने की इस नीति के फलस्वरूप हमारा उत्पादन घट गया है। इस नीति के कारण ही हमारे यहां एक ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें उद्योगपूर्ण क्षमता को अप्रयुक्त ही पड़ा रहने दिया जाता है।

चीनी मिल मशीनरी की स्थापित क्षमता 12 करोड़ रुपये है जिसमें से अप्रयुक्त क्षमता 8.83 करोड़ रुपये हैं। सीमेंट मिल मशीनरी की स्थापित क्षमता 19 करोड़ रुपये है ; अप्रयुक्त 3.23 करोड़ रुपये। यही हाल अन्य उद्योगों का है।

विदेशी ऋणदाताओं और सहयोगकर्ताओं द्वारा ऐसी शर्तें निर्धारित की जाती हैं जिनके अनुसार हमारी स्थापित क्षमता कुछ हद तक बेकार पड़ी रहती है और इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय उद्योगों की प्रगति कुंठित होती जा रही है। औद्योगिक विकास की मन्दगति और बेकार पड़ी हुई क्षमता को देखते हुए भी विदेशी पूंजी पर निर्भरता की अपनी नीति छोड़ देने की बजाय सरकार

उत्पादन और कार्यकुशलता को बढ़ाने के नाम पर यंत्रीकरण और युक्तिकरण की ओर बढ़ती जा रही है, जिससे एक बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ी है। अनेक लोगों को काम से अलग किया गया है और नियोजन क्षमता भी घट गई है। 1947 में पटसन उद्योग में 3,10,278 कर्मचारी काम करते थे किन्तु 1963 में इनको घटाकर 2,59,620 कर्मचारी कर दिया गया। ऐसा कई अन्य उद्योगों में भी किया गया है।

कीमतों का निरन्तर बढ़ना, मजदूरों और मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के वेतन में कमी होना आर्थिक स्थिति की दूसरी मुख्य विशेषता है। अधिक नोटों के परिचलन, विकास से भिन्न खर्च में वृद्धि, घाटे की अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि की नीति ही उत्पादन में वर्तमान वृद्धि न होने की वर्तमान स्थिति में ऊंची कीमतों के लिए जिम्मेदार है। इस नीति का अनुसरण करते हुए यदि सरकार कीमतों में वृद्धि को रोकने की बात कहती है तो वह जनसाधारण को धोखा दे रही है।

सरकार की प्रति क्रियावादी नीतियों का कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बिना वास्तविक भूमि सुधारों के सरकार इस नीति के आधार पर खेती की उपज बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक कृषकों को प्रोत्साहन दिया जाय और यह प्रोत्साहन तभी जनित हो सकता है जब काश्तकार यह अनुभव करे कि जिस भूमि को वह जोत रहा है, वह उसी की है। भूमि सुधारों को लाने का उद्देश्य यह था कि बहुसंख्यक काश्तकारों का सम्बन्ध उस जमीन से जुड़ जाय जिसको वे जोतते हैं और वह उनकी अपनी बन जाय। तथाकथित भूमि सुधारों से काश्तकारों को भूस्वामित्व नहीं मिल पाया। पिछले वर्ष प्रकाशित रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार काश्तकार, जिनकी आमदनी 1000 रुपये प्रतिवर्ष से कम है। केवल 1.4 प्रतिशत सम्पदा पर उनका नियंत्रण है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 42 प्रतिशत काश्तकार, जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, कुल बोये गये क्षेत्र के 1.2 प्रतिशत क्षेत्र पर काम करते हैं जब कि 5.9 प्रतिशत भूस्वामियों के पास कुल बोये गये क्षेत्र का 43.5 प्रतिशत क्षेत्र है। तथाकथित भूमि सुधार वास्तविक कृषक को भूमि स्वामित्व से वंचित करते हैं। आवश्यक भूमि सुधारों की उपेक्षा करने और आयातित खाद्यान्नों पर निर्भरता बढ़ाने के कारण सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने में असफल रही है। दूसरे इससे हमारी उत्पादन क्षमता का भी ह्रास हुआ है। डा० राव के अनुसार 930 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पर काश्त नहीं की जाती। अब सरकार खादों से खाद्य की समस्या का समाधान करना चाहती है। उर्वरकों आदि पर बल देने का भी कोई ठोस परिणाम न होगा। विदेशी ऋणों पर निर्भरता के कारण कृषि को घाटा हुआ, देश के मान को धक्का लगा तथा मजदूरों, किसानों और मध्य वर्गीय कर्मचारियों के रहने के स्तर में कमी हुई। बड़े विदेशी तथा भारतीय व्यापारियों की मुनाफाखोरी के कारण विकास बढ़ा। रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार 1960-64 की अवधि में उद्योगों के लाभ सूचकांक 42 प्रतिशत बढ़ गये।

उत्पादन में कमी, राष्ट्रीय आय की गिरती दर, कृषि का ज्यों का त्यों बने रहना, वास्तविक वेतनों में कमी, भारतीय तथा विदेशी पूंजीपतियों द्वारा जोरदार लूट-मार तथा प्रतिकूल

व्यापार संतुलन स्थिति के और अधिक गम्भीर होने के कारण सरकार को अचानक अवमूल्यन की घोषणा करनी पड़ी। अब कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान शेष में बहुत अन्तर हो जाने के कारण अवमूल्यन अनिवार्य था। हमें अंग्रेजों से 1400 करोड़ रुपये का पौंड-पांवना विरासत में मिला था। इससे उद्योगों का आधार बनाने तथा विदेशी सहायता पर कम निर्भर रहने के लिए उपयोग करने की बजाय सरकार ने इसे ब्रिटिश एकाधिकारियों के कहने में आकर समाप्त कर दिया और उसके कारण विदेशी मुद्रा में अन्तर पड़ गया। अतः यह अन्तर सरकार की ब्रिटिश एकाधिकारियों को प्रसन्न करने की नीति के कारण हुआ।

इस अन्तर के और अधिक हो जाने का मुख्य कारण यह था कि हमारा विदेशी व्यापार पश्चिमी साम्राज्यवादियों से बंधा हुआ है। उनकी कार्य प्रणाली ऐसी है जिससे हमारे द्वारा निर्यातित वस्तुओं के मूल्य कम हों तथा उन वस्तुओं के मूल्य जिनका हम आयात करते हैं, मूल्य बढ़ें जिससे अर्धविकसित देशों में प्रतिकूल अन्तर पैदा हो जाये। 1963 में विश्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार 1950-1960 की अवधि में अर्धविकसित देशों द्वारा निर्यातित वस्तुओं का मूल्य 4 प्रतिशत कम किया गया जबकि उन देशों द्वारा आयातित वस्तुओं के मूल्य में 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई। भारतीय सरकार ने विकसित देशों के साथ ऐसे गठबन्धन को समाप्त करने से इन्कार कर दिया तो यह अन्तर कैसे दूर होता।

अन्तर बढ़ने का एक अन्य कारण यह है कि लाभ के निर्यात, तकनीकी जानकारों को भुगतान, विदेशी पूंजीपतियों को रायल्टी तथा ब्याज आदि के भुगतान के कारण विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च हो रही है।

विदेशी सहयोग समझौते का अध्ययन करने से पता चलेगा कि विदेशों से इकोनोमिक टाइम्स-65 के सर्वेक्षण के अनुसार 17.65 करोड़ रुपये यहां पर लगाया गया था और 19.04 करोड़ रुपया इन कम्पनियों ने विदेशों को भेजा। हमारे विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योगों ने अपनी कमाई से अधिक व्यय किया है। कपड़ा उद्योग ने 344 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में कमाये और 538 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा व्यय की। इस प्रकार हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति खराब होती गई। यह आंकड़े रिजर्व बैंक के बुलेटिन से लिये गये हैं। यह सब सरकार की गलत नीति का परिणाम है। सरकार ने विदेशों से अधिक लेकर, विदेशी मुद्रा को अधिक मात्रा में आने दिया, निर्यात-आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण न करके और पश्चिमी पूंजीवादी देशों की एकाधिकार की प्रवृत्ति को स्वीकार करके बड़ी भूल की है।

अब यह कहा जा रहा है कि अब हमारे निर्यात में वृद्धि होगी। मैं समझता हूं कि रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो सकती। हमारी निर्यात की वस्तुओं में बहुत सी आयात की हुई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उन आयात होने वाली वस्तुओं की कीमत अब बढ़ जायेगी। इसलिये हमें निर्यात करने वाली वस्तुओं की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी।

इस प्रकार रुपये के अवमूल्यन से हमें कोई लाभ नहीं होगा। इससे केवल बड़े बड़े उद्योग-

पतियों तथा विदेशी नियोजकों को लाभ होगा । परन्तु मजदूरों, छोटे कर्मचारियों तथा छोटे उद्योग-पतियों को इससे बहुत हानि होगी ।

यह भी एक तथ्य है कि प्रतिदिन के प्रयोग की उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी । इस प्रकार आयात होने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जायेंगी । कई कारखाने बन्द करने पड़ेंगे । इसके फलस्वरूप बेकारी फैलेगी । पंजाब में पहले ही 40,000 हौजरी कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : The Hon. Minister has said that there has been a shortfall of about 15 per cent. in agricultural production of our country during 1965-66, but there has been a rise of 15 per cent. in prices. He has put these facts before this House in a very clear way. By doing so he has risen in esteem.

Although the opposition Parties say that the country has made no progress during these years, but the foreign visitors have been very much impressed by the progress that has been made by our country in all spheres. It is right that we have not been able to achieve our targets in the case of some items. It is an admitted fact that our country can make progress only through planned economy. An underdeveloped can make progress with the help of foreign aid. The decision regarding devaluation is a big decision. It will go a long way in making our economy stable. It is not a happy decision but there was no other alternative.

The Chinese aggression in 1962 and the Pakistani aggression in 1965, the unprecedented drought in the country have and the suspension of foreign aid have been responsible for the persent critical position of our economy. Our foreign exchange resources have dwindled to a very small figure. The decision regarding devaluation has been taken to make the economy more stable. It will help in increasing the production and stepping up exports. The foreign countries will be attracted to make investments in our country. We would be able to earn more foreign exchange. The number of tourists coming to our country will go up. The inflation will be checked. I hope we will not need any foreign aid after ten years. Now it is the follow-up action which should be implemented vigorously. I do not agree with the assertion that this decision has been taken under pressure from America. Our Government takes decision after taking into consideration the pros and cons of the problems. The country's interests are foremost for us.

I suggest that Government should take energetic steps to improve our economy. The banks and import-export trade should be nationalised. Severe action should be taken against black-marketeers, hoarders, smugglers and profiteers. There should not be any leniency for these people.

The people of the country should work unitedly for the implementation of the post devaluation measures of the Government.

Shri Parashar (Shivpuri) : Sir, I admire and support the bold decision of devaluation. Now the question of followup action after the devaluation is very important. The prices of essential commodities were going up very rapidly. This was happening despite Government's efforts to curb this rise. The poorer sections of our society have been put to great difficulty by this. Government should think over the matter and take some measures to

help the poor people. We should not depend on foreign aid and stop taking loans from other countries. It is a great burden on our economy. A ceiling on individual's property and income should be fixed. The national property should be nationalised.

Government should open Super Bazars throughout the country. Consumer goods should be available at cheap rates. As a result of devaluation the rich have become richer and the poor poorer. Devaluation has increased our foreign debts. It has increased the defficulties of salaried class and the poor peasants of country. We should make every endeavour to improve conditions otherwise country will have to face a serious situation. Government should take necessary steps to improve the situation.

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा): सरकार ने रुपये के अवमूल्यन कर देने के पश्चात हम से सलाह को कहा । मैंने लिख दिया था कि इस निर्णय की घोषणा कर देने के बाद हमसे सलाह करने से क्या लाभ होगा । मेरे विचार में अवमूल्यन न तो आवश्यक ही था और न अनिवार्य था । इससे देश में निराशा का वातावरण फैल गया है । विदेशों में हमारी साख गिर गई है ।

यहां पर अन्य देशों में अवमूल्यन के उदाहरण दिये गये हैं, परन्तु वहां यह काम अपने देश के हितों को देख कर किये जाते हैं और न कि ऋण दाताओं के हितों को देख कर। इस निर्णय के बाद हमारे निर्यात में कोई वृद्धि नहीं होगी । ऐसी मेरी धारणा है । कई वस्तुओं के निर्यात के बढ़ाने की अब गुंजाइश ही नहीं है ।

सरकार ने पहले ही आयात में बहुत कटौती कर दी है । अब भी हम केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करते हैं जो बहुत आवश्यक हैं । अब भविष्य में उन वस्तुओं का मूल्य और भी बढ़ जायेगा । अब हमारे व्यापार सन्तुलन की स्थिति और भी खराब हो जायेगी । सरकार ने जो घाटे की अर्थ व्यवस्था का सहारा लिया है उससे हमारी आर्थिक स्थिति अधिकाधिक खराब हुई है । इस के फलस्वरूप मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई है । और सरकार इस सम्बन्ध में असफल हुई है । सरकार का प्रशासनिक व्यय भी बढ़ता चला गया । कर्मचारी अधिक मंहगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं । यह सरकार की दोषपूर्ण नीति का परिणाम है ।

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस अवमूल्यन का हमारी योजनाओं पर क्या प्रभाव होगा । वे तो पहले ही भारी दबाव से पिस रही हैं । अब तो आपको उन पर 57 प्रतिशत और अधिक खर्च करना होगा । हमारे भौतिक लक्ष्य भी उत्तरोत्तर कम होते जायेंगे और खर्च अधिक होता जायेगा । आज भी हमारे देश पर 3 से $5\frac{1}{2}$ अरब डालर का ऋण है । और यह उत्तरोत्तर बढ़ता चला जायेगा जो कि एक समय हमारे राजस्व पर एक भयंकर भार बन जायेगा । हमारा सारा ऋण सब अविकसित देशों के ऋणों का 1/7 भाग है । सरकार ने 90 करोड़ डालर प्रति वर्ष की सहायता की व्यवस्था की है । पांच वर्षों में यह $4\frac{1}{2}$ अरब डालर हो जायेगी । आगे चल कर कुल जोड़ 10 अरब डालर हो जायेगा । मेरे विचार में ऋणों पर ब्याज की अदायगी ही हमारी सारी राजस्व व्यवस्था को समाप्त कर देगी । इसके अतिरिक्त हमारा प्रतिरक्षा का खर्चा है । हमें प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया है कि खतरा केवल पाकिस्तान से ही नहीं है, चीन से भी है।

बहुत सी प्रतिरक्षा से सम्बन्धित चीजें अमरीका, जापान, इंग्लैंड और जर्मनी से आयेंगी और उसके लिए हमें 30 प्रतिशत अधिक देना होगा ।

यह भी कहा गया है कि यदि हम अवमूल्यन न करते तो हमें सहायता मिलने की सम्भावना नहीं थी । इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि जब अमरीका से ऋण लिया गया था तो हमें यह बताया गया था कि यह सहायता बिना किसी शर्त के होगी । परन्तु बाद में यह बताया गया कि यह सहायता डालरों में नहीं माल के रूप में मिल रही है । और उस माल का मूल्य खुले बाजार के मुकाबले में 30 प्रतिशत अधिक है । अमरीका से हमें जो ऋण उपलब्ध होता है उससे हम किसी अन्य खुले व्यापार क्षेत्र से माल नहीं खरीद सकते । हमें यह देखना चाहिए कि और भी देश हैं । पाकिस्तान को ही ले लीजिए, उसने अपने रुपये का मूल्य कम नहीं किया । श्री लंका का भी वैसा ही चल रहा है । अतः इस बात में हमारी कमजोरी नहीं है, ऐसी बात नहीं है ।

यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि हम अवमूल्यन न करते तो सहायता निरन्तर कम होती चली जाती । मेरा कहना है कि पाकिस्तान, श्री लंका, मिस्र इत्यादि देश किस प्रकार धमका कर ऋण ले रहे हैं । उसमें क्या रहस्य है । प्रश्न यह है कि हमारी सरकार विदेशी सरकार और विश्व बैंक के आगे क्यों झुक गयी ? स्पष्ट है कि हमारी कमजोरी है । हमारी सरकार न निर्भय है और न आत्मनिर्भर । सरकार के इस पग से देश की जो तबाही हुई है, उससे मुक्ति मिलना सम्भव नहीं । देश की स्थिति निरन्तर शोचनीय होती चली जा रही है । मेरा कहना है कि हमारे शासकों को अर्थ शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है ।

श्री पी० रा० रामकृष्णन् (कोयम्बटूर): देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गई थी, अतः सरकार को बड़े साहस के साथ अवमूल्यन का ऐतिहासिक निर्णय करना पड़ा । इस प्रकार के निर्णय करने के बहुत मात्रा में राजनीतिक साहस की अपेक्षा होती है । अब तो यह अटल है, और श्री कृपलानी का कहना ठीक ही है कि इससे देश की कठिनाइयों के बढ़ जाने की सम्भावना है, और इससे हमारे ऋणों तथा प्रतिरक्षा के खर्च काफी बढ़ जायेंगे । इस पर भी सरकार को यही आशा है कि इससे देश की अर्थ व्यवस्था आत्मनिर्भर हो जायेगी । परन्तु इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस अवमूल्यन से बहुत से नये उद्योगों को काफी हानि हुई है । यदि इन उद्योगों को संरक्षण अथवा रियायत न दी गयी, उनकी स्थिति बहुत ही शोचनीय हो जायेगी । इन उद्योगों ने भारी मात्रा में अपनी विदेशी मुद्रा को खर्च कर लिया था और उनकी पूंजीगत लागत भी बढ़ गई है ।

इसके अतिरिक्त अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप लोगों को अधिक पूंजी की जरूरत हो रही है । इसके लिए इनकी वित्तीय निकायों को उनकी सहायता करनी होगी । यदि ऐसा न हुआ तो बहुत सी परियोजनायें कार्यान्वित होने से रह जायेंगी । इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि आयकर सम्बन्धी कानून का इस प्रकार संशोधन किया जाय कि उन उद्योगों को, जो कि काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा से ही हाल में चालू हुए थे मूल्य ह्रास करने की अनुमति दी जाए । पूंजीगत लागत पर विकास सम्बन्धी छूट भी दी जानी चाहिए । पूंजीगत लागत इतनी अधिक बढ़ गयी है कि संसार की मंडियों में हमारे लिए खड़ा होना बड़ा कठिन हो गया है ।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि सरकार ने अपनों के मुकाबले में विदेशी सहयोगियों को अपने देश में केवल इस विचार से ही उदारता पूर्वक प्रोत्साहन दिया कि भारत में शीघ्र औद्योगीकरण करने और विभिन्न उद्योग स्थापित करने का यह सबसे सरल उपाय है। इस पर खर्च भी कम फैलता है। परन्तु इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह रही कि इस प्रकार उद्योगों की स्थापना बहुत ही मंहगी पड़ी, जैसे कि मैंने कहा है कि विश्व की मंडियों में हमारे भाव सबसे अधिक हो गये।

जब-जब विदेशी सहयोग के समझौते किये गये तब तब ही भारतीय लोगों की अपेक्षा विदेशियों को अधिक सुविधायें दी गयीं। यह बात दोनों ही क्षेत्रों में हुई। सरकारी क्षेत्रों में भी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी। इस तरह हम विदेशी सहयोग का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा सके। विदेशी सहयोग काफी व्यर्थ गया है और इससे हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ा है।

यदि देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनानी है तो हमें उद्योग तथा कृषि, दोनों ही क्षेत्रों में, उत्पादन बढ़ाने पर बल देना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए काम का परिमाण बढ़ाना परमावश्यक है। आज हमारे देश में कार्यभार की मात्रा बहुत कम है। प्रति व्यक्ति प्रति घन्टे उत्पादन बहुत कम है। यदि विश्व-मंडी में हमें अपने भाव औरों की अपेक्षा कम करने हैं तो हमें प्रति व्यक्ति प्रति घन्टे उत्पादन बढ़ाना होगा। मजूरी को कम करना अथवा स्थिर रखना वांछनीय नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में मजूरी उत्पादन से सम्बन्धित होनी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

कृषि के क्षेत्र में उत्पादन तभी बढ़ सकता है जबकि प्रति एकड़ उपज बढ़े, और उपज तभी बढ़ सकती है जबकि अधिक उर्वरक प्रयोग में लाये जायें, अधिक सिंचाई साधन जुटाये जायें, उत्तम प्रकार के बीज उपलब्ध कराये जायें और कीट नियंत्रण किया जाये। यह आवश्यक है कि चौथी योजना के प्रारम्भ से ही उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये। जब तक हम अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था भी आत्म-निर्भर नहीं हो सकती। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, हम केवल इंजीनियरी के सामान का निर्यात ही कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि देश में इंजीनियरी उद्योग का विकास तीव्रता से किया जाना चाहिए।

मैंने इस बारे में भी सुझाव दिये थे कि किस प्रकार देश के गैर विकास व्यय में कमी की जाये। चौथी योजना बनाने वाले इस बात का ध्यान रखेंगे कि देश की उत्पादिकता की क्षमता क्या है। निर्यात को भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा): 6 जून को सरकार ने जो बड़े नाटकीय ढंग से अवमूल्यन की घोषणा की उससे सारे देश को बड़ा धक्का लगा है। आज हमें बड़े भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से महानुभावों ने बड़े विस्तार से इस मामले पर विचार व्यक्त

किये हैं अतः मुझे बहुत अधिक कुछ नहीं कहना। केवल एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना है। मेरा निवेदन है कि रोगी का रोग दूर करने के लिये सबसे पहले दवाइयों का प्रयोग किया जाता है और यदि दवाइयों से सफलता नहीं मिलती तो फिर उसका आपरेशन किया जाता है, किन्तु अवमूल्यन के मामले में हमने सीधे ही आपरेशन कर डाला तथा आपरेशन से पहले की जाने वाली तैयारियों और उससे बाद में बरती जाने वाली सावधानियों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया। अवमूल्यन अब एक निश्चित बात हो चुकी है। अतः इस बात का प्रयास करना चाहिये कि देश की आर्थिक दशा और अधिक बिगड़ने न पाये। इस संदर्भ में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे सामने आने वाले चुनाव भी हैं। परन्तु हमें चुनावों की बात न सोच कर देश के भले की बात सोचनी चाहिए।

मेरा निवेदन यह है कि हमें निर्यात की वृद्धि के लिए सभी तरह का प्रयास करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्यात के मामले में पुराने तरीकों को छोड़ कर नये तरीके अपनाने चाहिये। इससे हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे और हमारा व्यापार संतुलन भी काफी सीमा तक सुधर जायेगा। आयात के मामले में भी हमें उदार तो होना चाहिये परन्तु केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करना चाहिये जिनका सम्बन्ध हमारे उद्योगों में प्रयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं से है। ऐसी चीजों का आयात नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे देश में पैदा हुई चीजों से मुकाबला बाजी शुरू हो जाय। हमें इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे उद्योगों की प्रगति में किसी प्रकार बाधा न आये। यह इसलिए भी आवश्यक है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये के मूल्य के आयात की अनुमति दी गई है और इससे व्यापारिक हितों वाला एक विशिष्ट धनाढ्य वर्ग अस्तित्व में आ गया है और देश में मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिये यह वर्ग विशेष रूप से जिम्मेदार है। इस पर हमें अवश्य ही रोक लगानी चाहिये। अवमूल्यन के अनुवर्ती कार्यों को करते समय सरकार को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार अवमूल्यन अभिशाप न होकर एक वरदान सिद्ध होगा।

इसके अतिरिक्त घाटे की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। मुद्रास्फीति को रोकना होगा। कीमतें बड़ी तेजी से ऊपर जा रही हैं। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि विकास करते समय हमें कीमतों की वृद्धि को सहन ही करना पड़ता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ती है, लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है, इससे कीमतें बढ़ती हैं परन्तु इस वृद्धि की कोई सीमा होनी चाहिये। पहले प्रथम और दूसरी योजना में हम काफी आशावादी थे इतनी वृद्धि नहीं हुई थी परन्तु चीनी हमले के समय से ऐसा होता चला आ रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस दिशा में अपेक्षित पग उठाने ही होंगे।

घाटे की अर्थ व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए हमें अपने व्यय में भी कमी करनी होगी। हमें इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि खाद्यान्नों का आयात भी जहां तक सम्भव हो सके कम हो। मैं तो आत्म निर्भर अर्थ व्यवस्था का समर्थन करती हूं। इससे ही भविष्य में हमारा विकास हो सकेगा। शायद इस समय यह बात अव्यवहारिक लगे। परन्तु हमें इसे सामने तो रखना

ही होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि योजना को तैयार करते समय ही उचित प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। बाद में कुछ कठिनाइयां ऐसी पैदा हो जाती हैं जिनका सुलझाना सरल नहीं होता। केवल उर्वरकों का ही प्रश्न नहीं और भी कई प्रश्न हैं जिनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इस दिशा में सिंचाई योजनाओं का बड़ा ही महत्व है। मुझे आशा है कि योजना आयोग इन सारी बातों को योजना बनाते समय अपने समक्ष रखेगा। मुझे यह भी आशा है कि योजना के अन्तर्गत कृषि को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी। इस बात का प्रयास किया जायेगा कि देश में एक राष्ट्रीय खाद्य नीति का निर्माण किया जाय। खाद्य मंत्री खाद्य निगम को उचित रूप से चलाये जाने का प्रयास कर रहे हैं।

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

किसी देश का विकास वहां की जन-शक्ति पर निर्भर होता है। यह बड़े खेद की बात है कि आज तक हमने जन-शक्ति के विकास के लिये कोई ठोस कार्य नहीं किया है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अनुभव यह बतलाता है कि राष्ट्र-निर्माण जन-सहयोग से ही सम्भव है। हमारे यहां अनाजों की एक बहुत बड़ी मात्रा कीड़ों, जानवरों, विभिन्न प्रकार की फसली बीमारियों और भंडार-व्यवस्था के अभाव के कारण बेकार हो जाती है। सरकार को केवल आयातित अनाजों के लिये ही भंडार-व्यवस्था नहीं करनी चाहिये बल्कि देशी अनाजों के लिये ऐसी व्यवस्था के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिये। मुझे इस बात का हर्ष है कि प्रधान मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों पर अधिक बल दिया है जिनसे कि लाभ प्राप्त हो रहा है। यह बहुत ही आवश्यक बात है। इससे काफी अन्तर पड़ जायेगा। मेरे विचार में यदि साहस और मनोबल से उसी तरह स्थिति का मुकाबला किया जाय जिस प्रकार की हमने चीनी और पाकिस्तानी हमले के समय किया था तो देश की आर्थिक समस्या भी सुलझ सकती है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): I feel that under this regime prices will rise very exorbitantly. If the people refuse to starve then they will rise and Government will have to give them relief either in foodgrains or by raising their wages. This will be the inevitable result of the devaluation. The Prime Minister has called the Chief Ministers of the States and has asked them to make a cut in the expenditure. The campaign was started to cut the expenditure and as a part of this campaign it was decided that the Ministers should go in small cars. But the Prime Minister said that no my big car has been given to my secretary. Then what is the cut in it? I ask. I know it for good that the big cars will continue plying.

What was the reaction of the Chief Ministers? At present the Central Government together with all the State Governments are spending 60 billion rupees. There is no cut in plan, even if some cut is made, I don't think it will go beyond 2 billion of rupees. I don't think any ice will be cut and no improvement will be done in the economic condition of the country.

Now-a-days there is much talk of the economic discipline but practically nothing is being done in this direction. There are several examples in this country of the people who

were of meagre status during the British Regime but have made enormous wealth during the last 20 years. I dont think by honest living a man can become worth 5 crores from the Status of 50 thousands in only 20 years. In my opinion it is impossible.

The ministers do not give correct picture of the situation. They always speak lie. It appears that people in authority, all over the country are engaged in amassing wealth.

In the recent case P. A. C. has clearly stated in its report that Shri Subrahmaniam changed his own orders without any reason. They further said that the reason is obscure. I do not know how much money Shri Subrahmaniam for himself, his party or relations has gathered but from the report of the P. A. C. it is quite clear that he has amassed huge wealth. The present case is an example where from it can be seen how a triangle of bureaucrat, big businessmen and the politicians in power is ruining the country by its actions. It is also clear that how a poor man is being crushed by their activities. If anybody wants to take the country forward, it must break this triangle.

This is not a case of one particular minister involved in a particular case but the real thing is that whole of the Government machinery is suffering from a disease which if not treated properly would ruin the whole country. We must go deep into it and remove the basic cause of the disease.

Maximum limit should be fixed on the income, property and expenditure of the individual. Any wealth exceeding that prescribed limit should be confiscated.

It has now become necessary to improve the relations between the Government and the administration. What I want to say is that the ministers should frame the policies independently and the officials should implement them impartially. None of them should be wholly dependent on others for his actions. When all the concerned will perform their duties sincerely and impartially only then our economy will improve.

It was stated by the Information Minister that a royalty will be paid to the successor for the publication of the writings, speeches of the ex-Prime Minister, who herself happens to be a Prime Minister. These speeches or writings were done by the ex-Prime Minister in his official capacity. In no country of the world such things do happen.

Shrimati Savitri Nigam (Banda) : The country is passing through a very serious economic crisis. It is very much regrettable that at this juncture of grave economic crisis many opposition parties are organising strikes 'bundhs' and are trying to exploit the situation for their own selfish interests. If in fact they are interested in the welfare of the country, they should forget their self interests, change their attitude and policies and should work in cooperation. They should also give some concrete suggestions instead of making irresponsible speeches and criticism.

It is quite clear that devaluation has brought about humiliation for our country. It appears that there is no consistency in Government declarations. Inspite of the fact that categorical statements were made by the former Finance Minister and others that devaluation will not be done it has been announced all of a sudden. Inspite of the fact that the Finance Minister knew that devaluation is coming forth he did not take adequate steps. Everybody is aware that as far as 56 days all import and export trade and other connected business remained standstill. I would like to know that how he proposes to make up that loss,

I would also like to know from the Hon. Finance Minister whether any calculations regarding increase in the agricultural and industrial productions were made before arriving at this decision of devaluation. I would also like to know the percentage of smuggling which has been stopped during the last three months.

The economic condition of the country is deteriorating day by day; our foreign exchange reserves have also gone down whereas prices of all commodities are rising sharply. The Planning Minister in his speech has not said anything about the food production. What steps he proposes to take to increase the food production. As I have already said prices are rising sharply and unless some drastic steps are not taken to unearth the black money, prices would not come down. This Super market is not going to help in any way.

There is only one way to increase the export and that is that we should make available raw material at cheap rates to the industries. Home consumption should also be checked. Heavy taxes should be levied on the luxury goods.

We should also request the friendly countries moratorium for at least ten years on repayment of loans.

Urgent steps should also be taken by Government for the production of zinc in our country.

Government should also take necessary steps so that we may not have to devaluate our money once again.

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : मैंने स्वयं युवकों को गांवों में जाकर, एक एक खेत में जाकर काम करते देखा है। जिला दण्डाधिकारियों को गहरे पानी में ग्रामों में काम करते भी मैंने देखा है। फिर भी यह कहना कि समस्त प्रशासन भ्रष्ट है ठीक नहीं है। हमारे न्यायाधीश विश्व के सर्वोत्तम न्यायाधीशों में से हैं। यद्यपि 50 देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है तथापि भारत ही एक ऐसा देश है जोकि अपने प्रजातन्त्र को बनाये रखने में सफल हुआ है शेष सभी देश इसमें विफल हुए हैं। व्यापक रूप से देखा जाये तो प्रशासन ने अच्छा कार्य ही किया है।

भारत के लिये प्रजातन्त्र एक नई बात है। इसलिये कहीं-कहीं कुछ असफलताएं हुई हैं। हमें उनको ठीक करना है। हर बात को गलत रूप में देखना एक ठीक नीति नहीं है।

सभापति महोदय : अब हम आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करेंगे। माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

कोचीन शिपयार्ड के बारे में आधे घंटे की चर्चा
HALF AN HOUR DISCUSSION Re. COCHIN SHIPYARD

श्री अ० क० गोपालन (कासर गोड) : 20-5-57 से लेकर 10-5-66 तक इस सभा में 15 मार्च, 1960 के स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त 30 प्रश्न कोचीन शिपयार्ड के बारे में पूछे गये हैं। लगभग सबके उत्तर एक दूसरे से पृथक हैं। इसी प्रकार एक के बाद एक कई वचन दिये

गये परन्तु इन वचनों और आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों से स्पष्ट पता लगता है कि सरकार ने केरल से आये सदस्यों तथा अन्य संसद सदस्यों को धोखा देने के लिए चालाकी से तथा आयोजित ढंग से षडयंत्र रचा है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि लोगों को जानबूझ कर धोखा दिया गया है। हाल ही में जब प्रधान मंत्री केरल गई थीं तो उन्होंने भी कहा था कि कोचीन शिपयार्ड का कार्य आरम्भ किया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या योजना के मसौदे में इस शिपयार्ड के लिये कोई व्यवस्था की गई है। क्या वह इसके लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और क्या इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है।

मेरा विचार नहीं कि केरल में कोचीन शिपयार्ड के बन जाने से वहां की बेरोजगारी समस्या हल हो जायेगी। परन्तु इस शिपयार्ड की स्थापना से बहुत से अन्य छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलेगी और किसी हद तक बेरोजगारी की समस्या हल करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

इसी सभा में श्री कानूनगो ने केरल में पेट्रो-कैमिकल उद्योग स्थापित करने का आश्वासन दिया था। परन्तु यह एक षडयन्त्र था। इस प्रकार कई बार केरल के लोगों के साथ धोखा किया गया है।

ब्रिटेन के शिपयार्ड मिशन ने 19 स्थलों का निरीक्षण करने के पश्चात यह सिफारिश की कि शिपयार्ड बनाने के लिए कोचीन सबसे अच्छा स्थान है। सरकार की अन्तर्विभागीय समिति ने भी यही सुझाव दिया। 23 फरवरी, 1965 को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय नौपरिवहन परिषद के अध्यक्ष इस सुझाव से सहमत नहीं हैं।

इस सुझाव का कारण यह था कि किसी राज्य ने अनुमति दी थी कि शिपयार्ड किसी और स्थान पर स्थापित किया जाये। केरल की भूमि भी परखी गयी और बताया गया कि यह मिट्टी शिपयार्ड बनाने के उपयुक्त है।

इस परियोजना को आरम्भ करने तथा इसे तीसरी योजना में पूरा करने का एक निश्चित वचन दिया गया था। यह कहा जाता है कि विदेशी मुद्रा नहीं है। केरल प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाता है और यह बड़े अचम्भे की बात है कि उस राज्य के लिए सारी योजना में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना भी कठिन है।

इस परियोजना की लागत का अनुमान 20 करोड़ रुपये लगाया गया था परन्तु यह लागत घटा कर 8.65 करोड़ रुपये कर दी गई क्योंकि 1964 में सरकार ने यह निर्णय किया कि इस यार्ड में केवल मरम्मत का कार्य हो।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 23 फरवरी 1965 को मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार ने परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता किया है।

अफवाह फैली हुई है और समाचार-पत्रों में भी आया है कि कोचीन शिपयार्ड की स्थापना नहीं की जायेगी। केरल में कोई उद्योग नहीं है इसलिए वहां शिपयार्ड का बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि इस परियोजना के लिए 20 करोड़ अथवा 8 करोड़ रुपया चौथी योजना में निर्धारित किया है तथा क्या इस परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि शिपयार्ड बनाया जायेगा अथवा बोटयार्ड।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : जहां तक जापान के 'येन' ऋण का सम्बन्ध है। क्या मंत्रालय ने यह सिफारिश की है कि दूसरे जहाज निर्माण कारखाने को प्राथमिकता दी जाये? क्या मंत्रालय ने योजना आयोग और शायद तकनीकी समिति को भी यह सिफारिश की थी कि केवल मरम्मत करने का कारखाना ही चौथी योजना में बनाया जाये और जहाज-निर्माण कारखाने का कार्य स्थगित कर दिया जाये?

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : केन्द्रीय सरकार ने योजनाओं की अवधि में केरल की उपेक्षा की है। इस तथ्य को देखते हुए मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या 'मित्सुविशी' प्रतिवेदन में विशेष रूप से दो शर्तों का उल्लेख है कि "नैवल जेटी" (नौसेना घाट) को बदला जाये और विस्फोटक पदार्थों की गोदी (डॉक) को कारखाने के निकट न बनाया जाये अर्थात वह कोचीन में न बनाया जाये? क्या सरकार ने तकनीकी समिति को यह अनुदेश दिया है कि वह कुल लागत पर जिसमें 'नेवल जेटी' के हटाये जाने की लागत भी शामिल है, विचार करें और यह सुझाव दें कि कोचीन में लागत बहुत अधिक होगी और इस प्रकार कोचीन में जहाज निर्माण कारखाने की स्थापना से इनकार करे। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सब श्रेणी के लोगों के विरोध के अतिरिक्त भी सरकार विस्फोटक पदार्थों के 'यार्ड' को कोचीन बन्दरगाह में गुप्त रूप से ला रही है ताकि यहां जहाज निर्माण कारखाना बनाने से इनकार कर सके।

श्री प० कुन्हन (पालघाट) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि तीसरी योजना में कोचीन परियोजना के लिए जो 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी वह चौथी योजना के अन्तर्गत इस परियोजना के लिए नियतन के अतिरिक्त होगी?

श्री वारियर (त्रिचूर) : क्या सरकार ने जहाज उत्पादन न कि जहाज निर्माण सम्बन्धी प्रश्न पर कोई निश्चित निर्णय किया है? सुझाव दिया गया है कि भारत में 'शिपयार्ड' बनाने की अपेक्षा जहाज खरीदना अधिक अच्छा होगा। क्या सरकार ने इस नीति प्रश्न के बारे में कोई निश्चित निर्णय दिया है?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सरकार ने जहाज-निर्माण कारखाने के बनाने में इतना समय क्यों लिया है जबकि इसे तीसरी योजना में बनाने का आश्वासन दिया गया था। चीनी हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, कुछ चीनी किश्तियां कोचीन क्षेत्र के निकट देखी गई थीं। पाकिस्तान ने जहाज बनाने के कार्यक्रम और 'शिपयार्ड' बनाने के कार्यक्रम को तेज कर दिया है।

हमारे देश के अन्दर तथा बाहर की स्थिति को देखते हुए जहाज-निर्माण कारखाने के बनाने का काम शीघ्र पूरा हो जाना आवश्यक था।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : ऐसी सूचना है कि मरम्मत वाला कारखाना लगाकर केरल को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि योजना आयोग दूसरा जहाज निर्माण कारखाना बनाने के विरुद्ध है। क्या यह सूचनाएं सही हैं ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Whether the Government is prepared to give licences to private sector companies looking at the urgency of the matter ? If not, then what is the necessity of seeking advice on this matter from foreign Countries ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सरकार बराबर यह प्रयत्न कर रही है कि परियोजना की जांच शीघ्र समाप्त की जाये और कारखाने का निर्माण आरम्भ किया जाए। देश में जहाज बनाने की क्षमता का विकास करना हमारा उद्देश्य है। जहाज-निर्माण का काम बहुत ही तकनीकी मामला है। यह कठिन काम है, गहरा विचार .....(**अन्तर्बाधा**)।

इस विषय का निर्णय करने से पूर्व इस परियोजना के लिए स्थल का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक जांच तथा कुछ अन्य अत्यावश्यक प्रारम्भिक जांच आवश्यक थी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा जापान से दल आये थे। जैसा कि सभा को पता है इस प्रारम्भिक जांच में 1957 से 1959 तक दो वर्ष का समय लग गया था। विभिन्न निर्माण स्थलों के बारे में रिपोर्टों की तुलना करने के पश्चात कोचीन को चुना गया था। यह कार्य 1959-60 में हुआ था। इसके पश्चात सरकार को परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिए विदेशी सलाहकार कम्पनी की तलाश थी। हमारे पास चार या पांच पार्टियां थीं जिनकी अपनी अपनी शर्तें थी। अन्त में फरवरी, 1965 में जापानी कम्पनी 'मित्सुबिशी' के साथ करार सम्पन्न हुआ। अप्रैल में परियोजना रिपोर्ट आई थी। वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और अभी तकनीकी समिति की रिपोर्ट भी लेनी है इसके तुरन्त पश्चात आवश्यक धनराशियों के नियतन का कार्य आरम्भ किया जायेगा और कार्य भी आरम्भ कर दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में कुछ और भी बातें हैं। 1959-60 से लेकर आजतक हमने अपने देश में कुछ क्षमता उत्पन्न की है जिसके अधीन कुछ विशेष प्रकार के उपकरण बनाये जा सकते हैं। यह समिति उन देशी सामग्री और उपकरणों की उपलब्धता का भी अध्ययन कर रही है जो न केवल 'शिपयार्ड' के निर्माण में काम आते हैं बल्कि जिनकी पोत-निर्माण में भी आवश्यकता होती है। यह निर्धारण करने के पश्चात ही हम यह जान पायेंगे कि इस 'शिपयार्ड' के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इस समिति का प्रतिवेदन सरकार को कुछ सप्ताह के समय में मिलने वाला है। सरकार योजना आयोग से परामर्श करके उस पर निस्संदेह यथाशीघ्र निर्णय लेगी।

सभापति महोदय : न केवल केरल के लोग अपितु पूरे भारत के लोगों को इस बात पर क्षोभ है कि इस परियोजना पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया दिया गया। आपने कुछ ब्यौरा दिया है परन्तु यह नहीं बताया कि ठीक किस दिन इस कार्य को जारी किया जायेगा।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह पूछा गया है कि क्या योजना आयोग ने इस परियोजना को चौथी योजना में सम्मिलित कर लिया है ? वस्तुस्थिति यह है कि स्वयं हमने भी अभी तक इस योजना के अन्तिम प्रारूप को नहीं देखा है। आगामी दो-तीन सप्ताहों में राष्ट्रीय विकास परिषद में इस पर विचार किया जायेगा। अब हम उस स्थिति में पहुँच गये हैं जहां से आरम्भ किया जा सकता है। यह धारणा गलत है कि परियोजना को आरम्भ ही नहीं किया जायेगा। परियोजना को शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। अब हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले सात-आठ वर्षों में हमारे देश ने बहुत अधिक प्रगति की है और आज हम पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 अगस्त, 1966/19 श्रावण, 1888 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, August 10, 1966/Sravana 19, 1888 (Saka).